

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

सत्य धर्म

लेखक

शैख अब्दुर्रहमान बिन हम्माद अल-उमर

अनुवादक

रजाउर्रहमान अंसारी

دين الحق

إعداد

الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر

ترجمة إلى اللغة الهندية

رضاء الرحمن أنصاري



The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Rawdhah Area
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment
and Call and Guidance -Riyadh - Rawdhah

4922422 - fax.4970561 E.mail: mrawdha@hotmail.com P.O.Box 87299 Riyadh 11642

सत्य धर्म

लेखक

शैख अब्दुर्रहमान बिन हम्माद अल-उमर

अनुवादक

रज़ाउर्रहमान अंसारी

دين الحق

إعداد

الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر

ترجمة إلى اللغة الهندية

رضاء الرحمن انصاري

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحوطة بني تميم
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ح) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم ، ١٤٢٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمر ، عبدالرحمن بن حماد

دين الحق . - حوطة بني تميم .

١٦٠ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك : ١ - ٥ - ٩٢٣٨ - ٩٩٦٠

(النص باللغة الهندية)

أ- العنوان


١- الإسلام - مبادئ عامة

٢٢ / ٤٥٤٤

ديوي ٢١١

رقم الايداع ٢٢ / ٤٥٤٤

ردمك : ١ - ٥ - ٩٢٣٨ - ٩٩٦٠





भूमिका

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع رسل الله

यह मुक्ति के लिए निमंत्रण है जिसे संसार के हर एक बुद्धिमान (पुरुष हो कि महिला) की सेवा में रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, शक्ति एवं उँचाई वाले अल्लाह से आशा करता हूँ कि जो उस के मार्ग से भटका हुआ हो, वह इसके माध्यम से भाग्यशाली बने, मुझे तथा जिसने इस के प्रचार एवं प्रसार में भाग लिया हो उसे उत्तम पुण्य से सम्मानित करे।

ऐ बुद्धिमान इंसान ! तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मुक्ति एवं कल्याण इस जीवन में हो कि परलोक (आखिरत) के जीवन में, वह इस बात पर निर्भर है कि तुम अपने अल्लाह को पहचानो जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस पर तुम ईमान ले आओ, उसी की उपासना (इबादत) करो, तथा उस नबी को पहचानो जिसे तुम्हारे रब ने तुम्हारी एवं संसार के सारे लोगों की ओर भेजा है, उस पर ईमान ले आओ तथा उसीकी पैरवी करो अर्थात् उस सत्य धर्म को पहचानो जिसका तुम्हारे रब ने आदेश दिया है उस पर ईमान ले आओ एवं उसी के नियमानुसार कार्य करो।

यह पुस्तक "सत्य धर्म" जो आप के हाथों में है इसमें उन्हीं मुख्य बातों की चर्चा है जिसकी खोज करना तथा उस पर चलना अति



आवश्यक है । मैंने टिप्पणी में कुछ शब्दों की व्याख्या एवं कुछ नियमों का स्पष्टीकरण कर दिया है जो उसके योग्य थे । इन सारी चीजों में मैंने अल्लाह की बात तथा अल्लाह के रसूल ﷺ की हदीसों पर ही विश्वास किया है, इसलिए कि इस सत्य धर्म का यही एक मात्र मूल सूत्र है, इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला कोई और धर्म स्वीकार करने वाला नहीं है ।

मैंने अनुचित अनुसरण को छोड़ दिया है जिसने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट किया है अपितु मैंने कुछ पथभ्रष्ट सम्प्रदायों की भी चर्चा की है जो सत्य पर होने का दावा तो करते हैं किन्तु उनका सत्य से कोई नाता नहीं, अतः मुख्य उद्देश्य यह है कि सीधे-सादे लोग इससे बचे रहें, अल्लाह ही मेरे लिए अधिक है तथा वही उत्तम कार्य को सफल करने वाला है ।

अल्लाह से क्षमा का इच्छुक
अब्दुरहमान बिन हम्माद आले उमर

अल्लाह¹ एक महान उत्पतिकर्ता की पहचान

ऐ बुद्धिमान इंसान ! तुझे ज्ञात होना चाहिए कि रब वही है जिसने तुझे अनहोनी से होनी बनाकर जन्म दिया तथा अपने स्वादिष्ट पदार्थ के द्वारा तेरा पालन-पोषण किया, वही अल्लाह सारे संसार का रब है, अल्लाह तआला² पर विश्वास करने वाले बुद्धिमानों ने उसे अपनी आँखों से देखा तो नहीं है किन्तु उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली निशानियों के द्वारा उसे अवश्य देखा है, वह निशानियाँ उसे उत्पतिकर्ता, अथवा आकाश एवं पृथ्वी के कुशल प्रवन्धक होने को प्रमाणित करता है, इसी से उस को पहचाना जाता है, तर्क के लिए कुछ निशानियों को निम्नलिखित में दिया जा रहा है।

तर्क १ : जगत, जीवन एवं मानव

यह विनाश होने वाली चीजें हैं जिस का आरम्भ एवं अंत है, जो विनाश होने वाला होता है वह किसी और का इच्छुक होता है

¹ मानव जगत और जगत की हर चीज के पूजित का नाम "अल्लाह" है तथा यह नाम अल्लाह ही के लिए विशेष है, अल्लाह ने अपने लिए इस नाम को विशेष कर रखा है और इसका अर्थ सत्य पूजित है।

² "तआला" शब्द अल्लाह के नाम के साथ प्रयोग किया जाता है, इस शब्द के प्रयोग का उद्देश्य सम्मान एवं प्रशंसा है, अल्लाह को महान विशेषताओं से प्रशंसित करना और खोट से पवित्र ठहराना है।

तथा जो दूसरे का इच्छुक हो वह सृष्टि ही होगा, तथा सृष्टि का कोई न कोई उत्पतिकर्ता तो होगा ही, तथा वह महान उत्पतिकर्ता अल्लाह तआला है, अल्लाह ने ही अपने से सम्बन्धित हमें शुभ सूचना दी है कि वह जगत का उत्पतिकर्ता भी है एवं कुशल प्रबन्धक भी है इस की सूचना अल्लाह ने अपने रसूल के माध्यम से उन पर उतारी हुई किताबों में दी है ।

वास्तव में रसूलों ने अल्लाह की बात को जूँ का तूँ लोगों तक पहुँचा दिया है, लोगों को उसी की एक मात्र उपासना एवं उस पर विश्वास करने का निमन्त्रण भी दिया है, अल्लाह तआला अपनी किताब कुरआन करीम में फरमाते हैं :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

निःसंदेह तुम्हारा रब अल्लाह है जिस ने आकाश एवं धरती को छः दिनों में बनाया, फिर अर्श (सिंहासन) पर उच्चय हुआ, रात को दिन से ढाँकता है, जो तीव्रता से उसके पीछे आ रही है, सूरज, चाँद और सितारे उसके आदेश के अधीन हैं, सुन लो सारी सृष्टि उसी की है आदेश भी उसी का है, अल्लाह तआला विभूतियों (बरकतों) वाला है जो सारे जगत का रब है । (सूरह आराफ-५४)

अल्लाह तआला संसार के लोगों को सचेत कर रहा है कि वही उनका रब है, जिसने उन्हें जन्म दिया। छः दिनों में आकाश एवं धरती को बनाया, वह सिंहासन पर उच्चय है सिंहासन आकाशों के ऊपर है। वह सबसे अधिक उच्च एवं विशाल है, अल्लाह तआला उस सिंहासन के ऊपर उच्चय है, तथा अपने ज्ञान एवं श्रवण शक्ति अथवा प्रेक्षा के द्वारा सारे संसार के साथ है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है, अल्लाह ने सूचना दी है कि उस ने रात को उस के अंधकार के द्वारा दिन को ढांकने का साधन बनाया है, वह तीव्रता के साथ उसके पीछे आती है, तथा उसने सूरज, चाँद एवं सितारे पैदा किये, इन सबको अपने अधीन कर रखा है, वह अपनी-अपनी सीमा में चलते हैं, उतपत्ति एवं आदेश देने का वह एक अकेला पात्र है, वह अपने अस्तित्व एवं विशेषताओं में महान एवं दक्ष है वह सदैव रहने वाला है, उपकार एवं भलाई करता रहता है, वह सारे संसार का रब है, जिसने उन्हें बनाया अर्थात् अपने स्वादिष्ट पदार्थों के द्वारा उनका पालन-पोषण किया, अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا

¹ अल्लाह तआला ने अपनी यक्ति के चलते इस "तदरूज" (धीरे-धीरे होने) का लिहाज रखा है, नहीं तो वह सारे संसार को पलक झपकने से भी पहले बना देने की शक्ति रखता है, वह हमें सूचित कर रखा है कि जब वह कोई काम करना चाहता है तो कहता है 'कुन' हो जा तो वह हो जाता है।

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾

अल्लाह की निशानियों में रात-दिन, चाँद और सूरज हैं, तुम सूरज और चाँद को सजदा न करो, केवल अल्लाह ही के लिए सजदा करो, जिसने उन्हें बनाया यदि तुम केवल उसी की उपासना करने वाले हो। (सूरह फुस्सेलत-३७)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

उपरोक्त आयत में सूचना दी जा रही है कि अल्लाह तआला को प्रमाणित करने वाली निशानियों में रात-दिन, चाँद एवं सूरज हैं। चाँद एवं सूरज को सजदा करने से अल्लाह तआला रोक रहा रहा है, क्योंकि वह दोनों भी दूसरे जनितों की तरह जनित हैं तथा जनित की उपासना (इबादत) किसी भी दशा में सही नहीं है, सजदा करना इबादत है, अल्लाह तआला लोगों को इस आयत में तथा इस के अतिरिक्त दूसरी आयतों में आदेश दिया है कि केवल एक अल्लाह ही को सजदा करो इसलिए कि वही पैदा करने वाला एवं कुशल प्रबन्धक है और उपासना के योग्य है।

तर्क २ :

अल्लाह ने पुरूष एवं स्त्री को पैदा किया, पुरूषों एवं स्त्रियों का पाया जाना अल्लाह के अस्तित्व पर तर्क है।

ध्वनियों एवं रंगों का भिन्न होना, दो व्यक्ति एक ही ध्वनि वाले नहीं पाये जायेंगे अर्थात् न एक ही रंग वाले। बल्कि दोनों में अवश्य कुछ न कुछ अंतर होगा।


तर्क ४ :

भाग्य का भिन्न होना, कोई धनवान है तो कोई निर्धन, कोई स्वामी है तो कोई सेवक। जबकि प्रत्येक व्यक्ति सोच-विचार एवं बुद्धि का अधिकारी है तथा प्रत्येक व्यक्ति धन सम्पन्नता, प्रतिष्ठा एवं सुन्दर पत्नी का इच्छुक भी है। किन्तु अल्लाह ने जो भाग्य में लिख दिया है उससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें अल्लाह की महान बुद्धिमत्ता है, अल्लाह ने लोगों को आपस में एक-दूसरे की परख एवं सेवा का साधन बनाया है ताकि सारे लोगों का लाभ नष्ट न हो जाये।

यदि अल्लाह ने इस संसार में किसी को कुछ नहीं दिया हो तो अल्लाह ने सूचना दी है कि वह स्वर्ग (जन्नत) में उसके प्रदानों में अधिकता करेगा इस शर्त पर कि उस की मृत्यु ईमान पर हुई हो, इसके अतिरिक्त अल्लाह ने निर्धन को ऐसी विशेषताओं से सम्मानित किया है जिससे वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से लाभांवित होता है जिससे बहुत से धनवान वंचित होते हैं, यह अल्लाह की बुद्धिमत्ता एवं न्याय का दर्शन है।

तर्क ५ :

नींद तथा सच्चा सपना के द्वारा अल्लाह तआला सोने वालों को



कुछ परोक्ष की सूचना शुभ समाचार या चेतावनी हेतु दे देता है ।

तर्क ६ :

आत्मा (रूह) जिसकी वास्तविकता अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता ।

तर्क ७ :

मानव, तथा उसके शरीर में जो इंद्रियाँ हैं, इसी प्रकार मास्तिष्क एवं पाचन शक्ति का क्रम आदि... ।

तर्क ८ :

बंजर जमीन पर अल्लाह तआला वर्षा बरसाते हैं तथा अनेक प्रकार के फल-फूल उगाते हैं ।

यह कुछ तर्कें उन सैकड़ों तर्कों में से हैं जिनकी चर्चा अल्लाह तआला ने कुरआन में फरमाया है, यह तर्कें उस के अस्तित्व पर अर्थात् उसके उत्पतिकर्ता होने को प्रमाणित करती हैं ।

तर्क ९ :

मानव का स्वभाव अल्लाह के अस्तित्व, उसके उत्पतिकर्ता होने की गवाही देता है, जो इसको नहीं मानता है वह अपने आप को भ्रम में फँसा लेता है, कम्प्यूनिष्ट इस संसार में अभागापन का जीवन व्यतीत करता है, इसलिए मृत्यु के बाद उसका ठिकाना नरक (जहन्नम) में होगा, जिस अल्लाह ने उसे अनस्तित्व से अस्तित्व दिया विभिन्न प्रकार के अनमोल उपकरणों से उसको सम्मानित किया उसके झुठलाने का यही प्रतिशोध है नहीं तो वह

'तौबा' कर ले तथा अल्लाह और उसके रसूलों पर अर्थात् उस के धर्म (दीन) पर ईमान ले आये ।

तर्क १० :

विभूति (बरकत) यानी कुछ प्राणि वर्गों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जैसे गेहूँ, बकरी । इसके विपरीत फ़शल में कमी होती जा रही है जैसे कुत्ते और विल्लियाँ के ।

अल्लाह की विशेषतायें :

वह पहला है, उसकी कोई आरम्भता नहीं । जीवित है सदा से, सदैव के लिए, उसके लिए न मृत्यु है न कोई अंत । वह निःस्पृह है तथा स्थिर एवं सदैव रहने वाला है, वह किसी का इच्छुक नहीं है, वह एक एवं अकेला है उसका कोई भागीदार नहीं है । अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

(ऐ मुहम्मद !) आप कह दीजिए अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह निःस्पृह है न उससे कोई जन्म लिया न वह किसी से जन्मा, और न कोई उसके समान एवं बराबर है ।
(सूरह इख़्लास)

सूरह की व्याख्या :

कुफ़ार ने जब अंतिम नबी से अल्लाह की विशेषताओं के संबन्ध



में मालूम किया तो अल्लाह तआला ने यह सूरह नाज़िल किया जिसमें यह आदेश दिया गया :

अल्लाह अकेला है जिसका कोई साझी नहीं है, वह सदा रहने वाला और हर उपाय करने वाला है, संसार की हर वस्तु पर उसका शासन है, लोगों को अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केवल उसी की ओर झुकना चाहिए ।

उसका न कोई पिता है न बेटा, तथा न यह सत्य है कि उसके लिए बेटा-बेटी और माता-पिता हों, बल्कि उसने अपने लिए इनको नकारा है, इस सूरह में तथा इसके अतिरिक्त दूसरी सूरतों में, वंश एवं जन्म का प्रवाहित रहना मानव जाति की विशेषतायें हैं, नसारा जो मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं । अल्लाह ने उन पर प्रतिवाद किया है । इसी प्रकार उन पर भी जो ओज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं और दूसरों पर भी रोष व्यक्त किया जो यह समझते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं ।

अल्लाह ने सूचना दी है कि उसने अपनी शक्ति से ईसा ﷺ को बिना पिता के जन्म दिया जिस प्रकार मानव जाति के पिता हज़रत आदम ﷺ को मिट्टी से जन्म दिया तथा हव्वा मानव जाति की माता को आदम ﷺ की पसली से जन्म दिया अर्थात् आदम ﷺ की संतान को पुरूष एवं महिला के पानी (वीर्य) से जन्म दिया । हर वस्तु को उसने अनस्तित्व से अस्तित्व में लाया तथा अपने सारे प्राणि वर्गों के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, कोई भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, वह जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है, जैसाकि उसने ईसा ﷺ को बिना

पिता के जन्म दिया तथा उनसे बात करवाया जबकि वह उस समय अपनी माता की गोद में थे, जैसाकि उसने मूसा عليه السلام की छड़ी को दौड़ते हुए साँप की आकृति में परिवर्तन किया, और जब उन्होंने समुद्र में उसे मारा तो समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया । बीच में मार्ग बन गया जिससे वह और उनकी कौम गुजर गई, जैसाकि उसने अंतिम नबी हजरत मुहम्मद ﷺ के लिए चाँद का फट जाना फरमाया, तथा उसी ने वृक्ष को यह आदेश दिया कि वह आप ﷺ को सलाम करे, तथा पशु को आदेश दिया कि वह आप ﷺ की दूतत्व (रिसालत) की गवाही उच्च आवाज में दे ताकि लोग सुन सकें, वह कहता था : मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तथा आप "बुराक" पर 'आकाश की यात्रा' की, मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा फिर आप को "मेराज" से प्रतिष्ठित किया गया, आप ﷺ के साथ फरिश्ता जिब्राईल عليه السلام थे, यहाँ तक कि आप आकाशों के ऊपर पहुँच गये, अल्लाह ने आप से बात की, आप ﷺ पर नमाजें अनिवार्य कीं, फिर आप ﷺ धरती पर (मस्जिदे हराम) लौट आये । रास्ते में आप ﷺ ने हर आकाश के निवासियों का दर्शन किया, यह सारी घटना एक ही रात में फज्र से पहले घटी, "इस्रा" व "मेराज" की घटना कुरआन एवं हदीसों में तथा इस्लामी इतिहास की पुस्तकों में प्रसिद्ध है ।

अल्लाह तआला की पवित्र विशेषताओं में सुनना, देखना, ज्ञान, शक्ति एवं संकल्प भी हैं, हर वस्तु को वह देखता है, सुनता है, उसकी श्रवण शक्ति एवं दृष्टि के सामने कोई चीज बाधक नहीं है, गर्भाशय में जो कुछ है उसका उसे ज्ञान है, छाती जिसको छुपाते हैं उससे वह परिचित है, जो हो चुका अथवा जो होने



वाला है उसका भी उसे ज्ञान है, वह शक्ति एवं संकल्प वाला है, जब किसी चीज को "कुन" (हो जा) कहता है तो वह "फयकून" में परिवर्तित हो जाता है यानी वह हो जाता है।

उसकी पवित्र विशेषताओं में कलाम भी है, वह जब चाहे जो चाहे कलाम फरमाता है। मूसा عليه السلام तथा अंतिम नबी हजरत मुहम्मद ﷺ से उसने कलाम किया है, कुरआन का प्रत्येक शब्द उसका कलाम है जिसे अपने प्यारे नबी मुहम्मद ﷺ पर उतारा, वह उसकी विशेषताओं में से एक विशेषता है, और मखलूक नहीं, जैसाकि गुमराह "मोतजिला" (पथभ्रष्ट मुसलमानों का एक गुट जो अपने आप को शिष्ट कहलाता है उनके निकट कुरआन मखलूक है) का विश्वास है।

अल्लाह की पवित्र विशेषताओं में चेहरा, दो हाथ, "इस्तिवा"।¹ एवं

¹ "इस्तिवा" का अर्थ अरबी भाषा में जो कुरआन की भाषा है "उच्च होना" "ऊपर होना" के हैं, अल्लाह के सिंहासन पर ठहरने का अर्थ अल्लाह का उस पर उच्च होना उसके ऊपर होना है, उसकी दशा उसके अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं है, इसलिए कि वह वैसे ही ठहरा है जैसे अल्लाह की प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता के योग्य हो।

"इस्तिवा" का अर्थ "इस्तौला" कब्जा करना नहीं है जैसाकि कुछ गुमराह लोगों ने आशय कर रखा है जो अल्लाह के विशेषताओं की वास्तविकता का इंकार करते हैं जिसे अल्लाह ने अपने लिए प्रमाणित किया है और उसके रसूलों ने भी उसे अल्लाह के लिए सिद्ध किया है, उन्होंने यह समझा कि यदि विशेषताओं की वास्तविकता को प्रमाणित किया जाये तो सृष्टि से समानता होगी, यह विचार गलत है इसलिए कि समानता तो उस समय होगी जब यह कहा जाये कि यह मानव की फलां विशेषताओं की तरह है, परन्तु विना स्पष्टीकरण के समानता

नुजूल¹ भी है, अल्लाह ने स्वयं अपने आप को इस की विशेषता रखने वाला बताया है और रसूलों ने भी अल्लाह के लिए यह सिद्ध किया है, उसकी विशेषताओं में प्रसन्नता एवं प्रकोप भी है। वह अपने मोमिन बंदों से प्रसन्न होता है और उन काफ़िरों पर क्रोधित होता है जो उसके प्रकोप के योग्य कार्य करते हैं। प्रसन्नता एवं प्रकोप भी बाकी विशेषताओं के प्रकार हैं और सृष्टि की विशेषताओं से तुल्य नहीं रखता है। उसका विवरण बयान नहीं किया जायेगा और न ही स्पष्टीकरण दिया जायेगा।

कुरआन एवं हदीस से यह सिद्ध है कि मोमेनीन स्वर्ग में तथा क्रियामत के मैदान में अल्लाह को विल्कुल स्पष्ट तौर पर देखेंगे, कुरआन एवं हदीस में अल्लाह की विशेषताओं का सविस्तार चर्चा है आप वहाँ देखें।

और बिना स्थिति जाने अथवा बिना उपमा और उदाहरण के विशेषताओं को प्रमाणित करना जो अल्लाह के प्रतिष्ठा के योग्य रहे, यह मानव के साथ समानता नहीं है, यही सत्य है जिसे हर मोमिन को थाम लेना चाहिए यद्यपि बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया हो।

¹ सही हदीस में है : हमारा रव जब रात्रि का तीसरा पहर बाकी रहता है तो सबसे निचले आकाश पर उतरता है।



इंसानों एवं जिन्नों की उत्पत्ति का उद्देश्य

जब आपको मालूम हो गया कि अल्लाह आप का रब है जिसने आप को पैदा किया, तो यह भी जान लीजिए कि उसने आप को बिना उद्देश्य के पैदा नहीं किया, बल्कि अपनी उपासना (इबादत) के लिए पैदा किया। इसका तर्क स्वयं उसका कथन है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

मैंने इंसानों एवं जिन्नों को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, न मैं उन से जीविका का इच्छुक हूँ और न यह चाहता हूँ कि वह मेरे लिए खाने का प्रबन्ध करें, निःसंदेह अल्लाह ही अन्नदाता है शक्तिवाला है। (सूरह जारियात-५६-५८)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

पहली आयत में अल्लाह तआला ने सूचना दी है कि अल्लाह ही ने जिन्न। एवं इंसान को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, दूसरी और तीसरी आयत में फरमा रहा है कि वह बन्दों से

¹ 'जिन्न' बुद्धि वाली प्राणी है, अल्लाह ने उन्हें इंसान की तरह अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, वह जमीन पर इंसानों के साथ ही रहते हैं किन्तु इंसान उसे देख नहीं सकते।

बिल्कुल निःस्पृह है, वह उनसे जीविका का इच्छुक नहीं है और न यह चाहता है कि बन्दे उसके खाने का प्रबन्ध करें। इसलिए कि वह स्वयं शक्ति वाला जीविका देने वाला है, उसके अतिरिक्त किसी को कहीं से जीविका उपलब्ध नहीं हो सकेगा, वही है जो वर्षा देता है तथा पृथ्वी पर अबोध जीवों को अल्लाह ने इंसानों की सेवा के लिए जन्म दिया है ताकि इंसान उसके द्वारा अल्लाह की आज्ञा पालन में लगा रहे, हर गतिवान एवं स्थिरता वाली तथा प्रत्येक जीव संसार में अल्लाह की उत्पत्ति है। अल्लाह ने हर वस्तु को बुद्धिमत्ता के साथ जन्म दिया है, जिसका उसने कुरआन में चर्चा की है, विद्वानों (उलमा) ने अपने-अपने ज्ञान के हिसाब से उन बुद्धिमत्ताओं का वर्णन किया है।

जीविका एवं आयु तथा घटना एवं आपत्तियों में कमी एवं वृद्धि भी अल्लाह की हिक्मत से है, अल्लाह तआला इसके द्वारा अपने बुद्धिमान बन्दों को परखना चाहता है जो अल्लाह ने भाग्य में लिख दिया है उससे प्रसन्न होकर उसको स्वीकार कर ले तथा अल्लाह तआला को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा रहे तो अल्लाह उससे प्रसन्न रहेगा और लोक एवं परलोक के उपकार प्रदान करेगा तथा जो अल्लाह ने भाग्य में लिख दिया है उसको स्वीकार न करे और उससे प्रसन्न नहीं रहे तथा अल्लाह की आराधना न करे तो अल्लाह उससे क्रोधित होगा तथा वह लोक एवं परलोक में भी दुर्भागी होगा। हम अल्लाह की प्रसन्नता के इच्छुक हैं और उसकी अप्रसन्नता से पनाह चाहते हैं।



मृत्यु के पश्चात जीवन, लेखा-जोखा, कर्मों का फल एवं स्वर्ग-नरक की चर्चा

जब आप को यह मालूम हो गया कि अल्लाह ने आप को अपनी उपासना के लिए पैदा किया है तो यह भी जानना आवश्यक है कि अल्लाह ने अपनी किताबों में चर्चा कर दिया है कि वह शीघ्र ही मृत्यु के पश्चात तुम्हें दोबारा जीवित करेगा और तुम्हारे कर्मों का फल देगा, इसलिए कि इंसान मृत्यु के पश्चात इस विनाशी दुनिया¹ से परलोक (जहाँ किये का फल भोगना पड़े)² की ओर जाता है, जब इंसान की निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है तो अल्लाह तआला यमदूत (मलकुल मौत) को आदेश देने हैं और वह इंसान की रूह (प्राण) निकाल लेता है, शरीर से रूह निष्कासित होते समय की पीड़ा सहन करने के बाद ही उसे मृत्यु हो जाती है।

रूह यदि मोमिन हो तो अल्लाह तआला उसे "दारूल नईम" स्वर्ग में रखते हैं, यदि वह काफिर एवं अवज्ञाकारी हो, अंतिम दिन को झुठलाने वाली हो तो उसे "दारूल अजाब" आग में रखता है। यहाँ तक कि महाप्रलय (कियामत) का समय न आ जाये। जब सारी दुनिया की मृत्यु हो जायेगी सिवाय अल्लाह के कोई वाकी न रहेगा उस समय अल्लाह तआला सारी दुनिया को दोबारा जीवित

¹ कर्म और नाश का स्थान।

² प्रतिकार और नित्यता का स्थान।

करेंगे तथा रूहों को शरीरों में लौटा देंगे जैसाकि प्रथम बार उसको जन्म दिया था और शरीर अपनी पुरानी अवस्था में आ जायेगा । यह सब लोगों के लेखा-जोखा के लिए होगा । हर व्यक्ति पुरूष हो कि महिला, धनवान हो कि निर्धन एवं स्वामी हो कि सेवक सब के सब अपने-अपने कर्मों का फल पायेंगे किसी पर अत्याचार नहीं होगा, नृशंसित (मजलूम) को अत्याचारी (जालिम) से बदला दिलाया जायेगा ।

जिन्न और इंसान हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पायेगा, मोमिनीन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे यहाँ तक कि भिखारी ही क्यों न हों, तथा काफिर चाहे संसार में कितना ही धनवान एवं उच्च पद का मालिक क्यों न रहा हो नरक में होंगे । अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

तुम में अल्लाह के निकट वही अधिक प्रतिष्ठा वाला है जो अधिक संयमी है । (सूरह हुजरात-१३)

जन्नत (स्वर्ग) :

यह उपकारों का स्थान है, इतनी सारी नेमतें हैं कि इसकी प्रशंसा पर किसी की जुबान शक्तिमान नहीं है, इसमें सौ श्रेणियाँ हैं, हर श्रेणी में लोग अपने-अपने ईमान एवं कर्म के हिसाब से रहेंगे स्वर्ग की अंतिम श्रेणी के लोगों को इतनी समृद्धियाँ उपलब्ध रहेंगी जितनी कि संसार में सबसे अधिक समृद्धि वाले बादशाह को उपलब्ध होती हैं बल्कि उससे भी सत्तर गुना अधिक उन्हें सुख मिलेगा ।

आग (नरक) :

अल्लाह हमें इससे बचाये, मृत्यु के पश्चात परलोक में यह यातना (अजाब) के स्थान पर है, इसमें इतने प्रकार की यातनायें हैं जिसकी चर्चा से ही हृदय काँप जाता है तथा आँखें आँसुओं से भर जाती हैं, परलोक में यदि मृत्यु का अस्तित्व होता तो आग वाले मात्र उस को देख कर ही प्राण त्याग देते, किन्तु मृत्यु एक ही बार होती है जिससे इंसान साँसारिक जीवन से परलोकिक जीवन की ओर स्थानान्तरित होता है, कुरआन में मृत्यु, लेखा-जोखा और मृत्यु के पश्चात जीवन एवं स्वर्ग -नरक की विस्तृत चर्चा है।

मृत्यु के पश्चात दोबारा जीवित होने और लेखा-जोखा से सम्बन्धित कुरआन में बहुत सारे तर्क हैं :

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

हम ने तुम्हें इसी से जन्म दिया (जमीन से) तथा मृत्यु के पश्चात इसी में लौटा देंगे तथा फिर इसी से तुम्हें दोबारा अंतिम दिन निकालेंगे। (सूरह ताहा-५५)

अल्लाह तआला ने फरमाया है :

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

तथा हम से ही बातें बनाने लगा तथा अपने जन्म को भूल गया, कहने लगा भला इन सड़ी-गली हड्डियों को कौन जीवित कर सकता है, (ऐ पैगम्बर) कह दीजिए, उन्हें वही जीवित करेगा जिसने उन्हें प्रथम बार पैदा किया था। (सूरह यासीन-७८,७९)

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

काफिरों का यह विचार है कि वह कभी मृत्यु के पश्चात उठाये नहीं जायेंगे, कह दीजिए क्यों नहीं ! शपथ है मेरे रब की तुम्हें दोबारा उठाया जायेगा तथा तुम्हारे करतूतों की तुम्हें सूचना दी जायेगी और यह कार्य अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है। (सूरह तगाबुन-७)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

पहली आयत में अल्लाह ने सूचना दी है कि उसने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। वह ऐसे कि उसने उनके पिता आदम को मिट्टी से बनाया, तथा मृत्यु के पश्चात वह उन्हें कब्रों में लौटा देता है जिसमें उनकी प्रतिष्ठा है, वह दोबारा उन्हें उस से उठायेगा और वह जीवित होंगे, जब सारे लोग जीवित हो जायेंगे तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दिया जायेगा।



दूसरी आयत में अल्लाह तआला काफ़िरों पर प्रतिवाद कर रहे हैं जो दोबारा जीवित होने को झुठलाते हैं तथा विनाश के पश्चात जीवन को विश्वास के अयोग्य विचार करते हैं, अल्लाह तआला कहते हैं कि वह उन्हें जीवित करेगा जैसा कि उसने उन्हें प्रथम बार अनास्तित्व से अस्तित्व में लाया था ।

तीसरी आयत में भी काफ़िरों पर प्रतिवाद है जो मृत्यु के पश्चात जीवन से इंकार करते थे, अल्लाह ने रसूलुल्लाह ﷺ को आदेश दिया कि वह सतर्कता पूर्वक कसम खाकर बयान करें कि अल्लाह तआला उन्हें शीघ्र ही दोबारा उठायेगा तथा उन्हें उन के कर्मों का फल देगा और यह सारा काम अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है ।

एक और आयत में अल्लाह ने सूचना दी है कि वह जब उठायेगा ऐसे लोगों को जो दोबारा जीवन एवं आग से इंकार करते हैं तो उन्हें आग में प्रवेश करेगा तथा उनसे कहा जायेगा :

﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾

लो नरक के यातना का स्वाद चखो जिसको तुम झुठलाते थे । (सूरह अस्सजद:-२०)

इंसान के कथनी एवं करनी का निरीक्षण :

अल्लाह तआला को हर व्यक्ति के कथनी एवं करनी का गुप्त हो कि प्रकट पहले ही से ज्ञान है । उसने इस को "लौहे महफूज" में आकाश एवं धरती और इंसान के जन्म से पहले ही लिख रखा है,

इसके साथ-साथ उसने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते भी निरीक्षण के लिए बैठा रखा है। एक दायीं ओर जो नेकियाँ लिखता है तथा एक बायीं ओर जो बुराईयाँ लिखता है उनसे कोई चूक नहीं होती है।

प्रलय (कियामत) के दिन हर इंसान को उसका कर्मपत्र (नामये आमाल) दिया जायेगा, जिसमें उसके कथनी एवं करनी लिखे होंगे, वह उसे पढ़ेगा तो किसी चीज का इंकार नहीं करेगा। यदि किसी ने इंकार किया तो अल्लाह तआला उसके कान, आँख, हाथ, पाँव एवं चमड़ी से कहलवायेगा और वह उसके करतूत बयान करेंगे। कुरआन में इसका विस्तारपूर्वक बयान है, अल्लाह तआला ने फरमाया है :

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

वह कोई शब्द मुँह से निकालने नहीं पाता है कि एक फरिश्ता उसके पास तैयार एवं निरीक्षक के तौर पर होता है। (सूरह काफ-१८)

एक और स्थान पर फरमाया है :

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ﴾

हालाँकि तुम पर (हमारी ओर से) निरीक्षक नियुक्त हैं प्रतिष्ठित एवं लिखने वाले हैं जो तुम करते हो सकी सूचना उसे है। (सूरह इंफितार-१०-१२)



आयतों की व्याख्या :

अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने हर इंसान के साथ दो फरिश्तों को लगा दिया है, एक दायें है जो नेकियाँ लिखता है एक बायें है जो बुराईयाँ लिखता है। उसने इंसानों के साथ प्रतिष्ठित फरिश्तों को लगा रखा है, वह उनके सारे कामों को लिखते हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें यह शक्ति दी है कि वह उन के सारे कामों का ज्ञान रखते हैं और उन्हें लिखते हैं, अल्लाह ने उसे उनके जन्म से पहले "लौहे महफूज" में लिख रखा है।

शहादत (गवाही) :

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित (माबूद) नहीं है तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं तथा मैं गवाही देता हूँ कि स्वर्ग सत्य है, नरक सत्य है और प्रलय आने ही वाली है जिसमें कोई संदेह नहीं। अल्लाह तआला कब्र वालों को लेखा-जोखा के लिए दोबारा जीवित करेगा, अल्लाह ने अपनी किताब में और प्यारे रसूल ﷺ के माध्यम से जो भी सूचना दी है वह सत्य है, ऐ बुद्धिमानों ! मैं तुम्हें भी इसी गवाही पर ईमान लाने, इस का ऐलान करने तथा इसके अनुसार कार्य करने का निमन्त्रण देता हूँ, यही मुक्ति का मार्ग है।

अध्याय - २

रसूल की पहचान

जब तुम को यह पता चल गया कि अल्लाह तुम्हारा रब है, उत्पतिकर्ता है तथा वह तुम्हें दोबारा जीवित करेगा ताकि तुम्हारे कर्मों का फल दे तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उसने लोगों के निदेश (हिदायत) के लिए, रसूल भी भेजे हैं, जिसकी आज्ञापालन एवं पैरवी का आदेश दिया है, तथा उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सही उपासना (इबादत) की पहचान का कोई मार्ग नहीं है सिवाय रसूल की पैरवी के, अल्लाह की उपासना और उसके शास्त्र (शरीयत) के द्वारा होगा जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है।

वह रसूल जिन पर ईमान लाना एवं उनकी पैरवी करना सारे लोगों पर आवश्यक है वह अंतिम रसूल हजरत मुहम्मद ﷺ हैं। सारे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल हैं, वह अनपढ़ नबी मुहम्मद ﷺ हैं जिनकी शुभ सूचना मूसा عليه السلام एवं ईसा عليه السلام ने 'तौरत' एवं 'इंजील' में चालीस से अधिक अवसरों पर दी है। यहूद और नसारा इन किताबों में उलट-फेर से पहले इसको पढ़ा करते थे।¹

¹ मुहम्मद ﷺ के आने की शुभ सूचनायें मालूम करने के लिए जिसकी चर्चा "तौरत" 'इंजील' में है निम्नलिखित पुस्तकों को देखें :

अल जवाबुसमही लिमन बइल दीनल मसीह जि०-१, चैखुल इस्लाम अहमद बिन तैमिया, हिदायतुल हयारी लिल अल्लामा मुहम्मद इब्नुल

हजरत मुहम्मद ﷺ पर अल्लाह ने दूतत्व (रिसालत) को समाप्त किया, तथा उन्हें सारे लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। वह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिव हाशमी एवं कुरैशी हैं। वह इस संसार के सबसे प्रतिष्ठित एवं सच्चे इंसान हैं, वह अल्लाह के नबी इस्माईल बिन इब्राहीम ؑ की नसल से हैं। आप का जन्म मक्का में ५७० ई० में हुआ, जिस रात आप का जन्म हुआ तथा जिस पवित्र छण आप माँ के पेट से इस संसार में तशरीफ ला रहे थे एक महा प्रकाश ने सारे संसार को उज्ज्वल किया, लोग स्तब्ध हो गये तथा इतिहास की पुस्तकों ने इसका रिकार्ड किया, काबा शरीफ में रखी मूर्तियाँ अधोमुख हो गयीं, फारस के बादशाह किसरा के महल में कम्प हुआ तथा दस से अधिक कंगूरे गिर गये, पारसियों की आग जिसकी वह पूजा करते थे बुझ गई जबकि वह दो हजार वर्ष से नहीं बुझी थी।

यह सारी घटनायें वास्तव में अल्लाह की ओर से पृथ्वी वालों के लिए अंतिम नबी के आगमन का ऐलान था कि वह सारे दुतों को टुकड़े-टुकड़े कर देगा जिसकी पूजा की जाती है, फारस एवं रोम को एक अल्लाह की उपासना और उसके सत्य धर्म में प्रवेश करने का निमन्त्रण देगा, यदि न मानें तो अपने अनुकर्ताओं के द्वारा उन से धार्मिक युद्ध (जिहाद) करेगा तथा अल्लाह तआला उसकी सहायता फरमायेगा। इस्लाम धर्म को फैलायेंगे तथा बाद में यही हुआ नबी ﷺ के नबी हो जाने के बाद आप ने उसको

कैय्यम, अस-सीरतुन नब्वीय: लि इवने हिशाम, तथा तारीख इवने कसीर में मौजिजातुन नुबुव्व:।

अंतिम रसूल मुहम्मद ﷺ को अल्लाह ने कुछ विशेषताओं से सम्मानित किया है जिसमें से कुछ निम्नलिखित में दिया जा रहा है :

प्रथम : वह अंतिम रसूल है उनके बाद न कोई रसूल होगा न नबी ।

द्वितीय : आप का दूतत्व (रिसालत) आम है, सारे लोगों के लिए आप रसूल हैं, सारे लोग आप की उम्मत (मानने वाले) हैं जिसने आप की पैरवी की वह स्वर्ग में प्रवेश किया और जिस ने आप की पैरवी नहीं की वह आग (नरक) में प्रवेश करेगा, यहूदी एवं नसारा पर भी अनिवार्य है कि वह आप की पैरवी करें, जो आप की पैरवी न करे तथा आप पर ईमान न लाये वह मूसा एवं ईसा और सारे नबियों का काफिर माना जायेगा । मूसा एवं ईसा तथा सारे नबी उस व्यक्ति से मुक्त हैं जो मुहम्मद ﷺ की पैरवी न करे. इसलिए कि अल्लाह तआला ने सारे नबियों को आदेश दिया था कि वह मुहम्मद ﷺ के आगमन की शुभ सूचना दें, तथा अपनी उम्मतों को यह चेतावनी दें कि वह उनकी पैरवी करें, तथा आप जो धर्म (दीन) लाये हैं यह वही धर्म है जो अम्बिया अपनी कौमों के पास लाये थे । अल्लाह ने उसे पूर्ण एवं सरल अंतिम रसूल मुहम्मद ﷺ के समय में किया । मुहम्मद ﷺ के भेजे जाने के बाद इस्लाम के अतिरिक्त किसी और धर्म को अपनाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है इसलिए कि यही पूर्ण एवं सरल धर्म है जिसके



द्वारा अल्लाह ने सारे धर्मों को निरस्त कर दिया है तथा वही सत्य एवं सुरक्षित धर्म है ।

यहूदियत एवं नसरानियत परिवर्तित धर्म है, वह अपनी असली हालत में बाक़ी नहीं है, इसलिए जो प्यारे नबी ﷺ का अनुयायी है वह मूसा एवं ईसा अलैहिमुस्सलाम का भी अनुयायी समझा जायेगा तथा जो भी इस्लाम धर्म से बाहर होगा मूसा एवं ईसा तथा सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का काफ़िर माना जायेगा । यद्यपि वह इस भावना में रहे कि वह मूसा एवं ईसा अलैहिमुस्सलाम का अनुयायी है, इसी कारण यहूद एवं नसारा के बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय विद्वानों ने मुहम्मद ﷺ पर ईमान लाने तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने में अग्रसरता की ।

अल्लाह के रसूल ﷺ के चमत्कार¹ (मोजेजात) :

जीविनी लिखने वाले विद्वानों ने मुहम्मद ﷺ के चमत्कार को गिनवाते हुए दर्शाया है जो आप के सच्चे नबी होने को प्रमाणित करते हैं । उनकी संख्या एक हजार से भी अधिक है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित में दिये जा रहे हैं :

१. मुहरे नबूवत जिसे अल्लाह ने आप के मोढ़ों के बीच बनाया था वह (मुहम्मदुरसूलुल्लाह) हलके उभरे हुए मांस के आकर में था ।

¹ शब्द 'मोजेजात' चमत्कार का क़ुरआन में चर्चा नहीं है क़ुरआन में आयात (निशानियों) की चर्चा है जो अधिक सही है इसलिए कि 'मोजेजह' खरके आदत के लिए विशेष है ।

२. धूप में आप चलते तो बादल आप पर छाया कर देता ।
३. आप के हाथ में कंकरियों का "तस्वीह" पढ़ना तथा वृक्ष का आप को सलाम करना ।
४. अंतिम काल में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना देना तथा वह धीरे-धीरे बिल्कुल सत्य साबित होना ।

यह परोक्ष की बातें जो आप ﷺ की मृत्यु के बाद संसार के समाप्त होने तक प्रकट होती रहेंगी, इस में से कुछ की जानकारी अल्लाह ने आप को दी थी तथा आप ने लोगों को उससे अवगत कराया, यह बातें हदीस की पुस्तकों में तथा क्रियामत की निशानियों पर लिखी जाने वाली पुस्तकों में सुरक्षित हैं ।

आप के यह चमत्कार अगले अम्बिया के चमत्कार की तरह हैं, किन्तु अल्लाह ने आप को एक ऐसे मुख्य चमत्कार से सम्मानित किया है जो अंतिम समय तक बाकी रहेगा, ऐसा चमत्कार आप के अतिरिक्त किसी और नबी को नहीं प्रदान किया गया, वह "पवित्र कुरआन" अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा लिया है । किसी का कोई प्रयास उस को बदलने के लिए सफल नहीं हो सकता, यदि किसी ने कुछ परिवर्तन का प्रयास किया तो तुरन्त उसका पता चल गया । देखिए मुसलमानों के पास कुरआन के करोड़ों नुस्खे हैं किन्तु एक-दूसरे में कण भर भी अंतर नहीं है, इसकी तुलना में तौरत एवं इंजील को देखिए, इसके बहुत से नुस्खे हैं तथा आपस में कोई समानता भी नहीं है । अल्लाह ने जब इसकी जिम्मेदारी यहूद व नसारा को सौंपी तो उन लोगों ने इसके साथ मजाक किया तथा इसमें बहुत कुछ

परिवर्तन कर डाला, परन्तु कुरआन की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अल्लाह ने ले रखी है। किसी को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया है जैसाकि अल्लाह का कथन है :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

निःसंदेह हम ने ही कुरआन को उतारा है तथा हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। (सूरह हिज्र-९)

कुरआन अल्लाह का कलाम है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, बौद्धिक एवं न्यायिक तर्क

इस बात पर न्यायिक एवं बौद्धिक बहुत से तर्क हैं। जिनमें से यह भी है कि मक्का के काफिरों ने जब मुहम्मद ﷺ को झुठलाया और कुरआन को अल्लाह के कलाम होने का इंकार किया तो अल्लाह ने उन्हें खुला चैलेंज दिया कि वह इस जैसा कुरआन ले आयें, किन्तु वह विवश हो गये हालांकि वह उनकी भाषा थी, वह मिष्टभाषी लोग थे, उनके पास बड़े-बड़े साहित्यकार एवं व्याख्याकार और उच्च स्तर के कविगण थे, किन्तु वह विवश हो गये। फिर अल्लाह ने उन्हें चैलेंज किया कि कम से कम कुरआन जैसी दस सूरतें ही गढ़ कर बता दें, फिर भी वह विवश रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें एक ही सूरत समानता में पेश करने का चैलेंज किया, किन्तु वह फिर भी विवश रहे, उसके बाद अल्लाह ने उनकी विवशता का ऐलान कर दिया। सारे इंसान एवं जिन्न वह एक-दूसरे के सहायक हों फिर भी कुरआन जैसा कलाम पेश करने से विवश हैं। अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

(ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए यदि सारे इंसान एवं जिन्नात मिलकर भी इस प्रकार का कुरआन लाना चाहें तो इस



जैसा कुरआन कदापि नहीं ला सकते चाहे एक-दूसरे का सहयोग भी करें। (सूरह इस्रा-८८)

कुरआने करीम यदि मुहम्मद ﷺ का कलाम होता तो मिष्टभाषी लोग उस जैसा कुरआन पेश कर देते किन्तु वह कलाम अल्लाह का है उसकी महानता इंसान के कलाम की तुलना में वैसे ही है जैसे स्वयं अल्लाह की महानता इंसान पर है।

अल्लाह का न कोई तुल्य है और न हो सकता है, इसी प्रकार उसके कलाम का भी कोई तुल्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कुरआन अल्लाह का कलाम है तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह के कलाम को अल्लाह के पास से अल्लाह के रसूल ही पहुँचाते हैं। अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं तथा नबियों के अंत करने वाले हैं तथा अल्लाह हर चीज को सही प्रकार से जानता है। (सूरह अहजाब-४०)

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

तथा हम ने (ऐ नबी) तुम्हें सारे लोगों के लिए शुभ सूचना देने वाला तथा यातना (अजाब) से डराने वाला बना कर भेजा है किन्तु बहुत से लोग इस बात का ज्ञान नहीं रखते। (सूरह सवा-२८)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

हम ने आप को सारे संसार के लिए रहमत बना कर भेजा है। (सूरह अबिया-१०७)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

प्रथम आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि मुहम्मद ﷺ सारे लोगों के लिए रसूल हैं, वह अंतिम नबी हैं, आप के बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए आप को चुन लिया क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि आप सबसे अधिक इसके लिए उपयुक्त हैं।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने आप को संपूर्ण विश्व के लिए रसूल बनाकर भेजा, गोरे हों या काले, अरब के हों या अरब के अतिरिक्त किसी और देश के, आप सब के लिए रसूल हैं। बहुत से लोग सत्य नहीं जानते इसीलिए वह मुहम्मद ﷺ की पैरवी नहीं करते तथा इस कारण गुमराह एवं कुफ्र में भी फसें।



तीसरी आयत में अल्लाह तआला मुहम्मद ﷺ को संबोधित करके कह रहे हैं कि उसने उन्हें सम्पूर्ण जगत के लिए रहमत बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आप को रहमत बनाकर लोगों पर कृपा प्रदान किया, जो आप पर ईमान लाये तथा आप की पैरवी की उस ने अल्लाह की रहमत को स्वीकार किया तथा उसके लिए स्वर्ग (जन्नत) है, जो मुहम्मद ﷺ पर ईमान न लाये न उनकी पैरवी की तो उस ने अल्लाह की रहमत को ठुकरा दिया जिसके कारण आग एवं कष्टदायक यातना का भोगी हुआ ।

अल्लाह तथा उसके रसूल मुहम्मद ﷺ पर ईमान लाने का निमंत्रण

ऐ बुद्धिमान ! हम तुझे अल्लाह पर जो ईश्वर है तथा मुहम्मद ﷺ पर जो उसके रसूल हैं ईमान लाने का निमंत्रण देते हैं, तथा उसके धार्मिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का आमन्त्रण देते हैं, वही धर्म इस्लाम है जिसका स्रोत महान कुरआन है और अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ की हदीसें हैं, अल्लाह ने आप की रक्षा की थी, आप वही आदेश देते जिसका अल्लाह ने आदेश दिया अथवा एवं चीज से रोकते जिससे अल्लाह ने रोका है इसलिए विशुद्ध हृदय से इस प्रकार कहिए :

मैं ईमान ले आता हूँ कि अल्लाह मेरा ईश्वर है वही अकेला मेरा पूजित है, तथा ईमान ले आता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं इसलिए उन्हीं की पैरवी की जाये, इसके अतिरिक्त कहीं मुक्ति नहीं है, अल्लाह मुझे तथा आप को मुक्ति एवं सौभाग्य का साधन प्रदान करे । आमीन

सत्य धर्म (इस्लाम) की पहचान (मारिफत)

ऐ बुद्धिमान ! जब तुम्हें ज्ञान हो गया कि अल्लाह तआला तुम्हारा ईश्वर है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जीविका प्रदान किया, वही अकेला पूजित है जिसका कोई भागीदार नहीं, तुम पर अनिवार्य है क उसी की आराधना करो, तथा तुम्हें ज्ञान हो गया कि मुहम्मद अल्लाह के दूत (रसूल) हैं सारे लोगों के लिए तो यह भी आप ज्ञात कर लें कि अल्लाह एवं उस के दूत पर आप का ईमान उसी समय शुद्ध होगा जब आप इस्लाम धर्म की मारिफत (पहचान) प्राप्त करें, अल्लाह ने इसी धर्म को अपनी प्रसन्नता का कारण बनाया, अपने अवतारों को इसी के प्रचार एवं प्रसार का आदेश दिया तथा अंतिम संदेश वाहक मुहम्मद ﷺ को भी इसी धर्म के साथ भेजा, तथा इसी के अनुसार कार्य करने को अनिवार्य किया ।

अल्लाह के रसूल अंतिम संदेशवाहक ने फरमाया :

((الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله،
و تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، و تصوم رمضان، و تحج
البيت ان استعطت اليه سبيلاً))

"इस्लाम यह है कि आप गवाही दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई (सच्चा) पूजित (माबूद) नहीं है, तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के दूत (रसूल) हैं, नमाज को क़याम करें, ज़कात अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर का हज करें।" (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी एवं मुस्लिम)

इस्लाम वह सांसारिक धर्म है जिसे अल्लाह ने सारे लोगों को अपनाने का आदेश दिया है, सारे अम्बिया इसी पर ईमान ले आये और अपने इस्लाम का एलान किया। अल्लाह तआला ने यह बात स्पष्ट कर दी कि इस्लाम ही सत्य धर्म है, इस के अतिरिक्त वह किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

निःसंदेह अल्लाह के निकट धर्म इस्लाम ही है। (सूरह आले इमरान:१९)



अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी और धर्म को चाहे तो कदापि उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा परलोक (आखिरत) में वह घाटे उठाने वालों की पंक्तियों में होगा ।
(सूरह आले इमरान:८५)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

अल्लाह तआला सूचना दे रहे हैं कि उन के पास इस्लाम धर्म ही स्वीकृत योग्य है, दूसरी आयत में सूचित कर रहे हैं कि इस्लाम के अतिरिक्त कोई धर्म स्वीकृत योग्य नहीं है, मृत्यु के पश्चात केवल मुसलमानों को ही सौभाग्य प्राप्त होगा, तथा जिनकी मृत्यु इस्लाम पर न हो वह परलोक में क्षति में रहेंगे और नरक में यातना के भोगी होंगे ।

इसीलिए सारे अवतारों ने अपने इस्लाम का एलान किया तथा जिसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उससे अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन किया, यहूदो नसारा में जिसे कल्याण एवं मुक्ति प्रिय हो उसे इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए और मुहम्मद ﷺ की पैरवी करनी चाहिए ताकि वह वास्तव में ईसा व मूसा अलैहिमुस्सलाम के अनुयायी हो सकें, क्योंकि मूसा एवं ईसा और सारे रसूल अलैहिमुस्सलाम मुसलमान थे तथा उन्होंने लोगों को

इस्लाम का निमंत्रण दिया था, अल्लाह के रसूल ﷺ की ईशदूतता के बाद से महाप्रलय (क्रियामत) तक किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को मुसलमान कहे और न अल्लाह तआला के निकट यह दावा स्वीकृत योग्य है किन्तु यह कि वह अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आये, उनकी पैरवी करे तथा कुरआन के अनुसार कार्य करे। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए यदि तुम अल्लाह से प्रेम रखते हो तो मेरे मार्ग पर चलो अल्लाह भी तुम से प्रेम रखेगा, तुम्हारे गुनाह को क्षमा कर देगा, अल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु है। (सूरह आले इमरान: ३१)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

अल्लाह तआला अपने रसूल मुहम्मद ﷺ से फ़रमा रहे हैं कि वह लोगों पर यह बात प्रकट कर दें कि जो कोई अल्लाह से प्रेम का दावेदार है उसे चाहिए कि वह मेरी पैरवी करे फिर अल्लाह उन्हें प्रिय रखेगा, अल्लाह तआला न तुम्हें प्रिय रखेगा और न तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा किन्तु यह कि आप मुहम्मद ﷺ पर ईमान लायें और उनकी पैरवी करें।

यही धर्म इस्लाम है जो पूर्ण रूप से सत्य एवं सरल है सारे लोगों के लिए उतारा गया है, अल्लाह तआला इससे प्रसन्न है इसके

अतिरिक्त किसी और धर्म को वह स्वीकार करने वाला नहीं है, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

आज मैंने तुम्हारे धर्म (दीन) को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया तथा अपनी नेमत (अनुकम्पा) तुम पर अंत कर दी तथा इस्लाम धर्म को तुम्हारे लिए पसन्द किया। (सूरह मायदा: ३)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

यह आयत अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ पर "हज्जतुल विदाअ" के अवसर पर अरफ़ात के मैदान में नाज़िल हुई जबकि वह और मुसलमान अल्लाह के सामने दुआ एवं अल्लाह की याद में डूबे हुए थे, यह प्यारे रसूल ﷺ के जीवन का अंतिम काल था जबकि इस्लाम फैल चुका था क़ुरआन का नाज़िल होना सम्पूर्ण हो चुका था।

इस आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि उसने मुसलमानों के लिए उनके धर्म को पूर्ण कर दिया तथा उसने प्यारे नबी ﷺ को भेजकर, क़ुरआन नाज़िल फ़रमा कर, उन पर अपनी नेमत की पूर्ति कर दी और वह इस्लाम धर्म से सदैव के लिए प्रसन्न हो गया, इसके अतिरिक्त कोई और धर्म स्वीकृत योग्य नहीं, यह इस्लाम धर्म पूर्ण एवं एकत्र धर्म है तथा हर समय एवं हर स्थान के लिए अनुकूल है, यह ज्ञान एवं प्रतिभा, सत्यता

एवं सदाचारी और न्याय एवं सत्य का धर्म है, यह वह पूर्ण धर्म है जो जीवन के हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शन करता है। वह धर्म भी है और सत्ता का विधान भी है, राजनीति हो कि अर्थव्यवस्था, सामूहिक हो कि न्याय प्रबन्धन वह मानवीय आवश्यकताओं के लिए दीप स्तम्भ है जिस में मानवता की सांसारिक एवं परलोकिक कल्याण है।

इस्लाम का स्तम्भ

इस्लाम के पाँच स्तम्भ हैं, सच्चा मुसलमान होने के लिए उन पर ईमान लाना और उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है।

१. इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य के योग्य नहीं तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के दूत (रसूल) हैं।
२. नमाज स्थापित करे।
३. जकात अदा करे।
४. रमजान के रोजे रखे।
५. यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर का हज करे।

पहला स्तम्भ :

لا إله إلا الله محمد رسول الله

ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना। यह गवाही अपने में एक अलग अर्थ रखती है, हरेक मुसलमान को इसका जानना और इस पर कार्य करना आवश्यक है, जिसने जुषान से इस कलमा को अदा किया हो परन्तु न इस का अर्थ जानता हो और न ही इस पर कार्य करता हो तो उसे इस गवाही का कोई लाभ न होगा।

"ला इलाहा इल्लल्लाह" का अर्थ यह है कि आकाश एवं पृथ्वी में सत्य आराधित अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसके

अतिरिक्त हर आराधित असत्य है, 'इलाह' का अर्थ पूज्य के हैं। जो व्यक्ति अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की पूजा करता है वह काफिर है तथा अनेकेश्वरवादी (मुशिरक) है चाहे वह किसी ईशदूत (नबी) या ऋषि मुनि (वली) ही की पूजा करे या इस उद्देश्य से उनकी पूजा करे कि वह अल्लाह के यहाँ स्रोत एवं साधन हैं, निकटता का माध्यम है फिर भी वह काफिर एवं अनेकेश्वरवादी (मुशिरक) होगा, जिन अनेकेश्वरवादियों से अल्लाह के रसूल ﷺ ने धार्मिक युद्ध किया था वह भी ईशदूतों एवं ऋषि मुनियों की पूजा इसी तर्क वितर्क पर करते थे और उन्हें माध्यम एवं वसीला कहते थे किन्तु यह तर्क बड़ी बोदी एवं बहिष्कृत है इसलिए कि वसीला एवं माध्यम अल्लाह तआला के अच्छे नामों और अच्छे गुणों के द्वारा प्राप्त होगा और अच्छे कर्मों के द्वारा निकटता हासिल होगी, जैसे नमाज, सदका, खैरात, रोजा, जिक्र, जिहाद एवं माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार आदि तथा जीवित मोमिन की दुआ अपने भाई के लिए जायज है।

उपासना (इबादत) की किस्में

दुआ :

अर्थात् अपनी ऐसी आवश्यकताओं का माँगना जिसको प्रदान करने का सामर्थ्य अल्लाह के अतिरिक्त कोई न रखता हो जैसे वर्षा का देना, रोगी का रोग निवारण करना जिस पर किसी मानव की शक्ति न हो, स्वर्ग की याचना करना, आग से मुक्ति माँगना, संतान जीविका और भाग्यशाली आदि के लिए माँगना।



यह सारी चीजें अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से नहीं माँगी जायेगी, जिस किसी ने जीवित और मृत्यु पाये मानव से यह चीजें माँगी तो वह उस की पूजा करने वाला माना जायेगा। अल्लाह तआला अपने उपासकों (बन्दों) को आदेश दे रहा है कि वह केवल उसी की उपासना करे क्योंकि दुआ उपासना ही है, जिसने किसी गैर से माँगा वह नरक का भोगी होगा।

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

तथा तुम्हारा रब फरमाता है मुझ से दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करूँगा; निस्संदेह जो लोग मेरी उपासना करने से कतराते हैं वह अवश्य अपमानित होकर नरक में प्रवेश करेंगे। (सूरह गाफिर-६०)

अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भी पुकारा जाये तो वह किसी के लिए कण भर लाभ एवं हानि की शक्ति नहीं रखते हैं चाहे वह ईशदूत हों कि ऋषि मुनि।

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾

(ऐ पैगम्बर) कह दो अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिनको (अल्लाह का भागीदार समझते हो) उन्हें पुकार कर देखो वह तो इतना भी सामर्थ्य नहीं रखते कि कोई दुःख तुम्हारा

اهداء من شبكة الألوكة
दूर कर दें या उसको हटा दें। (सूरह इस्रा:५६)

अल्लाह का कथन है :

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

तथा सारी मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं इसलिए अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। (सूरह जिन्न:१८)

उपासना की क्रिस्मों में जबह, नज़र और नियाज़ भी है :

इंसान जबह करके खून बहाकर नजर व नियाज़ के द्वारा अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से निकटता प्राप्त न करे। जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए जबह किया हो तो उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे किसी ने कब्र या जिन्न के लिए जबह किया हो, इस कारण वह ग़ैरुल्लाह की पूजा एवं उपासना करने वाला ठहरा और धिक्कार का पात्र हुआ। अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

○ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

आप कह दीजिए कि मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा जीवन और मेरी मृत्यु अल्लाह ही के लिए है, उसका कोई भागीदार नहीं है, तथा मुझको यही आदेश मिला है और मैं सब से पहले उसकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ। (सूरह अंआम: १६२,१६३)



अल्लाह के रसूल ﷺ का कथन है :

"لعن الله من ذبح لغير الله"

"अल्लाह का धिक्कार है उस पर जिसने अल्लाह के अतिरिक्त के वास्ते जवह किया हो ।" (सहीह मुस्लिम)

यदि किसी ने ये कहा हो कि फ़लों के लिए मेरी नज़र है, यदि फ़लों का काम हो जाये तो दान करूँगा या फ़लों का काम करूँगा, यह नज़र शिर्क के अधीन है, इसलिए कि यह नज़र मानव के लिए हुई, धार्मिक एवं उचित नज़र का तरीका यह है कि इंसान ये कहे : अल्लाह के लिए मेरी नज़र है यदि मेरा काम हो जाये तो मैं सदका करूँगा या फ़लों नेक काम करूँगा ।

उपासना की किस्मों में पनाह मांगना, सहायता मांगना और फ़रियाद करना भी है :

अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से सहायता न मांगी जाये न ही सहायता के लिए पुकारा जाये और न ही पनाह मांगी जाये । अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

हम तेरी ही उपासना करते हैं तथा तुझ ही से सहायता मांगते हैं । (सूरह फ़ातिहा: ४)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूँ प्रातः काल के रव की सभी प्राणी वर्ग के दुष्कृत्य से । (सूरह फलक : १, २)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله"

"मुझसे सहायता नहीं मांगी जायेगी वल्कि अल्लाह से सहायता मांगी जायेगी" (सही हदीस है तथा तबरानी ने रिवायत किया है)

एक और सहीह हदीस में नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया :

"إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله"

"जब मांगो तो केवल अल्लाह से मांगो तथा जब सहायता मांगो तो केवल अल्लाह से मांगो ।" (तिर्मिजी)

जीवित एवं उपस्थित मनुष्य से उन्हीं चीजों में सहायता मांगना उचित है जिस पर उसका सामर्थ्य एवं पहुँच हो, किन्तु पनाह देने की क्षमता केवल अल्लाह ही के पास है अतः किसी और की पनाह चाहना उचित नहीं है, अनुपस्थित मनुष्य से या जिसकी मृत्यु हो चुकी हो उससे सहायता नहीं मांगी जायेगी और न फ़रियाद की जायेगी, इसलिए कि वह किसी चीज पर क्षमता नहीं रखता है चाहे नबी, वली या फ़रिश्ता ही क्यों न हो ।

परोक्ष की बात अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, यदि किसी ने परोक्ष की बातों का दावा किया तो वह काफ़िर है उसको झूठलाना आवश्यक है, यदि कोई परोक्ष की चीजों की

भविष्यवाणी करे तथा वह वैसा ही हो जाये तो वह संयोगवश घटना माना जायेगा, अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया :

"जो कोई किसी दैवज्ञ या ब्रह्माज्ञानियों के पास जाये तथा उसकी पुष्टि करे तो वह मुहम्मद ﷺ का काफिर माना जायेगा ।" (इसे इमाम अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है ।)

उपासना की किस्मों में आशा करना, भरोसा करना और विनय एवं नम्रता भी है :

इंसान अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे पर भरोसा न करे, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे से आशायें न बाँधे, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे से डर एवं भय न करे ।

बड़े खेद की बात है कि बहुत से इस्लाम से संबन्ध रखने वाले लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे जीवित वुजुगों को या मृत्यु पाये हुए लोगों को (कब्र वालों को) पुकारते हैं, तथा उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता मांगते हैं, यह अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे की उपासना है, ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं है चाहे वह मुसलमान होने का दावा करे और "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" की प्रतिज्ञा करे, नमाज रोजा की पाबन्दी करे और अल्लाह के घर का हज करे । अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ
لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

निःसंदेह आप की ओर और आप से पहले जो गुजर चुके हैं (संदेशवाहक) उनकी ओर भी वहयी की गई थी कि यदि तुम ने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो तुम्हारा कर्म अकारत चला जायेगा और तुम घाटे वालों में से हो जाओगे। (सूरह जुमर:६५)

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

निःसंदेह जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर स्वर्ग (जन्नत) हराम कर दिया है उसका ठिकाना नरक है अर्थात अत्याचारों का कोई सहायक नहीं। (सूरह मायदा:७२)

अल्लाह तआला ने अपने नबी से फरमाया कि वह लोगों से कह दें :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ (अंतर यह है कि) मेरे पास अल्लाह की ओर से वहयी आती है कि

तुम्हारा अल्लाह वही एक सच्चा पूजित है इसलिए जिसे अपने रब से मिलने की आशा हो उसको चाहिए कि वह अच्छा कर्म करे और अपने रब की उपासना में किसी को भागीदार न बनाये । (सूरह अल-कहफ:११०)

मूर्ख लोगों को उनके गुमराह और बुरे विद्वानों (आलिमों) ने धोखा में रखा है, यह विद्वान तो कुछ धार्मिक नियमों को जानते हैं किन्तु तौहीद (अद्वैतवाद) जो इस्लाम धर्म का आधार है उससे अपरचित हैं, अभिस्ताव एवं वसीला के नाम पर शिर्क का निमंत्रण देते हैं, शिर्क के अर्थ से अज्ञानता इसका मुख्य कारण है, इसका उनके पास कोई तर्क नहीं सिवाय बेकार एवं व्यर्थ कष्ट कल्पनाओं के या झूठी हदीसों के या फिर कथाओं एवं कहानियों के, सपना है जिसे शैतान ने उनके लिए सजा संवार रखा है, जिसके द्वारा वह गैरुल्लाह की उपासना का औचित्य खोज निकालते हैं, शैतान एवं काम वासना की इच्छा की पैरवी और अपने बाप दादा के मार्ग पर चलते हुए शिर्क को उचित कर रखा है जैसाकि पहले के मुश्रेकीन का हाल था ।

अल्लाह तआला ने कुरआन में जिस माध्यम (वसीला) की चर्चा की है :

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

अर्थात् उसका वसीला तलाश करो (सूरह मायेदा:३५)

इससे तात्पर्य नेक कर्म हैं जिसे अल्लाह की 'तौहीद' (अद्वैतवाद) नमाज, रोजा, सदका, खैरात, हज, जिहाद, अन्न बिल मारूफ व

नहि अनिल मुनकर (नेक कामों का आदेश और बुराई से रोकना) और सिलह रहमी (सहनशीलता) आदि हैं। मृतकों को पुकारना और उनसे सहायता माँगना आपत्तियों के समय उनकी दोहाई देना यह सब उनकी उपासना है।

अभिस्ताव (शिफाअत):

नवियों, औलियाओं और दुसरे मुसलमान जिन्हें अल्लाह तआला अभिस्ताव की अनुमति दे उनका अभिस्ताव सत्य है। हम उस पर ईमान लाते हैं, किन्तु यह अभिस्ताव मृतकों से नहीं माँगी जायेगी, इसलिए कि वह अल्लाह का अधिकार है, अल्लाह की अनुमति के बिना किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, मोमिन बन्दा इसे अल्लाह ही से माँगता है और यूँ कहता है :

ऐ अल्लाह तेरे रसूल और तेरे नेक बन्दों को मेरा अभिस्ताव करने वाला बना दे, वह यूँ नहीं कहता : ऐ फ़लां बुजुर्ग आप मेरा अभिस्ताव करें इसलिए कि वह मृत्यु पा चुके हैं तथा मृतकों से कोई चीज माँगी नहीं जायेगी। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

आप फ़रमा दीजिए कि अभिस्ताव तो अल्लाह के हाथ में है, आकाश एवं पृथ्वी में उसी का शासन है, फिर तुम्हें लौटकर उसी के पास जाना है। (सूरह जुमर: ४४)

इस्लाम विरोधी विदअतों में से यह भी विदअत है कि कब्रों को

सजदा करने का स्थान बनाया जाये, उस पर दीप जलाया जाये, उस पर भवन निर्माण किया जाये, उस पर लिखा जाये, उसे ठोस बनाया जाये, उस पर चादरें चढ़ाई जायें और उस के पास नमाज़ पढ़ी जाये, इन सारी चीजों से अल्लाह के रसूल ﷺ ने मना फ़रमाया है, इसलिए कि यह चीजें ग़ैरुल्लाह की उपासना का मुख्य कारण बनती हैं इसलिए यह हदीसों सहीहैन अथवा सुनन में मौजूद हैं ।

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बहुत सारे देशों में नादान लोग कब्रों पर जो कुछ कर रहे हैं वह अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, कुछ प्रसिद्ध कब्रें यह हैं, बदवी और सय्यदा जैनव की कब्र मिश्र में, जीलानी की कब्र ईराक में, अहले बैत की ओर संबन्धित नजफ व कर्बला की कब्रें, अली हजवेरी की कब्र पाकिस्तान में, चिश्ती की कब्र अजमेर में और इसके अतिरिक्त बहुत सारी कब्रें बहुत से देशों में पाई जाती हैं, उसका तवाफ़ उनसे अपनी आवश्यकताओं की माँग, उनसे लाभ एवं हानि की आशा यह सारी चीजें शिर्क हैं जो यह काम कर रहे हैं वह मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) हैं गुमराह हैं, चाहे वह इस्लाम का दावा करें, नमाज़, रोज़ा एवं हज की पाबन्दी करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान से कहते रहें, क्योंकि जुबान से केवल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से कोई मुसलमान नहीं होगा अपितु उसका अर्थ जानना और उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक है, ग़ैर मुस्लिम यदि हो तो केवल क़लमा शहादत को अदा करते ही मुसलमान समझ जायेगा यहाँ

तक कि उससे कोई ऐसा काम हो जाये जिससे उसका पुराने शिर्क पर स्थिर रहना मालूम हो, उन नादानों की तरह, या धार्मिक अनिवार्यता को बताये जाने के बाद भी वह किसी अनिवार्यता से इंकार करे, या इस्लाम धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म पर भी इमान ले आये तब वह इस्लाम से निष्कासित माना जायेगा।

नवियों और औलियाओं¹ को कुछ पता नहीं कि लोग उन्हें पुकारते हैं उनसे वह मुक्त हैं, जो उन्हें पुकारते हैं उनसे सहायता मांगते हैं, अल्लाह ने अपने रसूलों को केवल एक अल्लाह की उपासना का निमंत्रण देने और गैरुल्लाह की उपासना छोड़ने की शिक्षा देने के लिए भेजा था, वह गैरुल्लाह चाहे नवी

¹ अल्लाह के औलिया से तात्पर्य वह लोग हैं जो अल्लाह के एक होने को मानते हैं उसके आज्ञाकारी होते हैं तथा अल्लाह के रसूल ﷺ की पैरवी करते हैं, उनमें से कुछ अपने ज्ञान और जिहाद (धार्मिक युद्ध) के कारण प्रकट हो जाते हैं और कुछ प्रकट भी नहीं होते, जो प्रसिद्ध एवं विदित हैं वह यह नहीं चाहते कि लोग उनकी पवित्रता वयान करें, जो वास्तव में औलिया हैं वह अपने औलिया होने का दावा नहीं करते बल्कि वह अपने आप को छोटा ही समझते हैं, उनका न कोई विशेष वस्त्र होता है और न कोई वेश-भूषा विशेष होता है, वह केवल हर चीज में अल्लाह के रसूल ﷺ के तरीका को ही अपनाते हैं, हर मुवहिहद (एकेश्वरवादी) मुसलमान जो अल्लाह के रसूल का अनुयायी भी हो उसकी संयमता एवं सदाचारिता के आधार पर उसके अन्दर वली या ऋषि होने का गुण पाया जाता है। इस परिचय से यह बात स्पष्ट होती है कि जो लोग अपने आप को औलिया होने का दावा करते हैं और एक विशेष वस्त्र पहना करते हैं ताकि लोग उनकी आदर एवं सम्मान करें, वह औलिया नहीं हैं बल्कि झूठे हैं।

हों, बली हों या कोई और हों ।

अल्लाह के रसूल ﷺ तथा औलिया से प्रेम, उनकी उपासना करने में नहीं है क्योंकि उनकी उपासना करना उनकी प्रतिकूलता है, उनसे प्रेम यह है कि उनका अनुकरण किया जाये, उनके बताये हुए तरीका पर चला जाये । सच्चा मुसलमान नवियों तथा औलियाओं को प्रिय रखता है किन्तु वह उनकी उपासना नहीं करता, हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ का प्रेम हम पर आवश्यक है, अपने आप से परिवार जनों एवं सारे लोगों से भी अधिक आप को प्रिय रखना आवश्यक है।

फिरका नाजिया (मुक्ति पाने वाला वर्ग) :

मुसलमान संख्या के अनुसार तो बहुत हैं किन्तु वास्तव में वह कम हैं । इस्लाम की ओर संबन्ध रखने वाले फिरके बहुत अधिक हैं उनकी संख्या ७३ तक पहुँचती है जिनकी कुल संख्या एक हजार मिलयन¹ से अधिक हैं, परन्तु सच्चा मुसलमान का वर्ग वास्तव में एक ही है, यह वही है जो अल्लाह के एक होने को मानता है और 'अकीदा' (विश्वास) एवं व्यवहार में मुहम्मद ﷺ तथा उनके सहावा के तरीका पर हो, जैसाकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया :

”افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة، وافترقت

¹ यह संख्या पुस्तक के संकलन के समय की है ।

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة قال الصحابة:
من هى يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل ما انا عليه
اليوم واصحابى"

"यहूद (७१) एकहत्तर वर्गों में बट गहे तथा नसारा (७२)
बहत्तर वर्गों में बट गये और यह उम्मत तिहत्तर (७३)
वर्गों में बट जायेगी। सारे के सारे आग में होंगे सिवाय
एक के। सहाबा ने पूछा वह कौन सा वर्ग है ऐ अल्लाह के
रसूल ? आप ने फ़रमाया : जो इस तरीका पर हों जिस
पर कि मैं और आज मेरे सहाबा हैं।" (बुखारी, मुस्लिम)

नबी ﷺ और सहाबा का तरीका यह था :

ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर विश्वास एवं
अक्रीदा तथा उसके अनुसार व्यवहार। अल्लाह ही को पुकारें,
जब वह और नजर उसी के लिए करें, सहायता एवं फ़रियाद उसी
से की जाये, उसी से पनाह मांगी जाये, लाभ एवं हानि का
मालिक भी उसी को समझा जाये। इस्लाम का स्तम्भ भी उसी के
लिए शुद्ध हृदय के साथ अदा किया जाये, उसके फ़रिश्तों की,
किताबों की, रसूलों की, मृत्यु के पश्चात जीवन की, लेखा-जोखा
की, स्वर्ग-नरक की पुष्टि और अच्छे एवं बुरे भाग्य पर ईमान
लाया जाये। जीवन के हर क्षेत्र में कुरआन को निर्णायक माना

जाये, अल्लाह के मित्रों से मित्रता एवं अल्लाह के शत्रुओं से शत्रुता रखी जाये, उसी की ओर निमंत्रण दिया जाये, उसके लिए जिहाद (धार्मिक युद्ध) किया जाये, अपने राजा एवं खलीफा की अच्छी बातों में आज्ञा पालन किया जाये। जहाँ कहीं भी हो सत्य का बोलवाला करें, नबी ﷺ और उनकी पत्नियों एवं उनकी संतानों से प्रेम एवं मित्रता का सम्बन्ध हो, नबी करीम ﷺ के सारे सहाबा से प्रेम किया जाये तथा उन की प्रतिष्ठा के अनुसार उनकी श्रेणियाँ नियुक्त की जायें, इन सबसे सहमति का प्रकटन किया जाये, उनके विरोधों में गुस्ताखी न की जाये बल्कि खामोशी अपनाई जाये, मुनाफिकीन (द्वयवादी) तथा गुमराह लोगों ने उनके व्यक्तित्व में जो कुछ कटाक्ष किये हैं उसकी पुष्टि न की जाये, उन मुनाफिकीन ने इसके द्वारा मुसलमानों में फूट डालने की चेष्टा की, कुछ विद्वानों एवं इतिहासकारों ने धोखा से उसे स्वीकार कर लिया तथा अपनी किताबों में लिख दिया यह उनकी भूल है।

जो लोग अहले बैत होने का दावा करते हैं तथा अपने आप को "सादात" (सैय्यद क़ौम) कहलवाते हैं उन्हें अपने नस्ब (गोत्र) से संबन्धित जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए। अल्लाह ने उस व्यक्ति पर धिक्कार किया है जो दूसरे के पिता की ओर अपने आप को जोड़े, यदि उन का गोत्र सिद्ध हो जाये तो उन्हें चाहिए कि वह हर मामला में अल्लाह के रसूल ﷺ का अनुसरण करें, खालिस तौहीद को आवश्यक जानें, बुराईयों को छोड़ दें, यदि लोग उनके लिए

झुकें या उनके पाँव चूमें तो उनसे अप्रसन्नता व्यक़रत करें, अपने लिए किसी विशेष लिवास को न अपनायें, क्योंकि यह सारी चीजें रसूल की सुन्नत के विरुद्ध हैं। अल्लाह के रसूल ﷺ इनसे मुक्त हैं, अल्लाह के निकट सब से अधिक संयमी ही सबसे अधिक मान्य वाला है।

"صلى الله على نبينا وآله وسلم تسليماً"

क़ानून बनाने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है

जहाँ भी इस्लामी शास्त्र का अधिपत्य होगा वहाँ न्याय, दया और श्रेष्ठता का बोलवाला होगा ।

ला इलाहा इल्लल्लाहु के अर्थ में इस बात का भी आस्था रखना और उस पर अमल करना आवश्यक है कि : क़ानून एवं शास्त्र को बनाने का इख़्तियार केवल अल्लाह के लिए विशेष है, किसी मानव को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा क़ानून बनाये जो इस्लामी शास्त्र के विरुद्ध हो, किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं है कि अल्लाह के क़ानून से हट कर न्याय करे, इस्लामी शरीअत के विरुद्ध किसी आदेश से वह प्रसन्न न रहे और न किसी को यह अधिकार है कि वह हलाल को हराम करे या हराम को हलाल करे, जो कोई यह अनुचित कार्य करेगा जान बूझकर धर्म के विरोध की नीयत से और उससे प्रसन्न होगा तो वह काफ़िर हो जायेगा, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

तथा जो कोई अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार न्याय न करे तो वह काफ़िर है । (सूरह मायदा: ४४)

रसूलों के भेजने का उद्देश्य :

अल्लाह तआला ने रसूलों को क़लमये तौहीद (ला इलाहा इल्लल्लाह) का निमंत्रण देने और शिक्षा देने के लिए भेजा, यानि

एक ही अल्लाह की उपासना की जाये तथा मानव की उपासना से बचा जाये, उसी के शास्त्र को आदेश बनाया जाये और सारी चीजों से विमुखता की जाये ।

जो कुरआन को दूरदर्शिता के साथ पढ़ेगा तथा अंधविश्वास से मुक्त होगा वह हमारी बयान की हुई चीजों को सत्यता के साथ स्वीकार करेगा, यह बात भी उस पर प्रकट होगी कि अल्लाह तआला ने अपने बंदों के बीच सीमायें निश्चित कर रखी हैं, अल्लाह और मोमिन (ईश्वरवादी) बंदा का सम्बन्ध यह है कि वह केवल एक अल्लाह की उपासना करे, उसका तथा नबियों एवं नेक बंदों का सम्बन्ध यह है कि वह उनसे प्रेम एवं मुहब्बत रखे (जो कि अल्लाह की मुहब्बत के अधीन हो) उन की पैरवी करे, मोमिन बन्दा का संबन्ध काफिरों से घृणा एवं वैर पर आधारित होगा इसलिए कि अल्लाह उनसे वैर रखता है, इसके बावजूद वह उन्हें इस्लाम का निमंत्रण देता रहेगा, शायद कि उन्हें निर्देश (हिदायत) मिल जाये, यदि वह इस्लाम का इंकार करे या अल्लाह के आदेश के सामने सिर झुकाने से इंकार करे तो फिर उनसे जिहाद किया जायेगा, ताकि दुनिया में फितना समाप्त हो जाये, और सारा धर्म अल्लाह ही के लिए हो, यह कलमये तौहीद (ला इलाहा इल्लल्लाह) के अर्थ है, सच्चा मुसलमान होने के लिए इस का जानना और उस पर कार्य करना अनिवार्य है ।

अल्लाह के रसूल मुहम्मद ﷺ की गवाही का अर्थ :

अल्लाह के रसूल मुहम्मद ﷺ की गवाही देने का अर्थ यह है कि आप इस बात का ज्ञान एवं विश्वास रखें कि मुहम्मद ﷺ सारे



लोगों के लिए रसूल हैं और वह बंदा है उनकी उपासना न की जाये, रसूल हैं इसलिए झुठलाये न जायें बल्कि उनकी आज्ञाकारी एवं पैरवी की जाये, जिसने उनकी पैरवी की वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जिसने उनकी अवज्ञा की वह आग में होगा, इस बात का ज्ञान एवं विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र चाहे उपासना में हो, आदेश एवं राजनीति में हो और उचित एवं अनुचित करने में हो वह केवल रसूल अकरम ﷺ से ली जायेगी, क्योंकि वह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की ओर से शास्त्र पहुँचाते हैं जो आदेश अल्लाह के रसूल के माध्यम से न हो वह स्वीकृत योग्य नहीं है, अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

तथा जो तुम्हें रसूल दें तुम उसे ले लिया करो और जिस चीज से रोकें रुक जाया करो । (सूरह अल-हर-७)

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(ऐ ' पैगम्बर) तुम्हारे रव की कसम वह मोमिन नहीं होंगे जब तक यह आपसी झगड़ों में आप को पंच एवं निर्णय करने वाला न बना लें, फिर आप के निर्णय से दिलों में कोई क्षति एवं संकीर्णता महसूस न करें और प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लें । (सूरह निसा:६५)

पहली आयत में अल्लाह तआला मुसलमानों को आदेश दे रहे हैं कि वह उसके रसूल मुहम्मद ﷺ का हर मामला में पैरवी करें और हर उस चीज से रुक जायें जिस से आप ﷺ ने रोका है, इसलिए कि आपका आदेश एवं आप का प्रतिबंध अल्लाह की ओर से होता है।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला क्रसम खा कर फरमा रहा है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान उस समय तक सही नहीं होगा जब तक अपने आपसी विरोधों में अल्लाह के रसूल ﷺ को निर्णय करने वाला न बना लें, फिर उस आदेश को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लें चाहे वह अपने हित में हो या न हो, अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया :

"من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد"

"जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो हमारे तरीका पर न हो तो वह काम स्वीकृत योग्य नहीं है उसे रद कर दिया जायेगा।" (सही मुस्लिम)

निमंत्रण का विचार :

ऐ बुद्धिमान ! जब तुझे "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" का अर्थ मालूम हो गया और इससे भी परिचित हो गये कि 'शहादत' (गवाही) इस्लाम की कुंजी है, इसका आधार है, जिस पर इस्लाम धर्म का भवन स्थिर है तो तुझे चाहिए कि पवित्र



हृदय से "अश्हदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" का समर्थन करे तथा इस 'शहादत' के अनुसार कार्य करे ताकि लोक एवं परलोक में कल्याण प्राप्त हो और परलोक में कष्ट से मुक्ति भी मिले ।

यह भी मालूम होना चाहिए कि "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही की माँग है कि इस्लाम के सभी आधारों पर चला जाये, अल्लाह ने इन आधारों को इसीलिए अनिवार्य किया है कि मुसलमान इन्हें सत्यता एवं निर्मलता के साथ अदा करके अल्लाह तआला की उपासना करे, जिसने बिना किसी धार्मिक बाधा के किसी भी आधार को छोड़ दिया उसने "ला इलाहा इल्लल्लाह" के अर्थ में बाधा डाला इसलिए उसकी गवाही विश्वस्त नहीं होगी ।

इस्लाम के स्तंभों का दूसरा आधार : नमाज़

इस्लाम का दूसरा आधार नमाज़ है । दिन रात मिलाकर पाँच नमाज़ें हैं, अल्लाह तआला ने अपने और बन्दों के बीच सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए इसे अनिवार्य किया है, जिसमें वह अपने अल्लाह से अपने मन की बातें करता है, उससे दुआ माँगता है, यह नमाज़ मुसलमानों को निर्लज्जता एवं दुराचारी से बचाने का साधन है । इससे उसे शारीरिक एवं हार्दिक सुख मिलता है, आराम एवं संतोष मिलता है और इससे उसकी दुनिया व आखिरत बनती है ।

नमाज़ के लिए अल्लाह ने शरीर, वस्त्र और नमाज़ के स्थान की पवित्रता का आदेश दिया है, मुसलमान पवित्र पानी से पवित्रता

प्राप्त करता है मालीनता को दूर करता है जैसे पेशाब एवं पैखाना । नमाज के द्वारा वह अपने शरीर को मालीनता से और अपने हृदय को मैलापन से पवित्र करता है ।

नमाज इस्लाम धर्म का स्तंभ है, "कलमये तौहीद" के बाद सब से मुख्य आधार यही है, मुसलमान पर अनिवार्य है कि युवावस्था में पहुँचने के बाद से मृत्यु तक इसकी पाबन्दी करे, उस पर आवश्यक है कि वह अपने घर के लोगों को इसका आदेश दे और जब बच्चे सात वर्ष के हो जायें तो उन्हें भी इसकी शिक्षा दे ताकि वह इसका आदी बन सकें । अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

निःसंदेह नमाज मोमिनों पर निश्चित समय में अनिवार्य है।
(सूरह निसा:१०३)

अल्लाह तआला ने फरमाया है :

﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾

हालांकि उन्हें यही आदेश दिया गया था कि एक ही अल्लाह की उपासना करें पूर्ण शुद्धता के साथ, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए और नमाज स्थापित करें, जकात अदा करें क्योंकि यही सत्य धर्म है । (सूरह बैय्यना:५)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

पहली आयत का उद्देश्य यह है कि नमाज मुसलमानों पर अत्यन्त आवश्यक है, उन्हें चाहिए कि निश्चित समय पर उसे अदा करें, दूसरी आयत में अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जिस उद्देश्य के लिए उन्हें जन्म दिया और जो आदेश उन्हें दिया वह केवल यह है कि वह एक ही अल्लाह की उपासना करें, नमाज स्थापित करें और सहायता योग्य लोगों को 'जकात' (दान) दिया करें।

नमाज मुसलमानों पर हर हाल में आवश्यक है, रोग की हालत में भी उस पर अनिवार्य है, सामर्थ्य के अनुसार ठहर कर या बैठकर या लेटकर अदा करेगा, यहाँ तक कि यदि हिलने की शक्ति न हो तो आँख एवं दिल के संकेतों ही से नमाज पढ़ेगा, रसूले अकरम ﷺ ने फरमाया :

"नमाज छोड़ने वाला मुसलमान नहीं है, पुरुष हो कि महिला।"

आप का कथन है :

"العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"

"हमारे और काफिरों के बीच नमाज का वचन है जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया।" (सही हदीस)

पाँच नमाज़ें निम्नलिखित हैं :

फ़ज़्र, जोहर, अस्त्र, मगरिब और ईशा। फ़ज़्र की नमाज का समय पूरव में सुबह की लाली प्रकट होने से आरम्भ होती है तथा सूर्य

के उदय पर समाप्त होता है, अंतिम समय तक विलम्ब करना जायज नहीं है।

जोहर का समय जवाल (सूर्य के पतन) से आरम्भ होता है और हर चीज का छाया उसके सामान होने तक रहता है, जवाल की छाया को छोड़कर हिसाब किया जायेगा, अस्त्र का समय जोहर के समय के समाप्त होने के बाद आरम्भ होता है, सूर्य के पीला होने तक रहता है, अंतिम समय तक नमाज की अदाईगी में विलम्ब करना जायेज नहीं है, बल्कि जब सूर्य में सफेदी एवं चमक हो उसी समय अदा कर लेनी चाहिए, मगरिब का समय सूर्य डूबने से आरम्भ हो जाता है तथा आकाश की लाली समाप्त होने तक रहता है, अंतिम समय तक विलम्ब करना सही नहीं है, मगरिब का समय समाप्त होने के बाद ईशा के समय का आरम्भ होता है तथा आधी रात तक बाकी रहता है इस से अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता।

यदि किसी मुसलमान ने विना किसी धार्मिक कारण के नमाज में भी इतना विलम्ब कर दिया कि उसका समय निकल जाये तो उसने महा अपराध किया, उस पर आवश्यक है कि वह तौबा करे और दोबारा इस प्रकार का अपराध न करे।

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

फिर तवाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों की चिंता नहीं करते। (सूरह माऊन: ४, ५)



नमाज के अहकाम

प्रथम : तहारत (पवित्रता)

नमाज में प्रवेश करने से पहले मुसलमान पर आवश्यक है कि वह पवित्रता प्राप्त करे, अपने गुप्तांग को साफ करे यदि उससे पेशाब या पैखाना निकला हुआ हो तो फिर वुजू करे।

वजू :

अपने दिल में पवित्रता की नियत करे जुवान से कुछ न कहे इसलिए कि अल्लाह दिल के संकल्प को जानने वाला है, अल्लाह के रसूल ﷺ जुवान से नियत को प्रकट नहीं करते थे, फिर विसमिल्लाह कहे फिर कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और नाक झाड़े, पूरे चेहरे को धोये, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोये, दाहिने हाथ से शुरू करे, दोनों हाथों से पूरे सिर का मसह करे, कानों का मसह करे, दोनों पावों को टखनों तक धोये, दाहिने पांव से शुरू करे।

वजू के बाद यदि हवा, पेशाब, पैखाना निकल जाये या नींद और बेहोशी के कारण बुद्धि जाती रहे तो नमाज के लिए उसे दोबारा वजू करना चाहिए।

यदि मुसलमान जनावत (अशौच) की हालत में हो यानी पुरूष महिला के संभोग से मनी (वीर्य) निकली हो अथवा संभोग के बिना ही चाहे नींद ही में क्यों न हो तो वह पूरे शरीर को स्नान के द्वारा पवित्रता प्राप्त करेगा, महिला यदि हैज (मासिक धर्म) या

निफास (प्रसव रक्त) से पवित्र हो तो उस पर भी आवश्यक है कि पूरे शरीर को स्नान के द्वारा पवित्रता प्राप्त करे। मासिक धर्म वाली और प्रसव रक्त वाली महिला की नमाज सही नहीं है जब तक कि वह पवित्र न हो जाये, उन पर नमाज अनिवार्य भी नहीं है। अल्लाह ने उन पर यह आसानी की है कि हैज व निफास में जो नमाजें छूट जायें उसकी कजा भी नहीं की जायेगी, इसके अतिरिक्त जो चीजें छूट जायें उस की कजा की जायेगी पुरूष की तरह।

तयम्मुम :

जिसे पानी न मिले या पानी का प्रयोग उसके लिए हानिकारक हो जैसे कोई बीमार हों तो ऐसी अवस्था में वह तयम्मुम के द्वारा पवित्रता प्राप्त करेगा।

तयम्मुम का तरीका :

दिल में पवित्रता की नियत करे फिर विसमिल्लाह कहे, मिट्टी पर दोनों हाथों को एक बार मारे, उन्हें चेहरे पर मले फिर बायें हथेली से दायें हाथ के ऊपरी भाग पर मसह करे और दायीं हथेली से बायें हाथ के ऊपर मसह करे, इस प्रकार उसे पवित्रता प्राप्त हो जायेगी और यही तयम्मुम का तरीका है, मासिक धर्म एवं प्रसव रक्त वाली महिला के लिए जब वह पवित्र हो तथा 'जुंबी' के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जो वजू करना चाहे और पानी न मिले या उसके प्रयोग से क्षति का भय हो।



द्वितीय : नमाज का तरीका

१. फ़ज्र की नमाज : इसकी दो रिकअत हैं, सबसे पहले मुसलमान क़िबला की ओर मुँह करके खड़ा होगा, क़िबला से तात्पर्य काबा है जो मक्का में 'मस्जिदे हराम' में स्थापित है, दिल में यह नियत करे कि मैं फ़ज्र की नमाज पढ़ रहा हूँ जुबान से नियत के शब्द नहीं अदा करे फिर अल्लाहु अकबर कहे उसके बाद नमाज आरम्भ करने की कोई दुआ पढ़े, एक दुआ यह भी है।

"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

"तेरी पवित्रता है ऐ अल्लाह ! तेरी प्रशंसा के साथ, तेरा नाम बरकत वाला है, तेरी शान ऊँची है, तेरे अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित नहीं है, मैं मरदूद शैतान से तेरी पनाह चाहता हूँ।"

फिर सूरह फ़ातिहा पढ़े :

﴿يَاسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
 ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ
 نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضّٰلِّیْنَ﴾

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो रहमान और रहीम है, हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है वह

रहमान और रहीम है, न्याय के दिन का मालिक है, हम तेरी ही उपासना करते हैं, तथा तुझ ही से सहायता चाहते हैं, हमें सीधे मार्ग पर चला उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने दया की, उन लोगों के मार्ग पर नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और न उन लोगों के मार्ग पर जो पथभ्रष्ट हुए।

कुरआन को अरबी ज़ुबान ही में पढ़ना आवश्यक है। फिर अल्लाहु अकबर कहे और रुकूअ करे इसमें अपनी पीठ एवं सिर को नीचा करे, अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखे और यह दुआ पढ़े: "سبحان ربي العظيم" "मेरे महान पालक की पवित्रता है।" फिर कहे : "سبح الله لمن حمده" कहते हुए सिर उठाये जब सीधा खड़ा हो जाये तो यह दुआ पढ़े : "ربنا ولك الحمد" "ऐ मेरे रब तेरे ही लिए प्रशंसा है।" फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में चला जाये, सजदा में दोनों पाँव की अंगुलियाँ दोनों हाथ, दोनों घुटने, पेशानी और नाक ज़मीन पर लगनी चाहिए। सजदा में यह दुआ पढ़े : "سبحان ربي الاعلى" "मेरे ऊँचे एवं उत्तम रब की पवित्रता हो।" फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ बैठ जाये और यह दुआ पढ़े : "رب اغفر لي" "ऐ मेरे रब मेरी मुक्ति फ़रमा।"

¹ यदि कुरआन को अरबी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में पढ़ा जाये तो वह कुरआन नहीं होगा, इसलिए कि कुरआन के शब्दों का अनुवाद असंभव है बल्कि उसके अर्थों का अनुवाद होता है, उसके अक्षर एवं शब्द का यदि अनुवाद किया जाये तो उसकी अलंकृत शैली समाप्त हो जाती है उसके कुछ अक्षर समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार वह कुरआन बाक़ी नहीं रह जाता।

फिर अल्लाहु अकबर कहे तथा दूसरा सिजदा करे, इसमें "سبحان" पढ़े फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाये, फिर सूरह फ़ातिहा जैसाकि पहली रिकअत में पढ़ा था वैसे ही पढ़े, फिर तकबीर कहे और रुकूअ करे, रुकूअ से उठे तो सजदा करे । सजदा से बैठे फिर दूसरा सजदा करे, इन सभी अवसरों पर वही शब्दों एवं दुआवों को पढ़े जिसको पहली रिकअत में पढ़ा था, दो रिकअतों के बाद बैठे तो यह पढ़े :

"التحيات لله ، والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله"

"सभी मौखिक, शारीरिक और आर्थिक उपासनायें अल्लाह ही के लिए हैं, ऐ नबी आप पर अल्लाह का सलाम एवं उसकी दया और बरकत हो, हम पर भी तथा सारे नेक बंदों पर भी सलाम हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित नहीं है और इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के वन्दे एवं उसके रसूल हैं।"

"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد"

"ऐ अल्लाह मुहम्मद पर और मुहम्मद की संतान पर तू
रहमत भेज जैसाकि तूने इब्राहीम और इब्राहीम की संतान
पर रहमत भेजा।"

फिर दायें-वायें दोनों ओर "अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व
वरकातोहू" कहते हुए सलाम फेरे। इस प्रकार सुबह यानी फ़ज़्र
की नमाज़ पूरी हुई।

२. **जोहर, अस्त्र तथा ईशा की नमाज़** : चार रिकअत हैं, पहले दो
रिकअतें उसी प्रकार अदा करेगा जिस प्रकार फ़ज़्र की दो रिकअतें
अदा की थी किन्तु 'तश्हूद' में बैठने और उसकी दुआयें पढ़ने के
बाद सलाम नहीं फेरेगा बल्कि खड़ा हो जायेगा तथा तीसरी एवं
चौथी रिकअत पढ़ेगा जैसाकि पहली दो रिकअतों को अदा किया
था, अंतिम रिकअत में 'तश्हूद' में बैठेगा 'अत्ताहियात' पढ़ेगा,
फिर दरूद पढ़ेगा फिर दायें-वायें सलाम फेरेगा।

३. **मगरिब की नमाज़** : मगरिब की नमाज़ में तीन रिकअत होते
हैं दो रिकअत वैसे ही पढ़ेगा जैसाकि ऊपर बयान हो चुका है
फिर 'तश्हूद' में बैठेगा, 'तश्हूद' पढ़ने के बाद तीसरी रिकअत
के लिए खड़ा हो जायेगा तीसरी रिकअत में वही कुछ करेगा जो

¹ 'दरूद' के बाद भी अल्लाह के रसूल ﷺ से दुआयें सावित हैं : लेखक ने
यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है जैसे :

"اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الحيا والممات

ومن فتنة المسيح الدجال- " يا "اللهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر

الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم"

इससे पहले कि रिकअतों में कर चुका है, दूसरे सजदा के बाद 'तश्हूद' में बैठेगा, अत्तहियात, दरूद और दुआ के बाद दायें-बायें सलाम फेरेगा, रुकूअ एवं सुजूद की दुआयें बार-बार दोहरायेगा क्योंकि बार-बार दोहराना ज़्यादा अफ़जल है।

पुरुषों पर आवश्यक है कि वह यह पांच नमाज़ें मस्जिद में जमाअत के साथ अदा करें, इमामत ऐसा व्यक्ति करे जिसकी किरात बेहतर हो, नमाज़ के अहकाम को जानने वाला एवं दीनदार हो, इमाम फ़ज़्र की नमाज़ और मगरिब व ईशा की पहली दो रिकअतों में किरात ऊँचे स्वर में पढ़ेगा और मुक्तदी उसको ध्यान से सुनेगा।

महिलायें इन नमाज़ों को पूरे पर्दा के साथ घर ही में अदा करेगी, महिला अपने पूरे शरीर को ढाँकेगी अपने हाथ पाँव भी ढाँकेगी, इसलिए कि उसका पूरा शरीर परदा में होना चाहिए सिवाय चेहरा के, पुरुषों की उपस्थिति में चेहरा भी छुपायेगी, इसलिए कि वह उपद्रव का कारण है, इससे उसकी पहचान होगी और कष्ट में पड़ जायेगी, महिला का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायेज है किन्तु शर्त यह है कि वह पूरे परदा में बिना खुशबू के निकले, पुरुषों के पीछे नमाज़ पढ़े ताकि न उपद्रव का कारण बने और न स्वयं उपद्रव में पड़े।

मुसलमान को चाहिए कि पूर्ण तन्मयता (खुशूऊ) एवं विनय के साथ नमाज़ अदा करे, अपने क्रयाम, रुकूअ एवं सजदा में धैर्य एवं संतोष बनाये रखे शीघ्रता न करे, अनुचित व्यवहार न करे,

आकाश की ओर निगाह न उठाये, कुरआन के अतिरिक्त कोई चीज न पढ़े तथा नमाज के अजकार (विर्द) को उनके स्थानों पर अदा करे।¹ इसलिए कि अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए नमाज का आदेश दिया है।

जुमा के दिन मुसलमान नमाजे जुमा दो रिकअत अदा करेंगे, इमाम दोनों रिकअतों में फ़ज़्र की नमाज की तरह ऊँचे स्वर में किरात करेगा, इससे पहले दो खुतवा देगा जिस में वह मुसलमानों को सदुपदेश देगा, उन्हें धार्मिक मसायल बतायेगा, पुरूषों पर आवश्यक है कि वह जुमा की नमाज मस्जिद में इमाम के साथ अदा करें, जुमा के दिन यही जोहर की नमाज होती है।

इस्लाम का तीसरा स्तम्भ ज़कात :

अल्लाह तआला ने हर मुसलमान को जिसके पास एक सीमा तक धन-दौलत है (जिस पर ज़कात अनिवार्य हो) उसे हर वर्ष ज़कात निकालने का आदेश दिया है जिसे वह मिस्कीनों, निर्धनों और सहायता योग्य लोगों को देगा, जिसकी चर्चा कुरआन में है, सोने का निसाब जिस पर ज़कात अनिवार्य है बीस मिस्काल (८७ ग्राम) है, चाँदी का माल जिस पर ज़कात अनिवार्य है ५२.५ तोला चाँदी

¹ यदि किसी को चेतावनी देनी हो या रद्द करना हो तो "सुव्हानल्लाह" कहे, इमाम से कुछ कमी या ज्यादाती एवं ग़लती हो जाये तब भी 'मुक्तदी' "सुव्हानल्लाह" कर कर उसको सतर्क करेगा, यदि किसी को बुलाना हो तो नमाजो "सुव्हानल्लाह" कहेगा, महिला की आवाज़ फितना का कारण बन सकती है इसलिए वह ताली बजा कर सचेत करेगी।

(६११.५ ग्राम) अथवा दो सौ दिरहम है या उसके तुल्य नगद पैसा हो, व्यापार के वस्तु का मूल्य यदि जकात की सीमा को पहुँच जाये तो साल पूरा होने के बाद उसके मालिक पर आवश्यक है कि उसकी जकात अदा करे ।

फल एवं अनाज पर जकात की सीमा तीन सौ 'साअ' है, (८ कुन्टल के समीप) सम्पत्ति यदि बेचने के लिए हो तो उसके मूल्य की जकात अदा की जायेगी और यदि किराया के लिए रखी हो तो किराया पर जकात अदा की जायेगी ।

सोने एवं चाँदी और व्यापार के वस्तु पर जकात की मात्रा चालीसवाँ भाग है उसे हर वर्ष अदा करना होगा, फल एवं अनाज विना मेहनत के हो जैसे नदी, नाला या वर्षा के पानी से उसकी सिंचाई हो तो उसमें दसवाँ भाग जकात अदा की जायेगी और यदि उसकी सिंचाई में मेहनत एवं खर्च हो तो उसमें बीसवाँ भाग जकात दी जायेगी ।

फल एवं अनाज की जकात उसकी कटाई के समय ही दी जायेगी, और एक वर्ष में दो तीन बार खेती हुई तथा दो तीन बार कटाई हुई तो वह तीन बार उसकी जकात अदा करेगा ।

गाय, बैल, बकरी एवं ऊँट की जकात के संबन्ध में अहकाम की किताबों में विस्तार के साथ चर्चा है कृपया उस ओर सम्पर्क करें! अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾

हाँलाकि उन्हें यही आदेश दिया गया था कि एक ही अल्लाह की उपासना करें पूर्ण तन्मयता के साथ धर्म को उसके लिए शुद्ध करते हुए तथा नमाज को स्थापित करें, जकात अदा करें और यही सत्य धर्म है। (सूरह बैय्यना:५)

जकात निकालने के बहुत सारे लाभ हैं जैसे इससे निर्धनों को ढारस बंधता है कि उनकी आवश्यकतायें पूरी होती हैं, निर्धनों एवं धनवानों के बीच प्रेम एवं मुहब्बत के सम्बन्ध दृढ़ होते हैं।

समाज की प्रतिभूति एवं आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में इस्लाम धर्म ने केवल जकात ही पर ठहराव नहीं किया है बल्कि धनवानों पर अनिवार्य कर दिया है कि अकाल के समय में निर्धनों की सहायता करें, मुसलमान पर हराम है कि वह पेट भर खाये जब कि उसका पड़ोसी भूखा हो, मुसलमानों पर जकात फितर भी अनिवार्य किया गया जो ईद के दिन अदा करेगा जिसकी मात्रा एक 'साअ' है तथा उसे खाने वाली आम चीजों में से अदा करेगा, फितरा हर व्यक्ति की ओर से अदा की जायेगी, यहाँ तक कि बच्चा एवं नौकर की ओर से भी उसका मालिक अदा करेगा, मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह 'कसम का कफ़ारा' भी अदा करे यदि उसने कसम खाई हो तथा फिर उसे तोड़ दिया हो। अल्लाह ने मुसलमानों पर प्रतिज्ञा पालन को भी अनिवार्य किया है, तथा नफ़ली 'सदका' व 'खैरात' पर भी उभारा है, अल्लाह के

¹ कसम के कफ़ारा में गुलाम आजाद करने दस मिस्कीनों को खाना खिलाने या उन्हें कपड़े बनवाने में अधिकार दिया गया है, यदि यह सब संभव न हो तो दीन रोज़े रखेगा।

मार्ग में खर्च करने वालों को उत्तम प्रतिशोध का वादा है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उन्हें कई गुना प्रतिशोध से सम्मानित करेगा, हर नेकी का बदला दस गुना से सात सौ गुना है बल्कि इससे भी अधिक होता है ।

इस्लाम का चौथा स्तम्भ रोज़ा :

रमजान महीना का रोज़ा रखना एवं रोज़े का तरीका :

मुसलमान रोज़े की नियत सुबह होने से पहले करता है, फिर खाने-पीने और संभोग करने से सूरज डूबने तक बचा रहता है, फिर इफ़तार करता है, यह कर्म पूरा महीना करता है, इसका उद्देश्य अल्लाह की उपासना एवं प्रसन्नता की प्राप्ति है ।

रोज़े का लाभ :

रोज़े के अनगिनत लाभ हैं । कुछ मुख्य लाभों को यहाँ दर्शाया जा रहा है :

१. वह अल्लाह की उपासना एवं उसके आदेश का पालन है, अल्लाह के लिए बन्दा अपना खाना-पीना और संभोग आदि को त्याग देता है, यह संयमता का मुख्य कारण है ।
२. रोज़ा से शारीरिक, आर्थिक एवं सामूहिक स्तर पर बहुत से लाभ हैं, इसका बोध वही लोग कर सकते हैं जो ईमान एवं विश्वास के साथ रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोजे अनिवार्य किये गये, जैसाकि तुम से पहले लोगों पर अनिवार्य किये गये थे आशा है कि तुम संयमी (तक्रवा वाले) बन जाओ । (सूरह बकरा:१८३)

और फरमाया :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

रमजान का महीना वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया, लोगों के निर्देश (हिदायत) के लिए, इसमें निर्देश की खुली-खुली दलीलें हैं और सत्य को असत्य से पहचानने का तर्क, तुममें से जो इस महीना में उपस्थित रहे (यात्रा पर न हो) वह रोजा रखे और जो बीमार हो या यात्रा में हो तो वह रोजों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे लिए सरलता चाहता है कष्ट देना नहीं चाहता है और यह चाहता है कि तुम रमजान की गिनती पूरी करो तथा अल्लाह की प्रशंसा किया करो इस उपकार पर कि तुम्हें सीधा रास्ता चलाया और इसलिए तुम उसका शुक्र अदा कर सको । (सूरह बकरा:१८५)

रोजे के अहकाम जिसका वर्णन कुरआन एवं हदीस में है :

१. रोगी एवं यात्री को रोजा छोड़ने की अनुमति है, जितने रोजे छूट गये हों उसके बदले रमजान के बाद रोजे रखना होगा ।
२. मासिक धर्म (हैज) एवं प्रसव रक्त (निफास) वाली महिला भी इस अवस्था में रोजा नहीं रखेगी, उसकी क़जा रमजान के बाद करेगी ।
३. गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली महिला भी यदि अपने आप पर या अपने बच्चा से भयभीत हो तो रोजा छोड़ देगी बाद में उसकी क़जा करेगी ।
४. रोजेदार भूलकर खा-पी ले तो उसका रोजा सही है, अल्लाह ने मुहम्मद ﷺ की उम्मत की भूल एवं विवश्ता को क्षमा कर दिया है, मुंह में जो कुछ है उसका तुरन्त निकाल फेंकना अनिवार्य है ।

इस्लाम का पांचवा स्तम्भ हज :

पूरी आयु में अल्लाह के घर का एक बार हज करना अनिवार्य है, एक से अधिक बार 'नफिल' है, हज के बहुत से लाभ हैं :

१. प्राण वायु (रूह) एवं शरीर और धन के माध्यम से यह अल्लाह की उपासना है ।
२. इसमें हर स्थान से मुसलमानों का सम्मेलन होता है, एक ही

स्थान पर मिलते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, एक ही रव की एक ही समय में उपासना करते हैं, दास एवं स्वामी, निर्धन एवं धनवान, काले एवं गोरे में कोई अंतर नहीं। सब अल्लाह की मखलूक और उसके बंदे हैं, मुसलमान आपस में परिचय एवं सहयोग प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन को याद करते हैं जबकि अल्लाह सबको एक ही मैदान में एकट्ठा करेगा उनका लेखा-जोखा होगा, यूँ अल्लाह की आराधना करके मृत्यु के बाद आने वाले दिन की तैयारी करते हैं।

हज में मुसलमानों का 'क्रिबला व काबा' के चारों ओर तवाफ करने का उद्देश्य होता है, अल्लाह ने जिसकी ओर मुँह करके हर नमाज को पढ़ने का आदेश दिया है, चाहे जहाँ कहीं भी उपस्थित हों, पवित्र स्थानों पर ठहराव का भी उद्देश्य होता है, जैसे अरफात एवं मुजदलिफा और मिना हैं। इन सारे कार्यों का उद्देश्य उन पवित्र स्थानों में अल्लाह के आदेशानुसार अल्लाह की उपासना करना है।

काबा हो या अन्य पवित्र स्थान, बल्कि संपूर्ण जगत में किसी की उपासना नहीं की जायेगी, न वह लाभ एवं हानि के मालिक हैं, उपासना केवल एक अल्लाह की की जायेगी, लाभ एवं हानि की शक्ति केवल अल्लाह के पास है, यदि अल्लाह तआला हज्जे बैतुल्लाह का आदेश नहीं फरमाते तो मुसलमानों का हज करना सही नहीं होता, इसलिए कि उपासना अपनी इच्छा या अपनी राय के आधार पर नहीं होती बल्कि केवल अल्लाह के आदेश से होगी जिसकी चर्चा अल्लाह की किताब में होगी या फिर अल्लाह के

रसूल ﷺ की सुन्नत में होगी। अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

तथा लोगों में जो बैतुल्लाह के जाने की क्षमता रखते हैं उस पर हज अनिवार्य है अल्लाह के लिए तथा जो कोई न माने तो अल्लाह तआला सारे जहानों से बेपरवाह है।¹
(सूरह आले इमरान:९७)

'उमरा' जीवन में एक बार मुसलमान पर अनिवार्य है चाहे हज के साथ करे या किसी और समय में अदा करे।

मस्जिदे नबवी की जियारत न हज में अनिवार्य है और न किसी और समय में बल्कि 'मुस्तहब' (प्रिय) है, जियारत करने वाले को पुण्य (सवाब) मिलेगा न करने वाले को गुनाह नहीं है।

जो हदीस आम लोगों की जुबान पर है :

"من حج فلم يزرني فقد جفاني"

जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की तो उसने मुझ पर

¹ लोग मजारों, दरगाहों एवं कब्रों की जियारत की प्रतिज्ञा करते हैं जो सरासर गुमराही और अल्लाह एवं रसूल का विरोध है, अल्लाह के रसूल ﷺ फरमाते हैं : "जियारत की नियत से यात्रा केवल तीन मस्जिदों के लिए की जायेगी। मस्जिदे हुराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अकसा।

अत्याचार किया, यह हदीस सही नहीं है, बल्कि वह अल्लाह के रसूल ﷺ पर झूठ गढ़ी हुई है।¹

हाँ मस्जिदे नबवी की जियारत के लिए यात्रा करना सही है, "जाईर" (तीर्थ यात्री) जब मस्जिदे पहुँच जाये तो "तहिय्यतुल मस्जिद" अदा करे, फिर नबी अकरम ﷺ की कब्र की जियारत करना जायज है, इस प्रकार उन पर सलाम करेगा : अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह।

"ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, पूर्ण शिष्टाचार, सम्मान और धीमे स्वर से सलाम करे, आप से कोई चीज नहीं माँगे बल्कि केवल सलाम करके वापिस चला जाये।

आप ने उम्मत को यही आदेश दिया है, सहाबा का भी यही व्यवहार था, जो लोग नबी ﷺ की कब्र के पास विनय एवं नम्रता के साथ ठहरते हैं और आप से अपनी सहायता तलब करते हैं या मदद माँगते हैं या आप को अपने और अल्लाह के बीच माध्यम बनाते हैं यह सब अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, नबी ﷺ इनसे मुक्त हैं, हर मुसलमान ऐसे कामों को जो नबी ﷺ के साथ

¹ उसी प्रकार यह हदीस भी है कि मेरे पद एवं दर्जा के वसीला को थामे रहो मेरा पद अल्लाह के निकट बहुत बड़ा है, यह हदीस भी उसी प्रकार सिद्ध नहीं है 'जिसने किसी पत्थर में भी अच्छा गुमान किया तो वह उसका लाभ पहुँचायेगा' यह सारी झूठी गढ़ी हुई हदीसों हैं, हदीस की विश्वस्त पुस्तकों में इनका कोई नाम व निशान नहीं है बल्कि यह और इस जैसी हदीसों गुमराह करने वाले विद्वानों की पुस्तकों में मिलती हैं जो शिर्क एवं विदअत का निमंत्रण देते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता।

हो या किसी और के साथ कदापि न करे, इससे बचा रहे, उसके बाद आप के दोनों साथी (अबू बकर और उमर) रजि अल्लाहु अन्हुमा की कब्रों की जियारत करे, फिर अहले 'बक्रीअ' तथा शहीदों की कब्रों की जियारत करे, धार्मिक जियारत का तरीका यह है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान जाये, कब्र वालों को सलाम करे उनके लिए अल्लाह से दुआ करे, मृत्यु को याद करे और लौट जाये ।

उमरा एवं हज का तरीका :

सबसे पहले हज करने वाले को चाहिए कि अपने हलाल एवं पवित्र धन को अपनाये, हराम मालों से बचे, इसलिए कि हराम माल दुआ एवं हज के स्वीकृत न होने का कारण बनता है, हदीस में है (हर माँस जो हराम माल से बना हो, आग उसका अधिक हकदार है) अच्छे साथियों को अपनाये जो तौहीद और ईमान पर चलने वाले हों ।

मीकात :

हाजी जब मीकात (एहराम बाँधने का स्थान) पहुँचे तो एहराम बाँधे यदि गाड़ी आदि में जाये तो मीकात पहुँचने के बाद एहराम बाँधे; यदि हवाई जहाज में हो तो मीकात पहुँचने से पहले एहराम बाँधे ताकि मीकात से आगे न बढ़ जाये, मीकात जहाँ से एहराम बाँधने का आदेश नबी करीम ﷺ ने दिया वह पाँच हैं :

१. जुल हुलैफा (आबयारे अली) मदीना वालों के लिए ।

2. जुहफा (राबिग के निकट है) वह शाम, मिस्र और पश्चिम वालों के लिए है।

3. करने. मनाज़िल (सैल या वादिये महरम) नज्द, ताइफ, और उस ओर से आने वालों के लिए है।

4. जाते इराक, ईराक वालों के लिए।

5. यलमलम, यमन वालों के लिए।

जो उपरोक्त क्षेत्रों के निवासी न हों किन्तु उसका वहाँ से गुजर हो तो वह वहीं से एहराम बाँध लेगा, मक्का वालों और जिन का घर मीकात के अन्दर हो वह अपने घरों से ही एहराम बाँध लेगा।

एहराम का तरीका :

एहराम से पहले पवित्रता प्राप्त करना और खुश्बू लगाना मुस्तहब (वह काम जिसे प्यारे रसूल ﷺ ने पसन्द फरमा कर स्वयं किया हो अथवा उसका पुण्य बयान फरमाया हो) है, फिर मीकात पर एहराम का वस्त्र पहन ले, जहाज पर यात्रा करने वाला अपने घर ही से तैयारी कर ले तथा जब मीकात के निकट हो या उस के ऊपर पहुँच जाये तो नियत कर ले तथा लम्बक पढ़ना आरम्भ कर दे, पुरुष के लिए एहराम का वस्त्र इजार (तहेबन्द) और चादर है जो बिना सिली हो वह उन्हें शरीर पर लपेट लेगा, सिर नहीं ढाँकेगा, महिला के लिए एहराम का कोई विशेष वस्त्र नहीं है उस पर केवल इतना अनिवार्य है कि वह ढीला-ढाला वस्त्र पहने, देखने वालों के लिए कोई फितना न हो,

एहराम में प्रवेश कर जाये तो अपना चेहरा और हाथों पर कोई सिली हुई चीज न पहने जैसे नक्राब या दस्ताने आदि । हाँ यदि पुरूषों का सामना हो तो अपने दोपट्टा से चेहरा ढाँक ले जैसा कि उम्माहातुल मोमिनीन (मुसलमानों की मातायें) और सहाबा की महिलायें किया करती थीं ।

एहराम का वस्त्र पहनने के बाद हाजी अपने दिल में 'उमरा' की नियत करे फिर यूँ तलबिया कहे (अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरा) ऐ अल्लाह मैं उमरा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, फिर 'तमत्तुअ' करेगा क्योंकि हज्जे तमत्तुअ ही उत्तम है, अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपने सहाबा को इसी का आदेश दिया तथा यही हज करना अनिवार्य बताया, जिन्होंने 'तमत्तुअ' करने में असमंजस जताया उनपर आप क्रोधित हुए, जिसके साथ जानवर हो वह "हज्जे किरान" करेगा, नबी ﷺ की तरह "हज्जे किरान" करने वाला अपने तलबिया में यूँ कहे (अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरा व हज्जन) ऐ अल्लाह मैं उमरा एवं हज के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, वह अपना एहराम यौमुन नहर को कुर्बानी करने तक न खोले, वह मुफरिद मात्र अकेला हज की नियत करता है और कहता है (अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन) ऐ अल्लाह मैं हज के लिए उपस्थित हूँ ।

मुहरिम पर वर्जित कार्य :

मुसलमान जब एहराम की नियत कर लेता है तो उस पर निम्नलिखित चीजें हराम हो जाती हैं :

१. जिमाअ (संभोग) बोसो-किनार (आलिंगन और मुख चुम्बने) या भोगेच्छा के लिए छूना, या इस प्रकार की बातें करना, शादी विवाह का पैगाम देना, निकाह करना, मुहरिम न स्वयं निकाह करेगा न दूसरों का निकाह करायेगा ।
२. बाल मुँडाना या उसकी काट-छाँट करना ।
३. नाखून काटना ।
४. ऐसी चीज से सिर ढाँकना जो सिर से चिमटी हुई हो, किसी चीज से छाव प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है, जैसे छतरी, खैमा तथा गाड़ी आदि ।
५. खुशबू लगाना या सूँघना ।
६. खूखे में शिकार न स्वयं शिकार, करेगा और न शिकार करने वाले को बतायेगा ।
७. पुरूष का सिला हुआ वस्त्र का पहनना, महिला का चेहरा एवं हाथों पर सिली हुई चीज का पहनना, चप्पल पहन सकता है, नहीं मिलने पर मोजे भी पहन सकता है ।

उपरोक्त चीजों में से किसी चीज का भूल कर या अज्ञानता के कारण उस काम को कर ले तो उसे तुरन्त अलग कर दे उस पर कोई पकड़ नहीं है ।

मुहरिम जब काबा पहुँचे तो तवाफ करे, यह तवाफे कुदूम होगा, तवाफ के सात चक्कार होते हैं, उसका आरम्भ हज्रे अस्वद

(काला पत्थर) से होता है यह उसके उमरा का तवाफ है, तवाफ के लिए कोई विशेष दुआ नहीं है, अल्लाह का जिक्र करे, जो चाहे अल्लाह से मांगे ।¹ फिर दो रिक्त नमाज मुकामे इब्राहीम के पीछे अदा करे यदि संभव न हो तो हरम में किसी भी स्थान पर अदा करे, फिर सई के लिए 'सफा' जाये, उस पर चढ़े, किवला की ओर मुंह करे, तकवीर कहे, "ला इलाहा इल्लल्लाह" का विर्द करे, फिर 'मरवह' की ओर जाये, उस पर चढ़े, किवला की ओर होकर तकवीर कहे अल्लाह का जिक्र और दुआ करे, फिर सफा आये, इस प्रकार सात चक्कर लगाये, जाना एक चक्कर तथा आना एक चक्कर की गणना होगी, फिर अपने बाल काटे, महिला अपने बालों के किनारे से ऊंगली के पोर के बराबर बाल कटवाये, उपरोक्त कार्यों से निपटने के बाद "हज्जे तमत्तुअ" करने वाले का उमरा मुकम्मल होता है और वह एहराम से हलाल हो जायेगा, वह सारी चीजें उसके लिए हलाल हो जायेंगी जो एहराम के कारण हराम हो गई थीं ।

एहराम से पहले या बाद में महिला मासिक धर्म की अवस्था में हो जाये या उसको प्रसव हो जाये तो वह हज्जे किरान वाली हो जायेगी, उमरा एवं हज का तलबिया कहेगी, मासिक धर्म (हैज)

¹ हज्जे अस्वद और रुक्ने यमानी के बीच में यह दुआ सुन्नत से सावित है:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"ऐ हमारे रब हमें लोक एवं परलोक में भलाई से सम्मानित कर और हमें आग की यातना से बचा ।" (सूरह बकर:-२०१)

एवं प्रसव रक्त (निफास) एहराम के लिए बाधक नहीं हैं, वह केवल बैतुल्लाह के तवाफ से रुकी रहेगी, हज के सारे काम बजा लायेगी सिवाये तवाफ के। यदि वह हज के एहराम से पहले तथा मिना जाने से पहले पवित्र हो जाये तो स्नान करेगी अपने बाल कटवा कर उमरा के एहराम से हलाल हो जायेगी, फिर आठ तारीख को लोगों के साथ हज का एहराम बाँधेगी। उसके पवित्र होने से पहले लोग यदि हज में प्रवेश कर जायें तो उसका हज 'हज्जे किरान' में परिवर्तित हो जायेगा, वह एहराम में रहेगी, तलबिया कहेगी, हाजियों के साथ सारे कर्मों को अदा करेगी। मिना, अरफात और मुज्दलिफा में क्रयाम करेगी, 'रमी' एवं 'नहर' भी करेगी फिर अपने बाल भी कटवायेगी, जब पवित्र हो जाये तो स्नान के बाद हज का तवाफ एवं 'सई' करेगी।

यह तवाफ एवं सई उसके उमरा और हज दोनों के लिए काफी होंगे। जैसाकि आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा को यह परिस्थिति पेश आई तो नबी ﷺ ने कहा कि उनकी पवित्रता के बाद उनका तवाफ एवं सई उनके हज एवं उमरा दोनों के लिए हैं, इसलिए कि इफ़राद हज करने वाले की तरह "हज्जे किरान" करने वाले पर भी एक ही तवाफ और एक ही सई है।¹

¹ यह तवाफ या तो ईद के दिन या उसके बाद अदा करेगा, हज से पहले का जो तवाफ है जिसे तवाफे कुदूम कहा जाता है वह नफिल है, 'सई' 'कारिन' और 'मुफरिद' के लिए एक ही है यदि तवाफे कुदूम के साथ कर ले तो काफी है यदि न करे तो तवाफे इफ़ाजा के साथ ईद के दिन या उसके बाद करे।



रसूले अकरम ﷺ ने उसकी व्याख्या फरमाई तथा आप ने ऐसा ही किया एवं हदीस में आप ने फरमाया :

"دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة"

"क्रियामत तक के लिए उमरा हज में प्रवेश कर गया ।"

(अल्लाह बेहतर जानता है)

आठ ज़िलहिज्जा को सारे हुज्जाज मक्का में अपने-अपने स्थान से हज के लिए एहराम बाँधेंगे, पवित्रता के बाद एहराम का वस्त्र पहन लेंगे फिर पुरूष हो कि महिला हज की नियत करेंगे तथा यूँ तलबिया कहेंगे "अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन" ऐ अल्लाह मैं हज के लिए उपस्थित हो रहा हूँ,

एहराम की अवस्था में सारे उपरोक्त प्रतिबंधित चीजों से बचा रहे, दस ज़िलहिज्जा को जब मुज्दलिफा से मिना वापस आ जाये तो जमरतुल अक़बा को कंकरी मारे, पुरूष सिर मुँडायें और महिला बाल कटवाये तो फिर वह हलाल हो सकते हैं ।

आठ ज़िलहिज्जा को एहराम बाँधकर हाजी मिना आयेगा, रात वहीं गुजारेगा, वहाँ सारी नमाज़ें अपने-अपने समय में क़स्र अदा करेगा, अरफ़ा के दिन सूर्य उदय होने के बाद 'नमरा' की ओर प्रस्थान करेगा वह जमाअत के साथ जोहर एवं अस्र की नमाज़ संयुक्त तौर पर क़स्र के साथ अदा करेगा, फिर जवाल के बाद अरफ़ा की सीमाओं में प्रवेश कर जायेगा और यदि मिना से सीधा अरफ़ा चला जाये तो भी कोई आपत्ति नहीं, सारा अरफ़ा ठहरने का स्थान है ।

हाजी अरफ़ा में अधिक से अधिक अल्लाह का जिक्र करे, दुआ एवं इस्तेगफ़ार करे, किवला की ओर मुख हो, पहाड़ी की ओर मुख न करे, पहाड़ी भी अरफ़ा के मैदान का एक भाग है, पुण्य की नियत से उस पर चढ़ना जायेज नहीं है, उसके पत्थरों को बरकत के लिए छूना भी जायेज नहीं है बल्कि यह विदअत है ।

हाजी लोग अरफ़ा से सूर्य डूबने से पहले नहीं निकलेंगे, सूर्य डूबने के बाद मुज्दलिफ़ा जायेंगे, जब मुज्दलिफ़ा पहुँच जायें तो मगरिब एवं इशा की नमाज एक साथ ईशा के समय में पढ़ेंगे, ईशा की नमाज को कस्र करेंगे, रात वहीं गुजारेंगे, जब सुबह हो जाये तो फ़ज्र की नमाज पढ़ेंगे तथा अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर सूर्य उदय होने से पहले मिना की ओर विदा होंगे, मिना पहुँचकर सूर्य उदय होने के बाद जमरा अक़वा को सात कंकरियाँ मारेंगे, जो आकार में अधिक बड़ी न हों और न ही छोटी बल्कि चने के दाना के बराबर हो, चप्पल आदि से मारना जायेज नहीं है इसलिए कि यह मजाक़ है, शैतान का अपमान अल्लाह के रसूल ﷺ के तरीके पर चलने तथा आप की पैरवी करने और विरोध से बचने में है ।

रमी (कंकरी मारने) के बाद हाजी अपनी कुर्वानी के जानवर जब्ब करेगा, फिर अपने बाल मुँडवायेगा, महिला अपने बाल काटेगी, फिर हाजी अपने कपड़े पहन लेगा । अब पत्नी के अतिरिक्त वह सारी चीजें जो हराम थीं हलाल हो जायेंगी, फिर तवाफ़े इफ़ाजा और सई करेगा, उसके बाद उसके लिए सारी चीजें यहां तक कि पत्नी भी हलाल हो जायेगी । उसके बाद लौटकर मिना आयेगा,



ईद का दिन तथा उसके बाद दो दिन रातों के साथ वहाँ विश्राम करेगा, मिना में रात गुजारना अनिवार्य है, ग्याहरवें और बारहवें दिन तीनों जमरात को जवाल के बाद कंकरी मारेगा। छोटा जमरा से आरम्भ करेगा जो मिना के निकट है फिर बीच वाले जमरा को फिर जमरये अकबा को जिसे ईद के दिन मारा था, हर जमरा को सात-सात कंकरियाँ मारेगा, हर कंकरी के साथ तकबीर कहेगा, कंकरियाँ मिना में अपने स्थान से साथ ले लें, जिसे मिना में स्थान न मिले वह जहाँ हाजियों के खैमें समाप्त हों उसके निकट स्थान ग्रहण करे।

बारहवें दिन कंकरियों से निपट कर वह यात्रा कर सकता है और यदि तेरहवें दिन तक ठहर जाये तथा तेरहवें दिन भी कंकरी मार कर जाये तो अधिक अच्छा है। यात्रा करने से पहले तवाफे विदा करना आवश्यक है, मासिक धर्म एवं प्रसव रक्त वाली महिलायें तवाफे इफाजा और सई कर लें तो फिर उन पर तवाफे विदा आवश्यक नहीं है।

हाजियों के लिए अगर वे हदी का जब्ह ग्यारह, बारह एवं तेरह तारीख तक विलम्ब से करें तो यह जायेज है। हज का तवाफ और सई भी मिना से निकलने तक विलंबित करना जायेज है, किन्तु अच्छा वही है जो हम ने ऊपर बयान किया है।

”والله اعلم وصى الله على نبينا محمد واله وسلم“

ईमान

अल्लाह तआला ने हर मुसलमान पर यह अनिवार्य किया है कि वह अल्लाह तआला और उसके रसूल तथा इस्लाम के स्तंभों पर विश्वास (ईमान) रखे, उसी प्रकार उसके फरिश्तों¹ पर, किताबों² पर जो उसके रसूलों पर अल्लाह की ओर से उतरी ईमान लाना अनिवार्य करार दिया है। किताबों का सिलसिला कुरआन पर समाप्त हुआ। इसके द्वारा अल्लाह ने सभी आसमानी किताबों को रद्द कर दिया, इसे सभी किताबों का निरीक्षक बनाया, सभी

¹ मलाइका (फरिश्ते) : फरिश्ते भी मखलूक हैं अल्लाह ने उन्हें नूर से जन्म दिया है, वह बहुत अधिक हैं, अल्लाह के अतिरिक्त कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता, उनमें से कुछ तो आकाश में हैं और कुछ इंसानों के साथ रहते हैं।

² मुसलमान पर आवश्यक है कि वह रसूलों पर उतारी हुई किताबों की सत्यता पर ईमान ले आये, उनमें से केवल कुरआन ही सुरक्षित है, तौरत एवं इंजील जो यहूद एवं नसारा के पास हैं वह उनका अपना संकलन है, उसका आपस में विरोध एवं विपरीतता इत्तका तर्क है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूजित (अल्लाह) तीन हैं : ईसा अल्लाह के बेटे हैं। सत्य बात यह है कि पूजित (अल्लाह) एक है, ईसा अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, जैसाकि कुरआन में है। उसमें जो कुछ अल्लाह का कथन है वह भी कुरआन के कारण निरस्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने हजरत उमर رضي الله عنه के हाथ में तौरत का एक पृष्ठ देखा तो क्रोधित हो गये और फरमाया : क्या कोई संदेह में हो ? ऐ खत्ताब के बेटे ! कसम अल्लाह की यदि मेरे भाई मूसा عليه السلام भी जीवित होते तो उन्हें भी मेरी पैरवी करनी होती। उमर رضي الله عنه ने कागज का पृष्ठ फेंक दिया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्षमा तलव कीजिए।

रसूलों के सिलसिला की अंतिम कड़ी मुहम्मद ﷺ हैं सारे रसूलों का संदेश एक था, उनका धर्म (दीन) एक है और वह इस्लाम है। उन्हें संसार में भेजने वाला एक है और वह अल्लाह तआला है। मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह कुरआन में वर्णित रसूलों से सम्बन्धित यह ईमान ले आये कि वह अपनी-अपनी क्रौमों की ओर रसूल बनाकर भेजे गये थे, इस पर भी ईमान लाये कि नबी ﷺ अंतिम नबी हैं तथा सारे लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गये थे, आप के रसूल बनने के बाद सारे लोग यहाँ तक कि यहूद व नसारा और अन्य धर्मों के मानने वाले भी आप की उम्मत में शामिल हैं, जो भी पृथ्वी पर हैं वह मुहम्मद ﷺ की उम्मत हैं सब पर आवश्यक है कि वह आप ﷺ की पैरवी करें।

जो मुहम्मद ﷺ की पैरवी न करे तथा इस्लाम में प्रवेश न करे उससे मूसा, ईसा और सारे अंबिया मुन्न हैं। इसलिए कि मुसलमान सारे रसूलों पर ईमान लाता है और उनकी पैरवी करता है। जो मुहम्मद पर ईमान न लाये और उनकी पैरवी न करे एवं इस्लाम में प्रवेश न करे तो वह सारे रसूलों को झुठलाने वाला और उनका कुफ्र करने वाला है, यद्यपि उसने किसी एक की पैरवी का दावा भी कर रखा हो, दूसरे अध्याय में इससे संबन्धित कुरआन से दिये गये तर्कों की चर्चा हम ने कर दी है। मुहम्मद ﷺ ने फरमाया :

”والذی نفسی بیده لا یسمع بی احد من هذه الامة یهودی

او نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الاکان من

اصحاب النار”

www.alsukah.com
إهداء من شبكة الألوكة
شبكة الألوكة
www.alukah.net

"कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है मेरे सम्बन्ध में इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति सुने चाहे यहूदी हो कि नसारा फिर वह मुझ पर ईमान लाये बिना मृत्यु पा जाये तो उसका ठिकाना नरक में होगा ।" (मुस्लिम)

मुसलमान पर आवश्यक है कि वह मृत्यु के बाद दोबारा जीवन दिये जाने पर ईमान ले आये, लेखा-जोखा, स्वर्ग-नरक पर भी ईमान ले आये, उस पर यह भी आवश्यक है कि वह अल्लाह के दिये हुए भाग्य पर ईमान ले आये ।

भाग्य पर ईमान का अर्थ :

मुसलमान इस बात पर विश्वास रखे कि अल्लाह तआला को प्रत्येक चीज का ज्ञान है, आकाश एवं पृथ्वी को पैदा करने से पहले वह बन्दों के कामों को जानता था, उसी ज्ञान को अल्लाह ने "लौहै महफूज" (वह तख्ती जिस पर अल्लाह ने संसार में होने वाली सारी घटनाओं का उल्लेख कर दिया है जिसे कोई बदल नहीं सकता) में लिखा है तथा मुसलमान इस बात को जानता है कि जो अल्लाह की इच्छा होगी वही होगा, जो उसकी इच्छा न हो वह कभी नहीं होगा, तथा अल्लाह ने बन्दों को अपनी आराधना के लिए पैदा किया, इसका उन्हें आदेश दिया और उसे बयान भी कर दिया, उन्हें अपनी अवज्ञा से रोका, उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया, उन्हें शक्ति एवं संकल्प से भी सम्मानित किया, जिसके द्वारा वह अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं एवं फल पाते हैं और जो पाप करता है वह दंड का भोगी होता है ।

बंदा की मर्जी अल्लाह की इच्छा के अधीन है, भाग्य के वह मामलात जिसमें बन्दा की मर्जी एवं इख्तियार का हस्तक्षेप न हो बल्कि अल्लाह बन्दा की मर्जी के विरुद्ध उसको लागू करते हैं जैसे भूल या ऐसे काम जिस पर कि वह विवश किये जायें, जैसे दरिद्रता, रोग एवं दुःख एवं कष्ट आदि इन चीजों पर अल्लाह तआला न तो बन्दा की पकड़ करते हैं और न उसे दंड देते हैं बल्कि रोग एवं दरिद्रता और आपत्तियों में बंदा सब्र करे और अल्लाह के निर्णय से प्रसन्न रहे तो महा प्रतिकार से सम्मानित किया जाता है। उपरोक्त सारी बातों पर मोमिन बंदा को ईमान लाना चाहिए, मुसलमानों में सबसे बड़े ईमान वाले जो अल्लाह के सबसे निकट और स्वर्ग में उच्च श्रेणियों में होंगे, वह ऐसे पवित्र एवं शुद्ध बंदे होंगे जो अल्लाह की ऐसी उपासना करते हैं, उससे एमे डरते हैं जैसे वे उसे देख रहे हों, वह अल्लाह की अवज्ञा न छुप कर करते हैं न दिखाकर। उस पर पक्का विश्वास रखते हैं कि वह उन्हें सदैव देख रहा है, चाहे वह जहाँ भी रहें, अल्लाह से उनकी नियतें उनके कार्य और उनकी बातें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अवज्ञा से बचते हैं और यदि कभी अल्लाह की प्रतिकूलता हो जाये तो तुरन्त तौबा करते हैं अपनी भूल पर लज्जित होते हैं, अल्लाह से उसकी मुक्ति एवं क्षमा चाहते हैं तथा दोबारा उसके निकट नहीं जाते। अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

अल्लाह संयमी और भला काम करने वालों के साथ है।
(सूरह अन्नहल:१२८)

इस्लाम एक सम्पूर्ण धर्म है :

अल्लाह तआला कुरआने करीम में फरमाते हैं :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को सम्पूर्ण किया और अपना प्रदान (नेमत) तुम पर समाप्त की और तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसन्द किया और इससे मैं प्रसन्न हुआ।
(सूरह मायेदा:३)

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾

निःसंदेह यह कुरआन बहुत सही मार्ग का अनुदेश देता है तथा नेक काम करने वाले मोमिनों को शुभ सूचना देता है कि उन्हें महा प्रतिकार मिलेगा। (सूरह इस्रा:९)

कुरआन से संबन्धित अल्लाह का कथन यह है कि :

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾

हम ने यह किताब तुम पर उतारी (यानी कुरआन) जिसमें हर चीज का अच्छा बयान है तथा मुसलमानों के लिए वह अनुदेश, प्रदान और शुभ सूचना है। (सूरह अन्नहल: ८९)

सही हदीस में नबी ﷺ ने फ़रमाया :

"تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها
الا هالك"

"मैंने तुम्हें बिल्कुल प्रकाशमय मार्ग पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन की तरह है इससे जो भी भटकता है वही हलाक होता है।"

आप ﷺ ने फ़रमाया :

"تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابداً كتاب الله و
سنّي"

"मैंने तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ी हैं यदि तुम उसको दृढ़ता के साथ पकड़े रहोगे तो कदापि गुमराह नहीं होगे वह है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत।"

आयतों की व्याख्या :

पहली आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए धर्म (दीन) को समस्त कर दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है और न इसमें किसी बढ़ोतरी की आवश्यकता

है, वह हरेक स्थान एवं काल तथा कौम के लिए बिल्कुल उचित है, अल्लाह ने इस महा सरल एवं समस्त धर्म के माध्यम से मुसलमानों पर अपनी अनुकम्पा को पूर्ण किया है, उसने मुसलमानों पर मुहम्मद ﷺ की रिसालत के माध्यम से इस्लाम को शक्ति प्रदान करके इस्लाम को मानने वालों को प्रतिष्ठा एवं सफलता देकर महा उपकार किया, कभी भी वह इस धर्म से अप्रसन्न नहीं होगा और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करेगा । दूसरी आयत में फरमाया गया है कि कुरआन लोक-परलोक की समस्याओं के लिए पूर्णतः प्रर्याप्त है, इसमें हर भलाई एवं कल्याण की सूचना है तथा हर उपद्रव से बचने की चेतावनी है, पुराने एवं नूतन हर काल की समस्याओं का इसमें सही एवं न्यायपूर्ण समाधान मौजूद है, हर वह समाधान जो कुरआन से टकराता हो उसमें अन्याय और मूर्खता है ।

ज्ञान हो कि विश्वास, राजनीति हो कि शासन, अर्थशास्त्र हो कि सामूहिकता, वैधानिक न्याय हो कि दंडित सारी समस्यायें जो मानव जाति के लिए आवश्यक हैं उसका कुरआन में सीधा, साफ एवं संतुष्ट समाधान है, फिर रसूले अकरम ﷺ के माध्यम से भी अल्लाह तआला ने उसकी पूर्ण व्याख्या फरमा दी है जैसाकि उपरोक्त आयत में है :

﴿الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

कुरआन में हर चीज विस्तारपूर्वक बयान है ।



अध्याय - ४

इस्लामी जीवन प्रणाली

१. विद्या की प्राप्ति:

अल्लाह तआला ने इंसान पर सबसे पहले विद्या ग्रहण करने को अनिवार्य किया है, अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

इसलिए आप (जान लीजिए) कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित नहीं तथा अपने पापों की क्षमा के लिए और ईमानदार पुरुष एवं ईमानदार महिलाओं के लिए (मुक्ति की) दुआ करते रहिये और अल्लाह जानता है तुम्हारे चलने एवं रहने सहने को। (सूरह मुहम्मद:१९)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

अल्लाह तआला तुम में ईमानवालों को तथा जिन्हें विद्या से सम्मानित किया गया उनके पद को ऊँचा करता है।
(सूरह मुजादिला:११)

और फरमाया है :

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

(आप कहिये) ऐ मेरे रब मेरे ज्ञान में और अधिकता कर ।

(सूरह ताहा:११४)

एक और स्थान पर फरमाया है :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो ज्ञानियों से पूछो । (सूरह नहल-४३)

अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ ने सही हदीस में फरमाया :

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

"विद्या का प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है ।"

आप ﷺ ने फरमाया :

"فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على

سائر الكواكب"

"विद्वान की प्रधानता मूर्ख पर ऐसे ही है जैसे चौदहवीं की

चाँद की प्रधानता दूसरे सितारों पर ।"

इस्लाम में विद्या के आवश्यक एवं अनावश्यक होने के रूप से दो किस्म हैं :

पहली किस्म : फर्जे ऐन (मूल कर्तव्य) है आनी हर इंसान पर इस का ग्रहण करना चाहे पुरूष हो या महिला, आवश्यक है । इसके

न जानने का बहाना स्वीकृत योग्य नहीं है, वह है अल्लाह की पहचान, प्यारे रसूल ﷺ की पहचान और इस्लाम धर्म की पहचान तथा इस्लाम धर्म के आवश्यक अहकाम का ज्ञान प्राप्त करना।¹

दूसरी किस्म : फर्जे किफाया है (वह फर्ज जो एक आदमी के अदा करने से सब की ओर से अदा हो जाये) यानी यदि कुछ लोगों ने उसको अदा किया तो सारे लोगों पर से जिम्मेदारी एवं गुनाह टल जाता है, दूसरों के हित में प्रिय होता है अनिवार्य नहीं होता, तथा वह इस्लामी शास्त्र के आदेशों का विस्तृत ज्ञान है जिससे इंसान पठन-पाठन और धर्म विद्या एवं धर्माज्ञा के योग्य बनता है उसी प्रकार दस्तकारी एवं कला जिसकी आवश्यकता मुसलमानों को हांती है इसलिए शासक पर यह अनिवार्य होता है कि यदि कला और विज्ञान के जानने वाले मुस्लिम समाज में न हों तो उनको इसका प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करे।

२. अक्रीदा (विश्वास) :

अल्लाह तआला ने प्यारे रसूल ﷺ को आदेश दिया है कि आप एलान कर दें कि सारे लोग अल्लाह के बन्दे हैं, उन पर उसी की उपासना करना आवश्यक है, उन पर अनिवार्य है कि वह बिना किसी माध्यम के सीधे तौर पर अल्लाह से बद्ध रहें, जिसका वयान "ला इलाहा इल्लल्लाह" की व्याख्या में हो चुका है उन्हें आदेश दिया कि वह केवल एक अल्लाह पर भरोसा करें, उसके अतिरिक्त किसी से भयभीत न हों उसी से आशायें करें इसलिए

¹ इसका विवरण अध्याय तीन में दिया जा चुका है।

कि वही लाभ एवं हानि का मालिक है, उसको अद्भूत विशेषता रखने वाला कहेँ जिसकी चर्चा स्वयं अल्लाह तआला और उसके रसूल ने किया है, इसका विवरण दिया जा चुका है ।

३. सामाजिक सम्बन्ध :

अल्लाह ने मुसलमान को आदेश दिया कि वह एक सदाचारी इंसान बने, इंसानियत को कुफ्र के अंधकार से निकालने और इस्लाम के प्रकाश में लाने का प्रयास करता रहे, इसी उद्देश्य के लिए मैं ने इस पुस्तक को लिखा है ताकि मेरी कुछ जिम्मेदारी अदा हो सके ।

अल्लाह ने मुसलमान को यह आदेश दिया कि उसका संपर्क दूसरों से अल्लाह के लिए हो, वह नेक एवं सदाचारी, अल्लाह एवं रसूल की आज्ञापालन करने वाले वन्दों से मैत्री रखेगा, चाहे वह दूर का इंसान ही क्यों न हो, काफिरों और अल्लाह एवं रसूल के अवज्ञाकारियों से वैर एवं शत्रुता रखेगा चाहे वह निकटवर्ती इंसान ही क्यों न हों ।

यही वह सम्बन्ध है जो विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलाता है और नाना प्रकार के लोगों से सम्बन्ध स्थापित कराता है, इसके विपरीत देश, परिवार एवं व्यक्तिगत लाभों का सम्बन्ध है जो शीघ्र ही टूट जाता है । अल्लाह तआला फरमाते हैं :

وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ



जो लोग अल्लाह एवं अंतिम दिन पर विश्वास रखते हैं उन्हें आप नहीं पायेंगे कि वह उन लोगों से मैत्री रखते हों जो अल्लाह एवं रसूल के शत्रु हैं चाहे वह उनके बाप-दादा हों या बेटे हों या भाई हों या परिवार वाले हों। (सूरह मुजादिला: २२)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾

तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठा वाला अल्लाह के निकट सब से अधिक तक्रवा वाला है। (सूरह हुजरात: १३)

पहली आयत में अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि मोमिन अल्लाह के शत्रुओं से मैत्री नहीं रखता है चाहे वह निकटवर्ती सम्बन्धी ही क्यों न हों, दूसरी आयत में अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के निकट प्रतिष्ठित एवं प्रिय वही है जो उसका आज्ञाकारी हो चाहे वह किसी भी रंग का हो और किसी भी लिंग से सम्बन्ध रखता हो।

अल्लाह तआला ने मित्र एवं शत्रु के साथ न्याय का आदेश दिया है, अल्लाह ने अत्याचार को स्वयं पर भी हराम किया है तथा आपस में बन्दों के बीच भी हराम किया है, न्याय एवं सत्यता का आदेश दिया है और अपभोग से रोका है, माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार, रिश्ता को जोड़ने, माँगने वालों पर उपकार,

नेक कामों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना आवश्यक ठहराया है, हर चीज के साथ सद्व्यवहार का आदेश दिया है यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, अल्लाह ने उसको कष्ट देना हराम करार दिया है और उसके साथ भी उपकार का आदेश दिया है ।¹

क्षति पहुँचाने वाले जानवर जैसे पागल कुत्ता, साँप, विच्छु, चूहा, चील और छिपकली हैं, इन के कष्ट से बचने के लिए उन्हें मार डाला जायेगा, किन्तु उन्हें पीड़ा नहीं दी जायेगी ।

४. अल्लाह की संरक्षिता का अनुभव और मोमिन के दिल की चेतावनी :

कुरआन में बहुत सी आयतें इसकी स्पष्टता करती हैं कि अल्लाह तआला बन्दों को देख रहा है वह जहाँ कहीं भी रहें, वह उनके कर्मों एवं नियतों को जानता है, उनके कर्मों एवं कथनों की गणना कर रखा है, फरिश्ते उनके साथ रहते हैं, खुले-छुपे हर काम को लिखते हैं, अल्लाह तआला उनके हर काम एवं कथन का निकट ही में हिसाब करेगा, उन्हें कष्टदायक यातना से

¹. यहाँ तक कि हलाल जानवरों के जब्ह के समय भी भलाई का लिहाज रखने का आदेश है, अल्लाह के रसूल ﷺ ने चाकू तेज करने तथा जानवर को आराम पहुँचाने का आदेश दिया है, जब्ह के लिए आप ने कंठ और खून की रगों को काटने का आदेश दिया ताकि खून निकल जाये, ऊँट का नहर क्रिया जायेगा यानी गर्दन के निचले भाग में घोंपा जायेगा, विजली के झटके (Electrick Shock) के द्वारा या सिर पर मार कर खत्म करना इस्लाम में मना है, उसका खाना जायेज नहीं है ।

धमकाया है यदि वह अल्लाह की अवज्ञा करें, उसका विरोध करें। यह चीजें मोमिनों को पापों से बचाने का मुख्य कारण माना जाता है, वह अल्लाह के भय से विरोधों एवं अपराधों से बचे रहते हैं।

जो अल्लाह से भय न खाये और पाप करता रहे उसके लिए भी अल्लाह ने सीमा बाँध दिया है जिससे वह इस संसार में पापों से बचा रहता है, इससे तात्पर्य नेक कामों का आदेश और बुराई से रोकना है जिसका अल्लाह ने मुसलमानों को आदेश दे रखा है, हर मुसलमान यह अनुभव करता है कि यदि कोई दूसरा भी गलती करे तो अल्लाह के निकट उसकी पूछ-ताछ होगी, यहाँ तक कि वह कम से कम जुवान ही से उसे रोक दे, यदि हाथ से न रोक सके, तथा अल्लाह ने शासक और खलीफा को आदेश दिया है कि बुराई करने वालों पर अल्लाह के निश्चित किये हुए दंडों को लागू करें, कुरआन एवं हदीस में इसका विवरण मौजूद है, इसकी अनुकूलता से समाज में न्याय एवं सन्पन्नता का दौर दौरा होता है।

५. सामाजिक एवं सामूहिक सहयोग :

अल्लाह ने मुसलमानों को आपस में आंतरिक सहयोग का आदेश दिया है जिसकी चर्चा सदकात एवं जकात के अध्याय में की जा चुकी है, अल्लाह ने मुसलमानों पर किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा देना हराम कर रखा है, यहाँ तक कि मार्ग में कोई कष्टदायक चीज हो तो अल्लाह ने मुसलमानों को उसके

हटाने का आदेश दिया है चाहे उस कष्टदायक चीज का कारण कोई भी हो, इस काम पर सवाब (पुण्य) का वादा किया गया है जिस प्रकार दुखदायी का कारण बनने वालों को यातना से डराया गया है।

मुसलमान पर यह अनिवार्य है कि वह अपने भाई के लिए वही चीज पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द करता है तथा उसके लिए वही चीज नापसन्द करे जो अपने लिए नापसन्द करता है।

अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ﴾

तथा आपस में नेकी एवं संयमता में सहयोग करते रहो वुराई एवं अत्याचार में सहयोग न करो। (सूरह मायेद:- २)

और एक स्थान पर फरमाया :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

निःसंदेह मोमिन आपस में भाई हैं, इसलिए तुम दो भाईयों के बीच सुधार किया करो। (सूरह हुजरात: १०)

और फरमाया :

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

अधिक काना फूसियों में कोई भलाई नहीं है, हाँ (भलाई यह है कि) सदका का या किसी नेक काम का या लोगों में सुधार का आदेश दे, जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करेगा हम उसे महा प्रतिकार से सम्मानित करेंगे। (सूरह निसा:११४)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया :

"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

"कोई व्यक्ति उस समय तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही चीज न चाहे जो अपने लिए चाहता है।" (मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपने महान संबोधन में जो जीवन के अंतिम समय में "हज्जतुल विदाअ" के अवसर पर किया था, फरमाया :

"ऐ लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे पिता एक हैं, जान लो किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और गोरे को काले पर कोई प्रधानता नहीं है सिवाय तक़वा (संयमता) के। क्या मैंने तुमको पहुँचा दिया ? सहाबा ने कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल आप ने पहुँचा दिया, और आप ने कहा: तुम्हारी जानें, तुम्हारी

सम्पत्ति और तुम्हारी इज्जतें ऐसे ही हुराम हैं जैसे कि इस दिन, इस महीना एवं इस शहर की हुरमत (प्रतिष्ठा) है। क्या मैंने तुम्हें पहुँचा दिया? सहावा ने कहा, हाँ! फिर आप ने अपनी ऊँगली को आकाश की ओर उठाया और कहा ऐ अल्लाह तू गवाह रह।¹

६. देश सम्बन्धी राजनीतिक :

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को आदेश दिया कि अपने आप पर किसी इमाम को नियुक्त करें तथा शासन के लिए उस का आज्ञा पालन करें, यह भी आदेश दिया कि मिल-जुलकर रहें, टुकड़ियों में विभाजित न हों, एक उम्मत बन कर रहें, लोगों को अल्लाह ने आदेश दिया कि वह अपने शासक एवं सरदारों की आज्ञा पालन करें, इस पर कि वह अल्लाह की अवज्ञा का आदेश न दें, अल्लाह की अवज्ञा में किन्ही मानव की आज्ञा पालन नहीं की जायेगी।

अल्लाह ने उस मुसलमान को जो किसी ऐसे देश में हो जहाँ वह अपने दीन (धर्म) को जाहिर नहीं कर सकता हो, उसका निमंत्रण नहीं दे सकता हो वहाँ से उसे इस्लामी देश की ओर हिजरत (प्रवास) करने का आदेश दिया है, इससे तात्पर्य ऐसे देश हैं जहाँ सारे मामलात में इस्लामी शास्त्र की पावन्दी की जाती है, तथा मुसलमान शासक अल्लाह के आदेशों के अनुसार हुक्म देता हो।

¹ यह महान एवं व्यापक संवोधन हदीस की विभिन्न किताबों में लिखित है।

- ❖ इस्लाम राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय एवं वंशीय सीमाबन्दी को स्वीकार नहीं करता, मुसलमान की राष्ट्रीयता केवल इस्लाम है, बन्दे अल्लाह के बन्दे हैं, पृथ्वी अल्लाह की ज़मीन है जिसमें मुसलमान किसी आपत्ति के बिना चल फिर सकता है शर्त केवल यह है कि वह अल्लाह की शरीअत का पाबन्द रहे, यदि किसी मामले में विरोध करे तो उस पर अल्लाह का आदेश लागू होगा, अल्लाह ने जो दंड निर्धारित कर दिया है उसको लागू करने में ही अमन व शांति है, लोगों का सुधार है, प्राणों, सम्पत्तियों एवं प्रतिष्ठाओं की रक्षा है, इसमें नितान्त कल्याण एवं भलाई है जबकि इसको छोड़ने में हानि एवं क्षति है।
- ❖ अल्लाह ने नशा वाली चीजों को हराम करके बुद्धि को सुरक्षित किया है, शराब पीने वालों की सजा चालीस से अस्सी कोड़ों तक निश्चित कर रखा है, इसमें उसके लिए चेतावनी, उसकी बुद्धि की सुरक्षा और लोगों को उसकी हानि से सुरक्षित रखना है।
- ❖ मुसलमानों के खून की रक्षा, खून का बदला खून इस्लामी शास्त्र के द्वारा जायेज किया गया है, हत्यारे को हत्या की जायेगी, घाव में भी प्रतिहिंसा को इस्लामी शास्त्र के अनुसार अनुकूल किया गया है, इसी प्रकार मुसलमान को अपने नफ़स, अपनी इज़्जत और सम्पत्ति की ओर से रक्षा करने की आज्ञा दी गई है, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

ऐ बुद्धिमानों तुम्हारे लिए प्रतिहिंसा (किसास) में जीवन है ताकि तुम संयमी (मुत्तकी) बन जाओ। (सूरह बकरा:१ ७९)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"जो अपने प्राण की रक्षा में हत्या हो जाये वह शहीद है, जो अपने घर वालों की रक्षा में हत्या हो जाये वह शहीद है, जो अपनी सम्पत्ति की रक्षा में हत्या हो जाये वह शहीद है।"

- ❖ अल्लाह ने मुसलमानों की इज्जतों की भी सुरक्षा प्रदान की है, मुसलमान के पीछे ऐसी बात से मना फ़रमाया जो उसको पसन्द न हो, उस व्यक्ति पर धार्मिक दंड निश्चित किया जो किसी मुसलमान पर अपराधिक या नैतिक आरोप लगाता है, जैसे बलात्कार का आरोप, बाल मैथुन (लिवातत) आदि। किन्तु वह उसको धार्मिक स्तर पर सिद्ध करे।
- ❖ अल्लाह ने उस मेल-मिलाप से परिवारों को सुरक्षित किया है जो शास्त्र के अनुकूल न हो, हरामकारी (ज़िना) को कठोरता से हराम ठहरा कर अल्लाह ने इज्जतों की भी रक्षा की है, यदि हरामकारी करने वालों में दण्ड की शर्तें पूरी हों तो उस पर कठोर दंड निश्चित किया है।
- ❖ अल्लाह ने चोरी, धोखा, जुआ, रिश्वत और दूसरा हराम

कमाईयों को हराम ठहरा कर सम्पत्तियों की भी रक्षा की है, चोर और डाकुओं पर अल्लाह ने कठोर दंड निश्चित किया है, चोर का हाथ काटा जायेगा और यदि चोरी साबित हो तथा दूसरे नियम पूरे न हों तो केवल दंड दिया जायेगा ।

इन दंडों को निश्चित करने वाला अल्लाह तआला जानने वाला और हिकमत वाला है, वह अधिक जानता है कि बन्दों की हालत कैसे सही होगी, वह उन पर सबसे अधिक दया करने वाला भी है, मुसलमान अपराधियों के लिए अल्लाह ने इन दंडों को 'कफ़ारा' बनाया है, जिसके द्वारा इस्लामी समाज की सुरक्षा का उद्देश्य है, जो लोग हत्यारे की हत्या और चोर के हाथ काटे जाने पर आपत्तियाँ व्यक्त करते हैं वास्तव में उनकी आपत्ति शरीर के एक ऐसे बीमार अंग के काटने पर है कि यदि न काटा जाये तो पूरे समाज में उसकी वीमारी फैल सकती है जबकि यह आपत्ति करने वाले अपने अत्याचारी स्वार्थों के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या को अच्छा समझते हैं ।

७. बाहरी राजनीतिक :

अल्लाह ने मुसलमानों को एवं शासकों को यह आदेश दिया है कि वह गैर मुस्लिमों को इस्लाम का निमंत्रण दें ताकि वह कुफ़्र के अंधकार से निकल कर अल्लाह पर ईमान ला सकें, इस संसार की प्राकृतिक आवश्यकताओं में डूबकर तथा जो निर्दयता में हैं उससे निकलकर अध्यात्म (रूहानी) सुख-चैन की ओर आयें, जिससे मुसलमान लाभावित हो रहे हैं, अल्लाह ने मुसलमान को

आदेश दिया कि वह एक नेक और अच्छा इंसान बनकर सारे इंसानों को लाभ पहुँचाये, सारी मनुष्यता की मुक्ति के प्रयास में लगा रहे । इसके विपरीत इंसानों के नियम उससे केवल यह चाहते हैं कि वह एक अच्छा नागरिक बनकर रहे, यह स्वयं उसकी कमी एवं फसाद का तर्क है और इस्लाम की वास्तविकता एवं उत्तमता का उज्ज्वल उदाहरण है ।

अल्लाह ने मुसलमानों को आदेश दिया कि वह अल्लाह के शत्रुओं के लिए जिस प्रकार हो सके तैयारी करें, ताकि वह इस्लाम और मुसलमान की रक्षा कर सकें तथा स्वयं को और अल्लाह के शत्रुओं को भयभीत कर सकें, अल्लाह ने आवश्यकता अनुसार ग़ैर मुस्लिमों के साथ समझौता करने की भी आज्ञा दी है, मुसलमानों पर प्रतिज्ञा को तोड़ना हराम ठहराया है, हाँ यदि शत्रु ने प्रतिज्ञा तोड़ने में पहल की तो फिर उनके लिए भी प्रतिज्ञा भंग करना उचित है ।

मुसलमानों पर आवश्यक है कि वह ग़ैर मुस्लिमों से युद्ध करने से पहले उन्हें इस्लाम का निमंत्रण दें, यदि न मानें तो कर एवं अल्लाह के आदेश की अधीनता स्वीकार करने का अभियाचन किया जायेगा, यदि इसे भी न मानें तो युद्ध की जायेगी ताकि कोई उपद्रव बाक़ी न रहे तथा सारा धर्म अल्लाह ही के लिए हो, युद्ध के बीच अल्लाह ने बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और वैरागियों की हत्या करने से मना किया है परन्तु यह कि इन में से कोई युद्ध करने वालों को कथनी एवं करनी के द्वारा सहायता करे, अल्लाह



ने क़ैदियों के साथ शिष्ट व्यवहार का आदेश दिया है, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम में युद्ध अधिकार के लिए नहीं बल्कि सत्य को फैलाने, बन्दों पर दया करने और लोगों को किसी मनुष्य की उपासना करने से हटा कर केवल अल्लाह की उपासना की ओर ले जाने के लिए है।

८. आज़ादी

अक़्रीदा (विश्वास) की आज़ादी :

अल्लाह ने इस्लाम में ग़ैर मुस्लिमों को अक़्रीदा की आज़ादी दे रखी है, जो उसके आदेश के अधीन हों उसे इस्लाम समझाया जायेगा, उसे स्वीकार करने के लिए निमंत्रण भी दिया जायेगा, यदि इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसमें उसकी भलाई एवं मुक्ति है, और यदि अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहे तो उसने अपने लिए कुफ़्र एवं दुर्भाग्य तथा यातना को अपनाया, उस पर वाद-विवाद होगा, अल्लाह के पास इसके लिए कोई बहाना नहीं होगा, तब मुसलमान उसके विश्वास (अक़्रीदा) पर उसको छोड़ देंगे शर्त यह है कि वह अपमानित होकर कर देगा, इस्लामी आदेशों की अधीनता स्वीकार करे, मुसलमानों के सामने अधर्मियों वाला आचरण अपनाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

इस्लाम में प्रवेश करने के वाद मुसलमान को दोबारा अधर्मी बनने की आज्ञा नहीं है, यदि धर्म भ्रष्ट कर ले तो उसका दंड हत्या है, इसलिए कि वह सत्य को जानने के वाद सत्य को

छोड़ने के कारण जीवित रहने के योग्य नहीं रह गया सिवाय इसके कि तौबा कर ले तथा इस्लाम की ओर दोबारा लौट जाये, यदि उसका धर्म भ्रष्ट इस्लाम को तोड़ने वाली किसी चीज के करने के कारण हो तो वह उस से तौबा करेगा और मुक्ति चाहेगा।

इस्लाम को तोड़ने वाली यानी इस्लाम की सीमा से बाहर करने वाली चीज़ें

१ : अल्लाह के साथ शिर्क करना । अर्थात् बन्दा अल्लाह के साथ किसी और को भी पूजित बनाये, वह अपने और अल्लाह के बीच माध्यम बनाकर उसे पुकारे, उससे दुआ करे, तथा उससे निकटता प्राप्त करने का प्रयास करे तब भी वह शिर्क है, वह अल्लाह और उपासना का अर्थ समझकर पूज्यता को स्वीकार करे जैसाकि मक्का के मुशिरकीन करते थे कि नेक लोगों की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते थे ताकि वह उन के लिए अभिस्ताव करेंगे, या उनकी पूज्यता की स्वीकृति न करे और इस बात को न माने कि वह अल्लाह के साथ किसी और को पूजित बनाया है और यह समझे कि उनकी उपासना वास्तव में अल्लाह ही की उपासना है, जैसाकि उन मुशिरकीन का दावा है जो इस्लाम से अपने आप को सम्बन्धित करते हैं, वह यह समझते हैं कि शिर्क केवल मूर्ति को सजदा करने का नाम है, या बन्दा किसी और चीज़ को अल्लाह के अतिरिक्त कहे कि मेरा पूजित है केवल यही शिर्क है ।

उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कई लोग शराब पीते हैं किन्तु उसका नाम दूसरा रखते हैं । अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ

اللَّهُ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿١١٥﴾

ऐ (नबी) आप अल्लाह ही की उपासना करते रहिये दीन (धर्म) को उसके लिए खालिस करते हुए, सुन लीजिए कि भक्ति केवल अल्लाह ही के लिए खालिस है, तथा जिन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों को अपना विगड़ी बनाने वाला बना लिया (वह कहते हैं) हम उन्हें इसलिए नहीं पूजते हैं (कि वह अल्लाह हैं) बल्कि इसलिए पूजते हैं कि वह हमें अल्लाह से निकट करवा दें, निःसंदेह यह लोग जिन बातों में विरोध कर रहे हैं अल्लाह (महा प्रलय के दिन) उनका न्याय कर देगा, निःसंदेह जो झूठा नाशुकरा है अल्लाह उसका निर्देश नहीं करते हैं। (सूरह जुमर: २, ३)

अल्लाह का कथन है :

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

वही अल्लाह तुम्हारा रब है तथा उसी का शासन है और जिनको तुम उसके अतिरिक्त पुकारते हो उन्हें गुठली के छिलके के बराबर भी सामर्थ्य नहीं है, यदि तुम उनको

पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, और यह मान लो कि जो सुन भी लें तो तुम्हारा काम नहीं कर सकते और महाप्रलय के दिन वह तुम्हारे शिर्क का इंकार करेंगे और आप को जानकार (अल्लाह) जैसा कौन सूचनायें कर सकते हैं। (सूरह फातिर:१३,१४)

२. मुश्रिकीन और कुफ़ार को काफिर नहीं ठहराना : जैसे यहूद व नसारा एवं मुलहिदीन (धर्म भ्रष्ट) मजूस (अग्नि पूजक) और ऐसे अवज्ञाकारी लोग जो कुरआन एवं हदीस से हट कर न्याय करते हैं, अल्लाह के आदेश से प्रसन्न नहीं होते, जिसने ऐसे लोगों पर कुफ़ का फ़तवा नहीं लगाया यद्यपि उसको ज्ञान है कि अल्लाह ने उनको काफिर ठहरा दिया है तो वह कुफ़ का करने वाला होगा।

३. जादू जिसमें बड़े शिर्क का वजूद हो, या उसके करने वालों को कुफ़ का ज्ञान होने के बावजूद उससे प्रसन्न रहे तो ऐसा व्यक्ति कुफ़ का करने वाला होगा।

४. इस्लाम से हटकर किसी व्यवस्था या शास्त्र को अच्छा समझना या नबी के आदेश के अतिरिक्त किसी और के आदेश को अच्छा समझना, या अल्लाह के आदेश से हटकर न्याय करने को उचित समझना।

५. अल्लाह के रसूल ﷺ से वैर एवं दुश्मनी रखना या किसी ऐसी चीज़ से वैर रखना जिसका इस्लाम में जायेज होना मालूम हो।

६. इस्लाम धर्म की किसी चीज का मज़ाक उड़ाना और ठठोल करना ।
७. इस्लाम की प्रगति से अप्रसन्न होना या इस्लाम के पतन से प्रसन्न होना ।
८. कुफ़रार से प्रेम एवं सहायता के द्वारा मित्रता रखना जबकि उसे मालूम हो कि उनसे मित्रता रखने वाला उन्हीं में से माना जायेगा ।
९. यह विश्वास रखना कि रसूल ﷺ के धर्म विधान से निकास उचित है, हाँलाकि उसे मालूम है कि धर्म विधान की किसी भी चीज से निकलना उचित नहीं है ।
१०. इस्लाम धर्म से विमुखता, सदुपदेश के बाद भी कोई इस्लाम धर्म से मुँह मोड़ता है न उसको सीखता है और न उसको व्यवहार में लाता है तो ऐसा व्यक्ति कुफ़र करने वालों में से होगा।
११. इस्लाम धर्म के किसी निर्विवाद आदेश का इंकार करना, जबकि वह आदेश उससे गुप्त नहीं रह सकता ।

(ख) विचार-विमर्श की आज़ादी :

अल्लाह ने विचार-विमर्श की आज़ादी दे रखी है इस शर्त के साथ कि वह इस्लामी शिक्षा से नहीं टकराती हो, मुसलमान को उसने आदेश दिया कि वह हरेक के सामने सत्य बात बोले, वह अल्लाह के मामला में कित्ती का भय न करे, इसको भी सर्वश्रेष्ठ जिहाद करार दिया है, उसने उन्हें आदेश दिया कि वह मुसलमान

शासकों को भी सदुपदेश दिया करें, उन्हें इस्लाम के विरोध से बचने का उपदेश दें, जो किसी झूठी-बात का निमंत्रण दे तो उसका विरोध करे तथा उसे रोके, विचार-विमर्श के सम्मान का यह सबसे अच्छा तरीका है, धर्म विधान विरोधी किसी विचार की आज्ञा नहीं दी जायेगी, इसलिए कि उसमें उपद्रव है सत्य से युद्ध है और विनाश है।

(ग) व्यक्तिगत आजादी :

व्यक्तिगत आजादी को इस्लामी शास्त्र ने पवित्रता के लिए सीमाबद्ध करना उचित ठहराया है, हरेक मानव को पुरुष हो कि महिला उन्हें अपने कार्यों में अधिकार की आजादी दी गई है जैसे व्यापार, क्रय-विक्रय, दान, उपहार, क्षमा देना आदि। हरेक महिला एवं पुरुष को अपना जीवनसाथी चुनने की आज्ञा है, जिसे वह पसन्द नहीं करते हों उससे विवाह पर विवश नहीं किया जायेगा, यदि महिला ने अपने धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के मानने वाले पुरुष को अपनाया तो उससे विवाह की आज्ञा नहीं दी जायेगी, इसमें उसके विश्वास एवं प्रतिष्ठा की रक्षा का उद्देश्य है, और इसमें उसकी और उसके परिवार वालों की अच्छाई भी है।

महिला का अभिभावक (यानी ऐसा पुरुष जो परिवार में सबसे अधिक निकट हो या उसका प्रतिनिधि) वही उसके विवाह की जिम्मेदारी अदा करेगा, महिला स्वयं अपना विवाह नहीं कर सकती क्योंकि इस प्रकार का कार्य व्याभिचारिणी (जानिया)

महिलायें करती हैं, अभिभावक महिला के पति से यह कहेगा : मैंने फलां महिला को तुम्हारे निकाह में दिया, पति उत्तर देगा मैंने इस विवाह को स्वीकार किया, निकाह के समय दो गवाह भी होंगे ।

इस्लाम मुसलमानों को धर्म विधान से अलग होने की आज्ञा नहीं देता बल्कि सीमा में रहकर व्यवहार करने का आदेश देता है इसलिए कि इंसान एवं उसकी अधीन में जो चीजें हैं वह सब वास्तव में अल्लाह की सम्पत्ति है, इसलिए उसका व्यय धर्म विधान के अनुसार होना चाहिए । अल्लाह ने बंदों पर दया एवं कृपा के चलते यह सीमायें निर्धारित किया है, जिसने उसको थाम लिया उसमें उसका सौभाग्य और अनुदेश है, जिसने विरोध किया उसमें उसकी दुर्भागिता और विनाश है, इसीलिए अल्लाह ने व्याभिचार (ज़िना) एवं बाल मैथुन (लिवातत) को प्रबलता के साथ हराम किया है, मुसलमान पर आत्महत्या को हराम ठहराया है क्योंकि आत्म हत्या करना अल्लाह के भेंट को ठुकराना है इसलिए इस के प्रति कठोरता बरता है । इसी प्रकार मोंछ काटने, नाखून तराशने, नाफ के नीचे का बाल साफ करने, बगल के बाल को उखाड़ना और खतना करने का आदेश दिया है ।

अल्लाह के शत्रुओं की समानता करना भी अल्लाह ने मुसलमानों पर हराम किया है, ऐसी चीजों में समानता न करें जो उनकी विशेषतायें हों, इसलिए कि जाहिरी चीजों में उनकी समानता हृदय में उनके लिए प्रेम एवं सम्मान की भावना को उत्पन्न करता है, अल्लाह तआला मुसलमानों से यह चाहता है कि वह सही

इस्लामी विचार धारा वाला हो, इंसानी सोंच-विचार का संगठन नहीं हो, अल्लाह तआला मुसलमान से चाहता है कि वह एक अच्छा आदर्श व्यक्ति हो न कि किसी दूसरे के अधीन हो ।

इस्लाम दस्तकारी एवं कला और अन्य कलाओं को सीखने का आदेश देता है, चाहे उसका आविष्कारक कोई ग़ैर मुस्लिम ही क्यों न हो क्योंकि असल ज्ञान सीखाने वाला अल्लाह तआला है । अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم﴾

हम ने इंसान को सिखाया जबकि वह कुछ नहीं जानता था। (सूरह अलकः५)

यह सदुपदेश एवं सुधार का उच्च श्रेणी है कि अल्लाह ने इंसान को विचार-विमर्श की आज़ादी और पूरी छूट दे रखी है और उसे अपने दुष्कृत्य एवं दूसरों के दुष्कृत्य से भी सुरक्षित रखा है ।

(घ) निवास की आज़ादी :

अल्लाह ने मुसलमान को निवास की भी पूरी आज़ादी दी है, किसी के लिए यह जायेज नहीं है कि बिना आज़ा के उसके घर में प्रवेश करे यहाँ तक कि उसकी आज़ा के बिना अंदर झाँकना भी जायेज नहीं है ।

(ङ) जीविका की आज़ादी :

अल्लाह ने इस्लामी धर्म-विधान की सीमाओं में रहकर जीविका अर्जित करने और व्यय करने की आज़ा दी है, उसे काम करने

एवं कमाने का आदेश दिया है ताकि अपने और अपने परिवार वालों का पालन-पोषण कर सके, नेक कामों में व्यय कर सके, गलत तरीका से कमाई को अल्लाह ने हराम ठहरा दिया है जैसे सूद, जुआ, रिश्वत, चोरी और शगुन अर्थात् भविष्य की बात बताकर उसके द्वारा ली गई मजदूरी, जादू, व्यभिचार (जिना) और बाल मैथुन (लिवातत) आदि से प्राप्त किया गया माल एवं हराम चीजों के मूल्यों को भी हराम ठहरा दिया है जैसे जीवधारियों के चित्रों का मूल्य, शराब, सूअर, गाने-बजाने का सामान, नाचने और गाने की मजदूरी आदि सब हराम हैं, इन साधनों से कमाना भी हराम है, और इसमें खर्च करना भी हराम है। मुसलमान के लिए जायेज नहीं है कि वह जो धर्म विधान के अनुकूल हो उन चीजों पर व्यय करे, यह धर्मोपदेश एवं सद्दुपदेश का उच्च स्थान है कि इंसान की कमाई एवं व्यय में पथ प्रदर्शन किया गया है ताकि हलाल कमाई के द्वारा समपन्नता एवं निस्पृहता के साथ जीवन निर्वाह करे।

(च) पारिवारिक व्यवस्था :

अल्लाह ने घरेलू व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत ही सही कप्रकार से पथ प्रदर्शन किया है, जो उसे स्वीकार करे वह भाग्यशाली हो जाते हैं, माता-पिता के साथ अच्छे बरताव का आदेश दिया, उनसे अच्छी बात करे, यदि दूर हो तो बराबर उनसे मिलता रहे, उनकी सेवा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उन पर व्यय करे, यदि वह गरीब हों तो उनके रहने-संभालने की व्यवस्था करे, जिसने उनकी देख-रेख नहीं की उन्हें यातना की धमकी दी

गई है और जो उनसे अच्छा बरताव करे उनकी सम्पन्नता की जमानत दी गई है । विवाह को अनुकूल माना गया है क्योंकि उसमें बहुत से लाभ हैं जिसका विवरण कुरआन एवं हदीस में विस्तार के साथ मौजूद है, जैसे :

१. विवाह से सतीत्व एवं गुप्तांग की रक्षा होती है, व्याभिचार (जिना) से बचा रहता है और दृष्टियाँ हराम से सुरक्षित रहती है ।

२. पति-पत्नी को संतोष एवं सुख प्राप्त होता है, इसलिए कि अल्लाह ने आपस में प्रेम एवं दया रख दिया है ।

३. विवाह के द्वारा धार्मिक एवं पवित्र तरीका से मुसलमानों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है ।

४. विवाह के द्वारा पति-पत्नी एक-दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं।

इसलिए कि दोनों अपने-अपने प्राकृतिक स्वभाव से उचित जिम्मेदारी को निभाने में लगे रहते हैं, पुरुष घर से बाहर काम करता है रूपया पैसा अर्जित करता है ताकि पत्नी एवं बच्चों पर व्यय कर सके, महिला घर में काम करती है, वह गर्भवती होती है, बच्चा को दूध पिलाती है, बच्चों को प्रशिक्षण देती है, पुरुष के लिए खाने-पीने एवं सोने की व्यवस्था करती है, वह जब थका हारा घर में प्रवेश करता है तो पत्नी एवं बच्चों में घुल मिल कर अपनी थकन एवं परेशानी को भूल जाता है, सब मिल जुल कर भोग-विलास एवं आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं, यदि आपसी सहमती से महिला कुछ काम करके अपने लिए कुछ

अर्जित करना चाहे या उससे पति की सहायता करना चाहे तो यह जायेज है, किन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा काम करे जिसमें किसी दूसरे के साथ मेल-जोल न हो, जैसे अपने घर में या अपने खेत में, या पति के खेत में, ऐसा काम जिसमें पुरुष का पुरुषों के साथ सम्पर्क हो जैसे कोई फैक्ट्री हो, कार्यालय हो या व्यापार का स्थान हो तो ऐसा काम जायेज नहीं है, न महिला उसको करे और न पुरुष और परिवार वालों को अनुमति है कि वह उसे आज्ञा दें, इसमें उसकी और समाज की खराबी है और उपद्रव का भय है, महिला जब तक घर में सुरक्षित है पुरुषों से दूर है तो अत्याचारी हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ते, तथा उपद्रवी एवं अपभोगी दृष्टियाँ उसकी ओर नहीं उठती, यदि वह लोगों में निकल पड़े तो अपने आप नष्ट हो जायेगी, भेड़ियों में बकरी की तरह हो जायेगी, कुछ समय के बाद ही यह दुश्चरित्र उसकी शुशीलता के दामन को दाग-दाग कर डालेंगे।

यदि पुरुष को एक महिला से जरूरत पूरी न हो तो अल्लाह ने उसके लिए चार पत्नियों तक रखने की आज्ञा दी है, शर्त यह है कि वह खाने-पीने और रहने-सहने में चारों के साथ न्याय करे, हृदय से प्रेम में न्याय आवश्यक नहीं क्योंकि वह इंसान के बस से बाहर की चीज है, इसका वर्णन अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन में किया है और कहा है कि इसमें तुम न्याय नहीं कर सकते :

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾

अर्थात् तुम से यह हो ही नहीं सकता कि तुम पत्नियों के बीच (पूरा-पूरा) न्याय करो चाहे उसकी (कैसी ही) इच्छा रखते हो। (सूरह निसा:१२९)

इस हार्दिक प्रेम में न्याय नहीं कर सकना एक से अधिक विवाह के लिए बाधक नहीं है इसलिए कि यह शक्ति से बाहर की चीज है, अल्लाह ने अपने रसूलों के लिए और जो संसारिक चीजों में न्याय कर सकता है उसके लिए एक से अधिक विवाह की आज्ञा है, अल्लाह तआला इंसानों की बुद्धियों से अवगत है, इसमें पुरुषों और महिलाओं की भलाई है, इसलिए कि स्वस्थ पुरुष में काम वेग की शक्ति इतनी होती है कि वह चार पत्नियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और यदि एक ही पत्नी पर संतोष करे जैसाकि नसारा का हाल है, ¹ या कुछ अधर्मी लोगों की प्रयास है तो उससे निम्नलिखित बुराईयाँ उत्पन्न होने की शंका है :

१. यदि मोमिन हो, अल्लाह के अधीन हो तो जीवन में कुछ कमी महसूस करेगा और अपनी हलाल इच्छा को भी दवाना पड़ेगा, इसलिए कि एक पत्नी हो तो गर्भ के अंतिम महीनों में, निफास (प्रसव रक्त) में, हैज (मासिक धर्म) में, उसके रोग में पति की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, यह उस अवस्था में जबकि दोनों एक-दूसरे से प्रेम रखते हों, और यदि आपस में प्रेम न हो तो समस्या बहुत ही हानिकारक भी हो जाती है।

¹ ईसा अलैहिस्सलाम ने एक समय में कई पत्नियों को रखने से मना नहीं किया इसको नसारा ने अपनी लालसा की पैरवी के चलते हराम करार दिया।

२. यदि पुरुष अल्लाह का अवज्ञाकारी एवं अपभोग हो तो वह हरामकारी एवं जिनाकारी में लिप्त हो जाता है तथा अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अधिकतर लोग जो पत्नी की बहुलता को नाजायेज समझते हैं हरामकारी में लिप्त हो जाते हैं, यदि वह पत्नियों की बहुलता का विरोध करे तो वह काफिर माना जायेगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे जायेज कर दिया है, इसका ज्ञान होने के बाद भी वह इसका विरोध कर रहा है।
३. यदि एक से अधिक विवाह से रोक दिया जाये तो बहुत सी महिलायें विवाह एवं संतान से वंचित रह जायेंगी, नेक एवं पवित्र महिला निराशा एवं परेशानी में विना विवाह के जीवन व्यतीत कर देगी, यदि वह नेक न हो तो व्याभिचारिणी (जानिया) बन कर जीवन व्यतीत करेगी तथा अपराधी उसकी इज्जत एवं सतीत्व से खेलते रहेंगे, यह मालूम है कि महिलायें पुरुषों से अधिक संख्या में पायी जाती हैं क्योंकि पुरुष महिलाओं की तुलना में मृत्यु के उपकरणों से अधिक निकट होते हैं, युद्धों एवं भयंकर कामों में वह भाग लेता है, तथा महिला युवावस्था के बाद ही विवाह के योग्य हो जाती है जबकि बहुत सारे पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होते, बहुत से पुरुष महर अदा करने की क्षमता नहीं रखते या विवाहित जीवन के व्यय को सहन करने की शक्ति नहीं जुटा पाते, इससे पता चलता है कि इस्लाम ने महिला के साथ न्याय भी किया और उस पर दया भी की है, जो लोग पत्नियों की अधिकता के विषय में बाधा डालते हैं या उसका विरोध करते

हैं वह वास्तव में महिला की श्रेष्ठता के और नबियों के शत्रुओं में से हैं, अधिक विवाह करना नबियों की सुन्नत है, वह अल्लाह के निश्चित की हुई सीमाओं में रहकर कई विवाह करते थे ।

दूसरे विवाह के कारण पहली पत्नी का स्वाभिमानी होना या दुखी हो जाना एक भावनात्मक मामला है, परन्तु भावना को इस्लामी विधान के मामला में आदेश नहीं बनाया जायेगा, हाँ विवाह से पहले महिला चाहे तो यह शर्त रख सकती है कि पुरुष दूसरा विवाह न करे, यदि पुरुष शर्त मान ले तो उस पर शर्त की अदायेगी आवश्यक है, यदि वह शर्त नहीं निभाये तो महिला को उसके साथ रहने या निकाह तोड़ने की आजादी है, पुरुष महिला को दी हुई चीज वापस नहीं लेगा ।

अल्लाह ने तलाक़ को जायेज ठहराया है, विशेषतः उस अवस्था में जब कि पति-पत्नी में झगड़ा हो, या आपस में प्रेम न हो, ताकि वह कष्ट की हालत में जीवन व्यतीत न करें, बल्कि हर कोई अपने लिए उचित रिश्ता खोज ले, जिससे वह बचा जीवन प्रसन्न एवं आनन्द के साथ निर्वाह कर सके, और परलोक में भी प्रसन्न रह सके, यदि दोनों की मृत्यु इस्लाम पर हुई हो ।¹

¹ नेक मुस्लिम महिलायें लेखा-जोखा के बाद जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगी तो अल्लाह उन्हें यह अधिकार देगा कि वह मुसलमान जन्नतियों में से जिससे चाहें विवाह कर लें, मुसलमान महिला ने यदि एक से अधिक विवाह किया था तो वह अपने प्रिय व्यक्ति को अपनायेगी यदि वह जन्नती हुआ तो ।

(छ) स्वास्थ्य की सुरक्षा :

इस्लामी विधान के आदेश उपचार के नियमों के अनुसार हैं, कुरआन और हदीस में बहुत सारी शारीरिक एवं मनो विज्ञानिक रोगों की चर्चा है और उसका आध्यात्मिक एवं भौतिक उपचार का भी वर्णन है, अल्लाह तआला फरमाते है :

﴿وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

तथा कुरआन में हम ऐसी चीजें उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए रोग निवारक हैं। (सूरह इस्रा: ८२)

मुहम्मद ﷺ ने फरमाया :

"ما انزل الله من داء الا انزل له دواء علمه من علم وجهله
من جهل"

"अल्लाह ने कोई रोग नहीं पैदा किया किन्तु उसकी दवा भी पैदा कर दी जो जान सकता था जान लिया और जो न जान सका नहीं जाना।"

आप ﷺ ने फरमाया :

"تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام"

"ऐ अल्लाह के बन्दो दवा का प्रयोग करो किन्तु किसी हराम चीज को दवा के तौर पर प्रयोग न करो।"

इमाम इब्ने कय्यम ने अपनी किताब "जादुल मआद फी हदये खैरिल इबाद" में इस की चर्चा विस्तार के साथ किया है उसकी ओर प्रवृत्ति की जाये वह सबसे अधिक लाभकारी और सही एवं ठोस किताब है जिसमें इस्लाम की व्याख्या और अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ की जीवनी का बयान है ।

(ज) व्यापार, कला, कृषि एवं धन :

व्यापार, कला, कृषि एवं धन इनके अतिरिक्त जिन चीजों की मानवीय जीवन में आवश्यकता होती है जैसे खाना, पानी, आम आवश्यकतायें, शहरों एवं गाँवों का संगठन, उसकी सफाई, उसके मार्गों की मरम्मत, झूठ एवं अपभोग की रोक-थाम आदि । इन सारी चीजों से सम्बन्धित इस्लाम में पूर्ण विवरण मौजूद है ।

(झ) छुपे हुए शत्रुओं का बयान और उनसे मुक्ति पाने का तरीका :

अल्लाह ने कुरआन में बयान कर दिया है कि मुसलमानों का शत्रु भी है जो लोक एवं परलोक में बरबादी की ओर उसे ढकेलता है, यदि वह उनकी बात माने और उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, उनसे बचने का तरीका भी बयान किया जिसका विवरण निम्नलिखित में दिया जा रहा है ।

पहला धिक्कृत शैतान :

शैतान जो दूसरे शत्रुओं को भी मुसलमान के विरुद्ध भड़काता है, वह हमारे पिता आदम और माता हव्वा का शत्रु है, जिन्हें जन्नत

से निकाला, वह आदम की संतान का महा प्रलय तक स्थायी शत्रु है, सदैव जान तोड़ प्रयास में लगा रहता है कि उन्हें कुफ्र में फँसा दे ताकि उसके साथ सदैव के लिए जहन्नम में रहे। अल्लाह की पनाह। जिसे कुफ्र में ग्रस्त नहीं कर सकता उसे बुराईयों में फँसाने का प्रयास करता रहता है ताकि वह अल्लाह की यातना एवं प्रकोप का पात्र माना जाये।

शैतान इंसान के शरीर में रक्त की तरह चक्कर काटता रहता है, उसके दिल में भ्रम डालता रहता है, बुराई को खूब सजा-सँवार कर पेश करता है ताकि लोग उसमें ग्रस्त हो जायें, इससे बचने का वही एक साधन है जो अल्लाह तआला ने बयान किया है कि मुसलमान को जब गुस्सा आये या पाप का निश्चय करे तो :

"اعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

"अऊजु विल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम" कहे, न अपने गुस्सा पर अमल करे और न बुराई को करे, बल्कि इसका ज्ञान रखे कि दिल में बुराई का विचार शैतान की ओर से है ताकि उसे बध में डाल दे और फिर अपनी मुक्ति का प्रकटन करे जैसा कि अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ

لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

निःसंदेह शैतान तुम्हारा शत्रु है, तुम उसे अपना शत्रु बनाये

रखो, वह अपने गिरोह को केवल इसलिए बुलाता है कि वह नर्क वालों में हो जाये। (सूरह फातिर:६)

दूसरा शत्रु :

नफ़स की इच्छायें हैं जैसे कभी-कभार इंसान हृदय में सत्य को इंकार करने की इच्छा का अनुभव करता है, यदि कोई दूसरा सत्य बात पेश करे तो उसको रद्द करता है, अल्लाह के आदेश को रद्द करने और इंकार करने का मनोभाव पाता है इसलिए कि वह इसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, सत्य एवं न्याय पर अपने मनोभाव को प्रमुख करना भी नफ़स की इच्छाओं का भाग है, इससे मुक्ति का तरीका यह है कि बन्दा अल्लाह की पनाह की याचना करे, नफ़स की इच्छाओं को न माने बल्कि सत्य कहे और उसी को माने चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, तथा शैतान से अल्लाह की पनाह चाहे।

तीसरा शत्रु :

नफ़से अम्मारा है जो बुराई की ओर रूचि दिलाये जैसाकि कभी-कभार इंसान अपने आप में हरामकारी की इच्छा पाता है, जैसे शराब पीना, जिना तथा बिना आपत्ति के रमजान के रोजे छोड़ना आदि। जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। उससे बचने का तरीका यह है कि बन्दा अपने नफ़स और शैतान के दुष्कृत्य से अल्लाह की पनाह चाहे और यह हराम इच्छा को करने से बचा रहे, अल्लाह की आज्ञा की खातिर उसे छोड़ दे जैसाकि मनपसन्द खाने और पीने को छोड़ देता है जब पता चले कि इसमें उसकी

क्षति है, इस चीज को बुद्धि में रखे कि यह हराम लालसा शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाली है, इसके बाद लम्बा पश्चाताप एवं पछतावा ही हिस्सा में आयेगा ।

चौथा शैतान :

इसानी शैतान है, वह पापी इंसान है जिस पर शैतान ने अपना दाव चला दिया है, स्वयं बुराई करते हैं और लोगों के सामने उसकी अच्छाई बयान करते हैं, इससे बचने का उपाय यह है कि उससे दूर रहें उसके साथ न बैठें एवं उससे बचे रहें ।

रोचक जीवन और उच्च उद्देश्य :

उच्च उद्देश्य जिसकी ओर अल्लाह ने मुसलमान बन्दों को ध्यान दिलाया, यह विनाश होने वाली दुनिया और जीवन की रंगीनियाँ नहीं बल्कि वास्तविक एवं सदैव रहने वाले भविष्य काल की तैयारी है यानी मृत्यु के बाद परलोक का जीवन है, इसलिए सच्चा मुसलमान इस दुनिया में कर्मों को करने में लगा रहता है इसलिए कि यह परलोक के जीवन का साधन है और उसकी खेती है, स्वयं यह लक्ष्य नहीं है ।

अल्लाह तआला के इस कथन को याद कीजिए :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

मैंने इंसानों और जिन्नों को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है । (सूरह जारियात:५६)



अल्लाह का कथन है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और हर व्यक्ति यह देख ले कि उसने कल यानी क्रियामत के लिए क्या सामान आगे भेजा है, अल्लाह का भय करो, अल्लाह तुम्हारे सब कामों से परिचित है उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वह अपने आप को भूल गये, यही लोग अवज्ञाकारी हैं । (सूरह हज्र:१८,१९)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ﴾

अर्थात जो कण बराबर भी नेकी करेगा उसे देख लेगा और जो कण बराबर भी बुराई करेगा उसे देख लेगा । (सूरह जलजाल:७,८)

मुसलमान इन महान आयतों को और इस जैसी दूसरी आयतों को सदैव अपनी बुद्धि में रखता है, जो उसे उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य से अवगत कराता है, तथा उसके भविष्य काल की अनुस्मरण

करता है जिसके कारण वह वास्तविक एवं सदैव रहने वाली भविष्य काल की तैयारी में लगा रहता है ।

वह अल्लाह की उपासना इखलास के साथ करता है और उसकी प्रसन्नता के कामों में लीन रहता है इस आशा के साथ कि इस दुनिया में उसे इज्जत एवं प्रतिष्ठा तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग नसीब होगा, अल्लाह तआला उसे इस दुनिया में रोचक एवं सुखप्रद जीवन से सम्मानित करता है, इसलिए वह अल्लाह की संरक्षिता में उसकी निकटता एवं सुरक्षा में रहता है, अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह की उपासना करता रहता है, अल्लाह से दुआ के आनन्द में लगा रहता है, तथा अपनी जुबान एवं हृदय से अल्लाह का जिक्र करता रहता है, जिससे उसके दिल को संतोष प्राप्त होता है ।

अपने कथनी एवं करनी के माध्यम से लोगों के साथ उपकार करता है, सज्जन लोग उसके उपकार की स्वीकृति देते हैं उसके लिए दुआ करते हैं जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, डाह करने वालों और नीच लोगों से उपकार का बदला प्रमाद मिलता है किन्तु वह अपने अच्छे बरताव से अलग नहीं होता है, इसलिए कि वह अपने व्यवहार के माध्यम से अल्लाह की प्रसन्नता और पुण्य चाहता है, धर्म और धर्म वालों का हँसी मजाक उड़ाने वाले लुच्चों को देखकर वह रसूलों को याद करता है और इस पर विश्वास रखता है कि यह कठिनाईयाँ अल्लाह के वास्ते हैं । अतः इस्लाम के लिए उसका प्रेम और दृढ़ होता है, कार्यालय में, खेती-

बाड़ी में, व्यापार में या फैक्ट्री में कहीं भी कार्य करता है तो उसका उद्देश्य इस्लाम और मुसलमानों को लाभ पहुँचाना होता है ताकि अल्लाह से मिलने के दिन उस की नेक नीयती एवं निःस्वार्थता का प्रतिकार मिल सके, और हलाल कमाई उपलब्ध हो सके जिसे वह अपने आप पर अपने परिवार वालों पर व्यय कर सके और अल्लाह के मार्गों में सदका एवं खैरात कर सके यूँ वह निर्लोभिता, सज्जनता एवं संतोष के साथ प्रतिकार की आशा में जीवन निर्वाह करता है, इसलिए कि अल्लाह तआला शिष्ट एवं शक्तिशील मोमिन से प्रेम रखते हैं ताकि अल्लाह की आज्ञाकारिता की शक्ति प्राप्त हो सके। पत्नी से मिलता भी है ताकि अपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सके, तथा ऐसी संतान जन्म ले जो अल्लाह की उपासना करे, जीवन में मृत्यु के बाद उसके लिए दुआ करे, यूँ उसका नेक कर्म जारी रहता है, हर नेमत पर वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तथा उसको अल्लाह की आज्ञाकारिता में प्रयोग करता है, इस बात को भी स्वीकार करता है कि हर नेमत केवल अल्लाह तआला की ओर से उपलब्ध है, इस बात पर भी विश्वास रखता है कि उसे कभी-कभार भूख, भय, रोग एवं कष्ट होता है तो वह सब अल्लाह की ओर से जाँच है, अल्लाह तआला बन्दा के धैर्य एवं भाग्य से संतुष्ट देखना चाहता है हालाँकि उसे उसका ज्ञान है !!

¹ अल्लाह तआला बंदों को आदेश देता है और रोकता है, हालाँकि वह जानता है कि कौन उसकी आज्ञा का पालन करेगा और कौन नहीं

संतोष करता है, प्रसन्न रहता है और हर अवस्था में अल्लाह की प्रशंसा करता है, पुण्य की आशा के साथ जो अल्लाह ने संतोष करने वालों के लिए तैयार कर रखा है, यूँ कष्ट उसके लिए सरल हो जाता है, वह कष्ट को ऐसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे रोगी दवा की कड़वाहट को रोग निवारण के लिए सहन कर लेता है।

यदि मुस्लिम इस उच्च मनोभाव के साथ जीवन निर्वाह करे और सदैव रहने वाले भविष्य काल के लिए कर्म करता रहे तो इस प्रकार सौभाग्य से आलिंगित होगा जो कभी न समाप्त होगी, न इस दुनिया की कड़वाहट उसे निःस्वाद करेगी और न मृत्यु ही इस सौभाग्य को समाप्त कर सकेगी, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली होता है, इस दुनिया में भी सौभागी होगा और परलोक के जीवन में भी।

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

यह परलोक का घर हम उन लोगों को देंगे जो दुनिया में

करेगा। किन्तु अल्लाह अपने ज्ञान का प्रकटन चाहता है ताकि बन्दा को उसके कर्मों का प्रतिकार मिल सके, और दुराचारी व्यक्ति यह न कह सके कि मेरे रब ने मुझ पर अत्याचार किया, ऐसे गुनाह पर दंड दिया जो मैंने नहीं किया, अल्लाह फरमाते हैं जिसका अनुवाद है :

"तथा आप का रब बंदों पर कग भर भी अत्याचार करने वाला नहीं है।" (सूरह फुस्सेलत-४६)

बड़ाई और फसाद करना नहीं चाहते तथा उन्हीं का परिणाम भला होगा जो संयमी हैं। (सूरह कसस: ८३)

अल्लाह तआला ने सच कहा :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

पुरूष हो या महिला जो कोई ईमान के साथ नेक काम करे तो हम उसे दुनिया में पवित्र जीवन प्रदान करेंगे, तथा उन लोगों को हम महा प्रलय में अवश्य उनके अच्छे कामों का बदला देंगे। (सूरह नहल: ९७)

उपरोक्त आयत और इस प्रकार की दूसरी आयतों में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि अल्लाह तआला नेक पुरूष और महिला को जो अल्लाह की खातिर नेक कामों को करते हैं उन्हें इस दुनिया ही में अच्छा प्रतिकार प्रदान कर देते हैं, और वह वैभवशाली अच्छा जीवन है जिस की हम ने पहले चर्चा की है, इसके अतिरिक्त मृत्यु के बाद भी अच्छा प्रतिकार है और वह स्वर्ग का सुख-चैन है, इसी संबन्ध में अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया :

"عجبا للمؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سرء شكر"

"فكان خيراً له وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له"

"आश्चर्य है मोमिन के हाल पर कि उस का सारा मामला

खैर (भलाई) ही का है, प्रसन्नता प्राप्त हुई तो वह अल्लाह का अभारी होता है जो उसके लिए उपकार है और यदि कोई कष्ट हो तो धैर्य के साथ सहन करता है जो उसके लिए उपकार है।"

इससे स्पष्ट होता है कि केवल इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसमें कल्याण एवं उपकार है, अच्छे बुरे की कसौटी है और पूर्णतः न्यायिक व्यवस्था है, नफ़स का ज्ञान, प्रशिक्षण, राजनीतिक, अर्थ व्यवस्था एवं संगठन आदि के ज्ञान को विचाराधीन एवं दृष्टिगत रख कर इस्लाम के प्रकाश में शुद्धि करनी चाहिए।

मानवता के सारे ज्ञान और व्यवस्थाओं का इस्लाम के प्रकाश में संशोधन होना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए, यह असंभव है कि उसके विरोध में किसी प्रकार की सफलता की संभावना हो, बल्कि उसमें तो बिल्कुल लोक-परलोक की दुर्भाग्यता ही है।

कुछ शंकाओं का निवारण

प्रथम : वह लोग जो इस्लाम पर धब्बा लगाते हैं उनकी दो क्रिस्में हैं :

पहली क्रिस्म : ऐसे लोग जो अपने आप को उसकी ओर संबन्धित करते हैं और अपने को मुसलमान होने का दावा करते हैं किन्तु वह अपने कथनों एवं कर्मों के द्वारा इस्लाम का विरोध करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जैसे लगता है कि इस्लाम से कोई नाता ही नहीं है, वह इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं है, अतः उनके कार्यों को इस्लाम की ओर सम्बन्धित करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों की सूची निम्नलिखित में दी जा रही है ।

१. अक्कीदा से भटके हुए लोग :

जो कब्रों का तवाफ करते हैं कब्रों से अपनी आवश्यकतायें मांगते हैं, उनसे लाभ एवं हानि का विश्वास बनाये रखते हैं ।

२. असभ्य, धर्म से आजाद लोग :

अल्लाह के आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं बल्कि उसको छोड़ते हैं और हराम कामों में व्यस्त रहते हैं जैसे शराब, हारामकारी आदि में लिप्त रहते हैं, अल्लाह के शत्रुओं से प्रेम रखते हैं और उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करते हैं ।

३. इस्लाम पर धब्बा लगाने वाले लोग :

कुछ मुसलमान भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम पर भद्दा धब्बा लगाते हैं । जिन का ईमान कमजोर होता है तथा इस्लामी शिक्षा पर अमल करने में आलस्य करते हैं, अनिवार्यता में आलस्य करते हैं किन्तु उसको छोड़ते नहीं, कुछ हराम चीजों को करते हैं जो शिर्क एवं कुफ़्र की सीमा तक नहीं पहुँचती, बहुत से बुरे स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम उससे मुक्त है, बल्कि उसे बड़े गुनाहों में शुमार करता है, जैसे झूठ, धोखा वादा खिलाफी और डाह आदि । ऐसे लोग इस्लाम की बदनामी का कारण बनते हैं यही कारण है कि इस्लाम से अपरिचित गैर मुस्लिम समझते हैं कि इस्लाम इन चीजों की आज्ञा देता है ।

दूसरी किस्म :

वह लोग हैं जो इस्लाम के शत्रु हैं उनसे कीना एवं वैर रखते हैं जैसे मुस्तशरिकीन (वह फिरंगी जो मशरिकी जुवानों एवं ज्ञानों का माहिर समझा जाता हो), ईसाई मिशनरी, यहूद और उनके मानने वाले हैं, इस्लाम की विशेषता, उत्तम मार्गदर्शन और उसकी पूर्ण व्यवस्था से उन्हें चिढ़ है, यह प्राकृतिक धर्म होने के कारण तेजी से फैलता है तथा लोग उसे आसानी से स्वीकार करते हैं ।¹ हर

¹ अंतिम नबी हजरत मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया : हर बच्चा प्रकृति के अनुसार जन्म लेता है फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बनाते हैं, इस सही हदीस में मुहम्मद ﷺ ने सूचित किया है कि इंसान इस्लामी स्वभाव पर जन्म लेता है, अपने स्वभाव के कारण

ग़ैर मुस्लिम व्याकुलता और अपने धर्म से विमुखता में अपना समय गुजारते हैं इसलिए कि उसका अपनाया हुआ धर्म उस के स्वभाव का विरोध करता है, सच्चे मुसलमान के विपरीत जो अपने धर्म से प्रसन्न होकर वैभवशाली जीवन निर्वाह करता है इसलिए कि यही सत्य धर्म है जो अल्लाह ने उसके लिए अनुकूल किया है, उसका शास्त्र मानव स्वभाव के बिल्कुल योग्य है, हर यहूदी नसरानी एवं ग़ैर मुस्लिम से हम यह कहते हैं कि तेरी संतान ने इस्लामी स्वभाव पर जन्म लिया है किन्तु तुम ने और उनकी माता ने बुरे प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें इस्लाम से दूर कर दिया है।

इस्लाम के शत्रुओं ने जैसे ईसाई मिशनरियों ने इस्लाम और अंतिम रसूल ﷺ पर बहुत से आरोप लगाये हैं।

१. कभी तो आप की रिसालत को झुठलाया।
२. कभी तो आप पर दोष लगाया हालांकि आप पूर्णतः दोष एवं खोट से पवित्र हैं।
३. कभी तो इस्लाम के न्यायिक आदेशों की सूरत बिगाड़ी ताकि लोग इससे घृणा करने लगे।

उस पर ईमान लाता है यदि उमे अधिकार की आजादी दी जाये तो वह इस्लाम को अपनायेगा किन्तु यहूदियत या नसरानियत या मजूसियत और अन्य धर्मों को इसलिए अपनाता है कि उस पर उसका प्रशिक्षण होता है।

परन्तु अल्लाह तआला उनकी चालों को मात करता है, वह सत्य से टकराते हैं जबकि सत्य अपने आप ऊपर उठता चला जाता है उठार्या नहीं जाता । अल्लाह तआला फरमाते हैं :

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

वह (काफिर) यह चाहते हैं कि अपने मुँह से अल्लाह के नूर को बुझा दें तथा अल्लाह तआला अपना नूर पूरा करके रहेगा चाहे काफिर बुरा मानें, वही अल्लाह है जिसने अपने दूत को निर्देश और सच्चा दीन (धर्म) देकर भेजा ताकि उसको सब धर्मों पर विजयी कर दे चाहे मुश्रिक बुरा मानें । (सूरह अस्सफ:८,९)

द्वितीय : इस्लाम के आधार :

यदि आप इस्लाम को उसकी वास्तविक शकल में जानना चाहते हैं तो कुरआने अजीम और अल्लाह के रसूल ﷺ की सही अहादीस का अध्ययन कीजिए, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुअत्ता इमाम मालिक, मुसन्द्-इमाम अहमद, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन तिर्मिजी, सुनन इब्ने माजा और सुनन दारमी में लिखी हुई हैं तथा सीरत इब्ने हिशाम, तफसीर इब्ने कसीर और जादुल मआद फी हदये खैरिल इबाद जैसी बड़े-बड़े आलिमों की किताबों का अध्ययन कीजिए, ऐसे लोग जो बुद्धिमत्ता (बसीरत) के साथ

तौहीद और निमंत्रण के ध्वजावाहक थे जैसे शैखुल इस्लाम अहमद बिन तैमिया तथा इमाम व मुजद्दिद मुहम्मद बिन अब्दुल वहाव, अल्लाह ने मुवहहिदों के अमीर मुहम्मद बिन सऊद के द्वारा बारहवीं सदी हिजरी में अकीदये तौहीद और इस्लाम धर्म को अरब द्वीप में और दूसरे क्षेत्रों में विजयी करवाया, इससे पहले शिर्क फैला हुआ था।

यहूदी और ईसाई आलिमों की किताबें तथा ऐसे लोगों की किताबें जो इस्लाम की ओर तो सम्बन्ध स्थापित करते हैं किन्तु बहुत सी चीजों में वह इस्लाम से बहुत दूर हैं, सारे सहाबा किराम या कुछ सहाबा किराम की प्रतिष्ठाओं पर कटाक्ष करते हैं, या तौहीद के ध्वजावाहक इमामों को बुरा-भला कहते हैं, जैसे इमाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने कैय्यम और मुहम्मद बिन अब्दुल वहाव आदि हैं इन पर अनेक प्रकार के दोष लगाते हैं, ऐसी किताबों से बचे रहें धोखे में न आयें।

तृतीय फिक्रही मजाहिब :

सारे मुसलमान एक ही मजहब पर हैं और वह इस्लाम है, इनका शरण स्थल कुरआन और अल्लाह के रसूल की अहादीसें हैं, रहे फिक्रही मजाहिब तो वह चार हैं। जैसे हम्बली, मालकी, शाफई और हनफी। इससे तात्पर्य फिक्रही मदारिस हैं, जिसमें इन आलिमों ने अपने शिष्यों को तैयार किया है तथा हर आलिम के शिष्यों ने क़वायेद व मसायेल को लिपिबद्ध किया जो उसने कुरआन और हदीस से लिया, यह मसायेल उनकी ओर संबन्धित

हुए और बाद में उस का मजहब कहा जाने लगा, यह इस्लाम के नियमों और सूत्रों में आपस में सहमत हैं, इन का शरण स्थल कुरआन और हदीस हैं । आपस में जो विरोध है वह अद्भुत व्यवहारिक मसायेल में है, हर आलिम ने अपने शिष्यों को यही सुदपदेश दिया कि वही बात लें जो कुरआन और हदीस के अनुसार हो चाहे बात किसी की भी हो ।

मुसलमान किसी एक मजहब की आवश्यकता का पाबन्द नहीं है, वह तो केवल कुरआन और हदीस का पाबन्द है, उन मजहब की ओर संबन्ध रखने वाले बहुत से लोग बुरे अक्रीदा के शिकार हो जाते हैं जैसे कब्रों का तवाफ करना, उनसे सहायता माँगना, अल्लाह की विशेषताओं का कष्ट कल्पना करना और उसके प्रकटित अर्थ को न लेना आदि । ऐसे लोग अपने इमामों के अक्रीदा में विरोध करते हैं इसलिए कि इमामों का अक्रीदा सलफ सालेहीन का अक्रीदा था ।

चतुर्थ इस्लाम से निष्कासित फिर्कें :

इस्लामी दुनिया में इस्लाम से निष्कासित फिर्के भी पाये जाते हैं, उनका दावा है कि वह मुसलमान हैं और अपने आप को इस्लाम की ओर संबन्ध स्थापित करते हैं, वास्तव में वह मुसलमान नहीं हैं इसलिए कि उनका विश्वास कुफ्रिया विश्वासों में है, अल्लाह का उसकी आयतों का, उसकी तौहीद का इंकार उनके विश्वास का आधार है ।



आंतरिक फिर्का :

जो हुलूल व तनासुख (आवा गमन, मृत्यु के बाद फिर से दूसरी शकल में जन्म लेना) का मानने वाला है, उसका विश्वास है कि धर्म के नुसूस (ऐसी बातें जिसका मानना आवश्यक हो) का एक प्रकटित अर्थ है जिसे अल्लाह के रसूल ﷺ ने बयान किया है जिस पर उम्मत का बहुमत है, तथा एक आंतरिक अर्थ है जो प्रकटित अर्थ के बिल्कुल विरुद्ध है तथा इस आंतरिक अर्थ की नियुक्ति वह अपने उद्देश्य के अनुसार करते हैं,¹ आंतरिक फिर्का के अस्तित्व में आने का असल कारण यह है कि यहूद, मजूस और मुलहिद फलसफियों को फारस में जब इस्लाम ने नीचा किया तथा चारों ओर इस्लाम का झंडा लहराने लगा तो यह लोग इकट्ठा हुए, इस्लाम और मुसलमानों को क्षति पहुँचाने की योजना बनाई, कुरआन के अर्थ एवं भावार्थ से सम्बन्ध रखने वाले मुसलमानों के विचारों को उलट-पलट करने के लिए इस नीच एवं हानिकारक

¹ आंतरिक गिरोह की कई उपाधि हैं, उनके आपस में कई फिर्के हैं। वह भारत, शाम, ईरान, ईराक और बहुत से देशों में फैले हुए हैं। कई लोगों ने इसका विवरण दिया है। शहरिसितानी ने इसकी चर्चा अपनी पुस्तक "अलमिलल वल निहल" में की है, बाद में लोगों ने भी इनका बयान किया है तथा कुछ नये फिर्कों को भी इसमें सम्मिलित किया है, जैसे कादियानी और बहाई। जिन विद्वानों ने इन फिर्कों का स्पष्टीकरण किया है उसमें कुछ यह भी है : "मुहम्मद सईद कैलानी" ने अपनी पुस्तक 'जैलुल मिलल वल निहल' में, शेख अब्दुल कादिर शैबह अलहम्द, जामिया इस्लामिया मदीना मन्व्वरा के अध्यापक ने अपनी पुस्तक 'अल अदयान वल फिरक वल मजाहिब अल मुआसिरह' में इसके सम्बन्ध में लिखा है।

मजहब की आधारशिला रखी, इसका निमंत्रण देने लगे, उनकी जमाअत से संबन्ध रखने का दावा करने लगे ताकि आसानी से लोगों को धोखा दे सकें, बहुत से नादान लोगों को अपने जाल में फँसाया एवं उन्हें सत्य से हटा दिया ।

उन्हीं पथभ्रष्ट फिक्कों में से "क्रादयानी" भी है जिसका सम्बन्ध गुलाम अहमद क्रादयानी की ओर है, उसने नबूवत का दावा किया और लोगों को उस पर ईमान लाने का निमंत्रण दिया, अंग्रेजों ने अपने शासन काल (जो उसने भारत पर क्राबिज होकर उसको गुलाम बना रखा था) में उसका प्रयोग किया और उसके मानने वालों को अधिक पुरस्कार से सम्मानित किया जिसके कारण बहुतों ने उसकी पैरवी करनी आरम्भ कर दी, इस प्रकार क्रादयानियत का अस्तित्व अमल में आया जो इस्लाम का दावा करती है हालाँकि वास्तव में वह इस्लाम को समाप्त करने के प्रयास में जुटी हुई है ।

उस रून्ह ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम "तस्दीके बराहीन अहमादिया" है जिसमें नबूअत का दावा किया, इस्लाम के नुसूस का उलट-फेर किया उन्हीं उलट फेरों में से कुछ निम्नलिखित में दिया जा रहा है ।

इस्लाम में जिहाद रद हो चुका है, हर मुसलमान पर आवश्यक है कि वह अंग्रेज से मित्रता करे, उसी समय एक और पुस्तक लिखा जिसका नाम "त्रियाकुल कुलूब" है । बहुत से लोगों को गुमराह करने के बाद यह झूठा १९०८ ई॰ में मृत्यु पाया । उसके बाद

इस गुमराह फिर्का का नेतृत्व और निमंत्रण की जिम्मेदारी उसके खलीफा हकीम नूरदीन ने संभाली ।

आंतरिक फिर्कों में "बहाई" फिर्का भी है जिसका इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं है, ईरान में नवी सदी इस्वी में इसकी आधारशिला एक व्यक्ति अली मुहम्मद ने रखी, कुछ ने इस का नाम मुहम्मद अली शिराजी बताया, वह शिया के इस्ना अशरी फिर्का से सम्बन्ध रखता था, इनसे हट कर एक नये मजहब की आधारशिला रखी, अपने संबन्ध में दावा किया कि वह "मेहदी मुंतजिर" है, फिर दावा किया कि अल्लाह तआला उसके अन्दर प्रवेश कर गया है इसलिए वह स्वयं लोगों के लिए अल्लाह है, अल्लाह तआला ऐसे मुल्हिद व काफिर की बातों से पवित्र एवं ऊँचा है, उसने लेखा-जोखा, मृत्यु के पश्चात जीचन, स्वर्ग-नरक का इंकार किया, ब्राह्मण और बुद्ध मत के तरीके को अपना लिया, यहूद व नसारा और मुसलमानों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहा कि आपस में कोई अंतर नहीं है, फिर अंतिम नवी मुहम्मद ﷺ की नववत का इंकार किया, बहुत से इस्लामी आदेशों का भी इंकार किया, इसके बाद उसका सहायक उसका मंत्री बना जिसने अपना नाम 'अलबहा' रखा तथा इस निमंत्रण को फैलाया, इसके मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी यह फिर्का उसी की ओर संबन्धित किया गया और उसका नाम 'बहाईया' पड़ गया ।

इस्लाम से निष्कासित फिर्कों में यद्यपि वह इस्लाम का दावा करते हैं, नमाज, रोजा और हज अदा करते हैं, वह शिया का एक बड़ा

फिर्का है जिसका यह दावा है कि जिवील عليه السلام ने रिसालत को पहुँचाने में अपभोग किया, अल्लाह ने उन्हें अली عليه السلام के पास भेजा था . किन्तु उन्होंने मुहम्मद ﷺ के पास पैगाम पहुँचा दिया, बल्कि कुछ कहते हैं कि अली ही अल्लाह हैं, उनकी, उनके संतान की, उनकी पत्नी फातिमा एवं उनकी माता खदीजा रजि अल्लाहु अन्हुम के सम्मान में अतिशयोक्ति से से काम लेते हैं, बल्कि अल्लाह के साथ उन्हें भी पूजित बना रखा है, आवश्यकता के समय उन्हें पुकारते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि वह निर्दोष थे उनका पद अल्लाह के निकट रसूलों से भी ऊँचा है, उनका यह भी विश्वास है कि जो कुरआन आज कल मुसलमानों के पास है उसमें कमी और बंदोत्तरी हो चुकी है, अपने लिए उन्होंने एक विशेष कुरआन बना लिया, अपनी ओर से उसमें सूरे और आयतें बढ़ाई, नबी करीम ﷺ के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ अबू बकर رضي الله عنه और उमर को यह लोग गाली देते हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आईशा रजि अल्लाहु अन्हा को भी गाली देते हैं, अली عليه السلام और उनकी संतान से अच्छे वुरे समय में सहायता मांगते हैं, अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारते हैं और उनकी उपासना करते हैं, अपने आप को शिया कहते हैं। (यानी अहले बैत की जमाअत) अली عليه السلام और उनकी संतान इनसे विल्कुल मुक्त हैं इसलिए कि इन्होंने उन्हें पूजित की श्रेणी में रख दिया, अल्लाह पर झूठ गढ़ा और अल्लाह के कलाम में हेरा-फेरी की, अल्लाह तआला उच्च है इन सारी बातों से जो यह कह रहे हैं।

यह कुछ काफिर फिर्के हैं जिनका हम ने वर्णन किया है इसके



अतिरिक्त और भी काफिर फिर्के हैं जो इस्लाम को बरबाद करने में लगे हुए हैं, ऐ बुद्धिमान और ऐ मुसलमान जहाँ कहीं भी रहो उनसे सतर्क रहो, इस्लाम केवल दावा का नाम नहीं है बल्कि कुरआन और हदीस को जानने और उसके अनुसार व्यवहार करने का नाम है, कुरआन और हदीस में गौर कीजिए। इसमें आप निर्देश (हिदायत) प्रकाश और सीधा मार्ग पायेंगे, ऐसा सीधा मार्ग जिस पर चलने वाला स्वर्ग में पहुँच कर उपकार एवं कल्याण से आलिंगित होगा।

मुक्ति का निमंत्रण

ऐ बुद्धिमान इंसान चाहे पुरुष हो या महिला जो अभी इस्लाम के प्रकाश से अनभिज्ञ है यह निमंत्रण तुझे दे रहा हूँ जिसमें मुक्ति है और कल्याण है ।

- * अपने आप को अल्लाह की यातना से बचा लो जो मृत्यु के पश्चात कब्र में होगा फिर नरक की आग में होगा ।
- * अल्लाह पर ईमान लाकर अपने आप को बचा लो, नबी पर ईमान लाकर कि वह रसूल हैं और इस्लाम को सत्य धर्म स्वीकार कर के और सच्चे दिल से यह कहो :

"ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं । पाँच नमाजें अदा करो, अपने धन की जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखो तथा अल्लाह के घर का हज करो यदि उसकी शक्ति रखते हो ।

- * अल्लाह की आज्ञाकारी का एलान करो इसके बदला न कोई उपकार एवं कल्याण है और न कोई मुक्ति ।
- * मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अल्लाह की कसम खाता हूँ कि उसके अतिरिक्त कोई और पूजित नहीं, इस्लाम ही सत्य धर्म है अल्लाह तआला किसी से इस धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म स्वीकार करने वाला नहीं है, मैं अल्लाह को फरिश्तों को और सारे मानव जाति को गवाह बनाता हूँ कि अल्लाह के

अतिरिक्त कोई सत्य पूजित नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं तथा इस्लाम ही सत्य धर्म है और मैं मुसलमान हूँ।

मैं अल्लाह की दानशीलता एवं उपकार के माध्यम से सवाल करता हूँ कि वह मुझे, मेरी संतान और सारे मुसलमान भाईयों को सच्चे मुसलमान की दशा में मृत्यु दे तथा हमें स्वर्ग में हमारे सच्चे न्यायधारी नबी मुहम्मद ﷺ और सारे अंबिया तथा हमारे नबी के घर वाले और सहाबा की संगति से सम्मानित करे।

अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस पुस्तक से हर सुनने एवं पढ़ने वाले को लाभ पहुँचे, जान लीजिए कि मैं ने बात पहुँचा दी, ऐ अल्लाह तू इसका गवाह रह।

"والله اعلم ، و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه"

विषय सूची

भूमिका.....	३
-------------	---

अध्याय - १

अल्लाह एक महान उत्पतिकर्ता की पहचान.....	५
जगत, जीवन एवं मानव	५
अल्लाह की विशेषतायें	११
इंसानों एवं जिन्नों की उत्पत्ति का उद्देश्य.....	१६
मृत्यु के पश्चात जीवन, लेखा-जोखा, कर्मों का फल एवं स्वर्ग-नरक की चर्चा	१८
जन्नत (स्वर्ग)	१९
आग (नरक)	२०
इंसान के कथनी एवं करनी का निरीक्षण	२२
शहादत (गवाही).....	२४

अध्याय - २

रसूल की पहचान	२५
अल्लाह के रसूल ﷺ के चमत्कार (मोजेजात).....	२८
कुरआन अल्लाह का कलाम है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, बौद्धिक एवं न्यायिक तर्क	३१
अल्लाह तथा उसके रसूल मुहम्मद ﷺ पर ईमान लाने का निमंत्रण.....	३५

अध्याय - ३

सत्य धर्म (इस्लाम) की पहचान (मारिफ़त).....	३६
इस्लाम का परिचय.....	३७
इस्लाम का स्तम्भ	४२
पहला स्तम्भ	४२
उपासना (इबादत) की क्रिस्में	४३
दुआ	४३
जवह, नज़र और नियाज़	४५
पनाह माँगना, सहायता माँगना और फ़रियाद करना	४६
आशा करना, भरोसा करना और विनय एवं नम्रता.....	४८
अभिस्ताव (शफ़ाअत)	५१
फ़िरका नाजिया.....	५४
नबी ﷺ और सहाबा का तरीका यह था.....	५५
क़ानून बनाने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है.....	५८
रसूलों के भेजने का उद्देश्य	५८
अल्लाह के रसूल मुहम्मद ﷺ की गवाही का अर्थ	५९
निमंत्रण का विचार.....	६१
इस्लाम के स्तंभों का दूसरा आधार : नमाज़	६२
पाँच नमाज़ें.....	६४
नमाज़ के अहक़ाम	६५

वजू.....	६५
तयम्मूम	६७
तयम्मूम का तरीका	६७
द्वितीय : नमाज का तरीका	६८
१. फज्र की नमाज.....	६८
२. जोहर, अस्र तथा ईशा की नमाज.....	७१
३. मगरिव की नमाज	७१
इस्लाम का तीसरा स्तम्भ जकात	७३
इस्लाम का चौथा स्तम्भ रोजा	७६
रमजान महीना का रोजा रखना एवं रोजे का तरीका	७६
रोजे का लाभ	७६
रोजे के अहकाम जिसका वर्णन कुरआन एवं हदीस में है ..	७८
इस्लाम का पांचवा स्तम्भ हज	७८
उमरा एवं हज का तरीका	८२
मीकात	८२
एहराम का तरीका.....	८३
मुहरिम पर वर्जित कार्य.....	८४
ईमान	९१
भाग्य पर ईमान का अर्थ	९३

इस्लाम एक सम्पूर्ण धर्म है ९५

अध्याय - ४

इस्लामी जीवन प्रणाली.....	९८
१. विद्या की प्राप्ति.....	९८
२. अक्कीदा (विश्वास).....	१००
३. सामाजिक सम्बन्ध.....	१०१
४. अल्लाह की संरक्षिता का अनुभव और मोमिन के दिल की चेतावनी.....	१०३
५. सामाजिक एवं सामूहिक सहयोग.....	१०४
६. देश सम्बन्धी राजनीतिक.....	१०७
७. बाहरी राजनीतिक.....	११०
८. आजादी.....	११२
अक्कीदा (विश्वास) की आजादी.....	११२
इस्लाम को तोड़ने वाली अर्थात् इस्लाम की सीमा से बाहर करने वाली चीजें.....	११४
विचार-विमर्श की आजादी.....	११७
व्यक्तिगत आजादी.....	११८
निवास की आजादी.....	१२०
जीविका की आजादी.....	१२०
पारिवारिक व्यवस्था.....	१२१
स्वास्थ्य की सुरक्षा.....	१२७

व्यापार, कला, कृषि एवं धन.....	१२८
छुपे हुए शत्रुओं का बयान और उनसे मुक्ति पाने का तरीका	१२८
पहला धिक्कृत शैतान	१२८
रोचक जीवन और उच्च उद्देश्य.....	१३१

अध्याय - ५

कुछ शंकाओं का निवारण.....	१३८
१. अक्रीदा से भटके हुए लोग.....	१३८
२. असभ्य, धर्म से आजाद लोग	१३८
३. इस्लाम पर धब्बा लगाने वाले लोग	१३९
द्वितीय : इस्लाम के आधार	१४१
तृतीय फिक्कही मजाहिब	१४२
चतुर्थ इस्लाम से निष्कासित फिर्कें	१४३
आंतरिक फिर्का.....	१४४
मुक्ति का निमंत्रण.....	१४९
विषय सूची	१५१

 مطبعة النرجس التجارية
NAJIS PRINTING PRESS

تلفون : ٢٣١٦٦٥٤ / ٢٣١٦٦٥٣
فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض

هذا الكتاب منشور في

